राजस्थान विधान सभा

इकत्तीसवीं बैठक, दिनांक २३ अप्रैल, १९५३

सदन का कार्य ८-१८ बजे प्रातः प्रारम्भ हुआ

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १८७

श्री **अध्यक्ष**—प्रश्न । श्री सज्जनसिंह ।

श्री **सज्जनसिंह**—क्या मन्त्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) गत वर्ष बजट सत्र के समय अकाल के सम्बन्ध में कोटा डिवीजन में जांच की जाकर आवश्यकतानुसार जहां ८ आने से कम पैदावार पाई गई थी वहां छूट देने का आश्वासन मन्त्री महोदय ने दिया था, उसके अनुसार बूंदी जिले में तहसीलवाइज कितनी कितनी छूट हुई है ?

(ख) उदाहरणार्थ नीचे लिखे गांवों में छूट हुई या नहीं और हुई तो कितनी कितनी : देही, तलवास, करवर, डबलाना, गुढा, नाथावतान उमर, विजयगढ़, टूंकड़ा ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—जिला बूंदी के तहसीलों और निम्नलिखित ग्रामों में इस प्रकार से छूट देने की तजवीज कमिश्नर कोटा ने की है जो कि सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी ।

१. तहसील

१. तहसील बूंदी	..	७६३० रुपया
२. तहसील तालडा	..	४९९३ रुपये
३. तहसील पाटन	..	२०७९२ रुपये
४. तहसील नैनवा	..	२०४८३ रुपये
५. तहसील हिन्डोली	..	७७४३ रुपये
कुल	..	६१,८६१ रुपये

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

२. ग्राम

१. देही ..	.. ४१६ रुपये	५. गुढा नाथावतान ..	.. ३८३ रुपये
२. तलवास ..	.. कुछ नहीं	६. उमर	.. ७८ रुपये
३ निलकश्वार ..	.. ७७० रुपये	७. विजयगढ़ ..	.. १२ रुपये
४. डबलाना ..	.. १६७ रुपये	८. ठेंकरा	.. २० रुपये

प्रश्न संख्या ६८८

श्री **गुरुदयाल सिंह सन्धु**—क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे.—

(क) पिछले पांच सालों में चक ३६ आर० बी० में कितने आदमियों को कौन कौन सी तारीखों को परची गिरदावरी व परची मुतालबा दी गई ?

(ख) अगर नहीं दी गई तो क्यों और भविष्य में सरकार इसका क्या प्रबन्ध करेगी ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया**—चक नम्बर ३६ आर. बी. में इस फसल रबी की परचा गिरदावरी और परची मतालबा १३ व्यक्तियों को १३-४-१६५३ को तकसीम की गई और बाकियों को तकसीम की कार्यवाही की जा रही है। इन परचियों की तकसीम में देरी का यह कारण है कि छापा शुदा परचियों के फॉर्म मौजूद नहीं थे । पिछले पांच सालों में परचियों की तकसीम के विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही सदन में पेश कर दी जायगी ।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या इस प्रश्न के करने के बाद वे परचियां तकसीम की गई ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया**—जवाब देने से पहले कर दी गई ; इतना जरूर है ।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पिछले पांच सालों में कोई परची तकसीम हुई ? हुई तो कितनी ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया**—इसके लिये अर्ज किया कि सूचना प्राप्त की जा रही है । प्राप्त होने पर टेबुल पर रख दी जावेगी ।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—पिछली वार हाउस में यही प्रश्न करने पर कहा गया था कि परचियां तकसीम की जा रही हैं ।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया**—पिछला सवाल का जवाब भी सच था और आज का भी सही है । अगर पिछले सवाल में यह कहा गया था तो उसी को मान कर चलना चाहिये ।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट ।

Page No.3

प्रश्न संख्या ६८६

श्री रामरतन टिक्कीवाल—क्या उद्योग मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) टोंक नगर में सरकारी जीनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्री कई वर्षों से क्यों बन्द पड़ी हुई है ?

(ख) क्या सरकार इसे चालू कराने का विचार कर रही है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब ?

(घ) क्या इस फैक्ट्री के बन्द पड़े रहने से सरकार को नुकसान नहीं होता ?

(ङ) क्या इस फैक्ट्री को ठेके पर देने का प्रश्न विचाराधीन है ?

(च) यदि हां, तो कब तक ठेके पर दी जायगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य (उद्योग व व्यवसाय मंत्री)—टोंक नगर में जो सरकारी जीनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्री है वह इस कारण से बन्द पड़ी है कि इसका वर्किंग फायदेमन्द न होकर नुकसानदायक है। याने इकोनोमिक यूनिट नहीं है। इसलिये इसको चालू करने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। फैक्ट्री के बन्द रहने से केवल नुकसान इतना ही है कि हिफाजत के लिये चौकीदार रखा जावे। इस फैक्ट्री की वैल्युएशन कराली गई है और बेचने की या ठेके की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या ६९०

श्री कस्तूरचन्द—क्या वाणिज्य तथा व्यवसाय मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या राजस्थान कॉटन जीनिंग फैक्ट्रीज में कोई रॉयल्टी वसूल की जाने का नियम है ?

(ख) यदि हां, तो फिर गंगापुर, जिला भीलवाड़ा, जीनिंग प्रसींग फैक्ट्री इस से वंचित क्यों है ?

(ग) यदि नहीं, तो फिर उससे नजदीक आधा मील की दूरी पर सहाड़ा फैक्टरी से रॉयल्टी क्यों ली जाती है ?

श्री कुम्भाराम आर्य (उद्योग व व्यवसाय मंत्री)—(क) राजस्थान में कॉटन जीनिंग फैक्ट्रीज पर रॉयल्टी लिया जाना उचित है ?

यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(२) गंगापुर जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री पहले मध्य भारत में थी और वह भूतपूर्व मेवाड़ स्टेट को जो गांठें बंधें उन पर ४ आना फी गांठ रॉयल्टी देती थी वह अब भी देती है यानि रॉयल्टी से वंचित नहीं है।

Page No.4

[श्री कुम्भाराम आर्य]

(३) सहाड़ा कारखानेदार ने यह जानते हुए भी कि आधा मील की दूरी पर गंगापुर फैक्टरी लगी हुई है वहां जीनिंग व प्रेसिंग फैक्टरी दोनों हैं, फैक्टरी लगाई और इनको हानि को विचाराधीन रखते हुए पहले जो रॉयल्टी नियत की थी उसमें कमी की गई है।

श्री भैरूंसिंह—साहब, सुना नहीं क्या जवाब दिया है ?

प्रश्न संख्या ६६१

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट । श्री धासीराम ।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६६२

श्री अध्यक्ष—श्री मोतीचंद ।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६६३

श्री प्रभुदयाल—क्या मन्त्री, एग्रीकल्चर विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर ने ३० लाख रुपये का सामान मर्जर के वक्त में बम्बई से खरीदा था ?

(ख) क्या यह सही है कि वह बाजार भाव से काफी तेज भाव से खरीदा गया था ?

(ग) क्या वह बाजार में बेचा गया या किसी कार्य में लाया गया ?

(घ) क्या इस बारे में कोई ऐतराज उठाया गया था ? अगर हां, तो उस पर क्या कदम उठाया गया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) मर्जर के समय कृषि विभाग, राजस्थान, द्वारा ३० लाख रुपये का लोहे का सामान बम्बई में नहीं खरीदा गया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या ६६४

राव श्री केशरीसिंह—(अ) क्या तहसील मांडलगढ़ में काश्तकार अपनी बापी जमीन में से भी अपनी जरूरत के लिये लकड़ी नहीं काट सकता है ?

(आ) क्या ऐसे काश्तकारों के खिलाफ, जिन्होंने लकड़ी काटी है, मुकद्दमे चलाये गये हैं ?

Page No.5

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**--(ग्र) हां । लेकिन बापीदार सिर्फ ग्रपनी निजी जरूरत के मुताबिक ग्रपनी जमीन से दरख्त काट सकते हैं ।

(ग्रा) ग्रगर यह हरे दरख्त बिला इजाजत बेचने के लिये काटे तो उसके विरुद्ध कानून के मुताबिक कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न संख्या ६६५

श्री **कस्तूरचन्द**--क्या इन्ड्स्ट्रीज़ मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या कॉटन जीनिग फक्टरी रायला, डि० भीलवाड़ा, से कोई रॉयल्टी वसूल की जाती है जैसा कि दीगर प्रान्त की छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज़ पर है ?

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या है ग्रौर क्या वह कुल ग्रब तक वसूल हो चुकी है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(घ) उसकी वसूली की क्या कार्यवाही चल रही है व इतनी शिथिलता क्यों है ?

श्री **कुम्भाराम ग्रार्य** (उद्योग व व्यवसाय मंत्री)--(क) कॉटन जीनिग फैक्टरी, रायला (जिला भीलवाड़ा), में जो कपास जीन होती है उस पर ४ ग्राना फी मण ग्रौर प्रेसिंग पर यानि गांठ बांधने पर २ रुपया ८ ग्राने फी गांठ रॉयल्टी के रूप में लिया जाता है ।

(२) कुल रॉयल्टी ग्रब तक वसूल नहीं हुई है ।

(३) वसूली के लिये कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

(४) विभाग की ग्रोर से वसूली में तनिक भी शिथिलता नहीं है ।

श्री **कस्तूरचन्द**--क्या रायला में जो फैक्टरी लगी है उसकी बाद में वसूली हुई ?

श्री **कुम्भाराम ग्रार्य**--नहीं हुई ।

श्री **कस्तूरचन्द**--जब ग्रभी तक भी वसूली नहीं हुई तो इतना ही ढीलापन रहेगा क्या ?

श्री **कुम्भाराम ग्रार्य**--सरकार उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहती है ।

श्री **कस्तूरचन्द**--तो इससे क्या सरकार यह चाहती है कि सरकार की ग्रामदनी भी सेठों को दे देना चाहिये ।

श्री **कुम्भाराम ग्रार्य**--राज्य की भलाई के लिए सरकार ग्रामदनी नहीं देखती ।

श्री **कस्तूरचन्द**--यह राज्य की भलाई नहीं, सेठों की भलाई है ।

श्री **कुम्भाराम ग्रार्य**--यह सेठों की भलाई नहीं है ।

Page No.6

श्री कस्तूरचन्द—सेठों की भलाई है। इस फ़ैक्टरी को कोई गरीब नहीं चला रहा है, सरकार को यह जानना चाहिये।

श्री कुम्भाराम आर्य—वह गरीब नहीं है, प्रजा है।

श्री कस्तूरचन्द—तो क्या सरकार उसको सेठ नहीं समझती है।

श्री कुम्भाराम आर्य— प्रजा में सब आ जाते हैं।

श्री कस्तूरचन्द—क्या सब को प्रजा ही मान कर सरकार इसी तरह छूट देती रहेगी? क्या गरीबों का खयाल सरकार नहीं रखेगी?

श्री कुम्भाराम आर्य—सरकार सब को प्रजा ही मानती है।

श्री कस्तूरचन्द—सरकार सेठों को गरीब क्यों मानती है?

श्री कुम्भाराम आर्य— गरीब किसी को नहीं मानती सरकार।

श्री कस्तूरचन्द—सबको बड़ा बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? सेठों को ही क्यों बड़ा मान रही है?

श्री कानसिंह—प्रजा के हित के लिए किया जा रहा है, तो क्या सरकार के सामने आज राजा और प्रजा का भाव भी चल रहा है?

श्री कुम्भाराम आर्य—राजा नहीं चाहिये।

श्री कानसिंह—तो प्रजा किसकी है फिर?

श्री जसवन्तसिंह—प्रजा को तब आप राजा ही क्यों नहीं कहते?

श्री कुम्भाराम आर्य—वह राजा है, तो वह भी है।

श्री कस्तूरचन्द—क्या सरकार यह बतलावेगी कि राजस्थान के लाखों भूखे-नंगों को सरकार प्रजा मानकर कोई राहत नहीं देती और इन सेठों को प्रजा क्यों मानती है? उनसे क्यों नहीं सरकार अपनी रॉयल्टी वसूल करती है? भीलवाड़ा वगैरह और जगहों से करती है तो रायला से ही नहीं करने में सरकार का क्या आशय है?

श्री कुम्भाराम आर्य—रॉयल्टी माफ नहीं की गई है।

श्री कानसिंह—रॉयल्टी इसलिए वसूल नहीं की जाती कि ये सेठों की प्रजा इलेक्शन में इनकी मदद करती है।

श्री कुम्भाराम आर्य—नहीं, मदद नहीं करते हैं?

Page No.7

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! Next.

प्रश्न संख्या ६६६

श्री एच. के. व्यास—Will the Health Minister be pleased to answer:—

(*a*) Is it a fact that an embezzlement was detected in the accounts of the S.M.S. Hospital nearly five years ago ?

(*b*) If so, has the Departmental enquiry been completed ?

(*c*) If not, why not ?

(*d*) Who is responsible for delaying such an important task of immediate nature involving loss of thousands of rupees to Government ?

(*e*) What steps the Government propose to take in the matter ?

श्री रामकरण जोशी—(अ) यह केस दिनांक १०-२-४७ को प्रकाश में आया था।

(ब) और (स) जांच अभी जारी है।

(द) मामले की जांच-पड़ताल जारी है और जितना शीघ्र हो सकेगा इस पर निर्णय हो जावेगा।

(इ) सरकार के समक्ष पूरी रिपोर्ट आते ही इस पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री भैरूं सिंह—पांच साल होने आये अभी तक जांच न होने का क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी—इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह समझा जाय कि सरकार की गफ़लत से पांच साल में इन्क्वायरी पूरी नहीं हुई ?

श्री रामकरण जोशी—यह ठीक नहीं है।

श्री भैरूं सिंह—अधिकारियों द्वारा जांच अभी तक पूरी नहीं हुई, क्या इसके लिये गवर्नमेन्ट की तरफ से तकाजा किया गया है ?

श्री रामकरण जोशी—सरकार ने यह हिदायत दे रखी है, जांच जारी है।

श्री भैरूं सिंह—दो साल पहले भी क्या उनके पास ऐसी हिदायत भेजी थी।

श्री रामकरण जोशी—सरकार वक्त वक्त पर हिदायतें देती रहती है। दो साल पहले भी दी होगी।

श्री भैरूं सिंह—दो साल पहले हिदायत देने के बावजूद भी अधिकारियों ने जांच नहीं की है, क्या यह सही है ?

Page No.8

श्री रामचरण जोशी—यह बात सही नहीं है, गलत है ।

प्रश्न संख्या ६६७

श्री सज्जनसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे:—

(क) क्या सरकार को मालूम है कि डबलाना, तहसील हिण्डोली, जिला बूंदी की स्कूल एक किराये के कच्चे नोहरे में चलाई जा रही है जिससे छात्रों को गर्मी व बरसात में बड़ी तकलीफ होती है ?

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस स्कूल की इमारत की व्यवस्था इस वर्ष के बजट में की है या नहीं ?

(ग) यदि हां, तो कब तक इसके बन जाने की आशा है ?

(घ) यदि ना, तो आइन्दा कब तक इसके लिये व्यवस्था की जावेगी ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—हां, यह मालूम है । सामान्यत: स्कूलों के लिये इमारतों की कमी है । सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं कि नई इमारतें तैयार करवाई जा सकें । अगर जनता सहयोग दे तो इमारतों की व्यवस्था हो सकती है ।

प्रश्न संख्या ६६८

श्री कंवरलाल जेठिया—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) कोटा जिले की लाडपुरा की तहसील में छावनी कस्बा की प्राइमरी स्कूल के किसी अध्यापक द्वारा गत नवम्बर ५२ में क्या सरकारी रकम का गबन हुआ ?

(ब) यदि हां, तो कितनी रकम का ।

(स) क्या वह व्यक्ति पकड़ा गया ?

(ड) कितने अध्यापकों का वेतन किस माह का इस गबन की रकम में शरीक था ?

(इ) क्या अध्यापकों का वेतन चुका दिया गया ?

(फ) यदि नहीं, तो उनके कार्य-करने के एक माह के वेतन के सम्बन्ध में सरकार ने क्या सोचा ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(अ) हां, ४००६ रु० १३ आ० ६ पाई का गबन हुआ था । वह व्यक्ति अभी नहीं पकड़ा गया । मामला पुलिस के सुपुर्द किया जा चुका है ।

(ब) इसमें ५१ अध्यापक तथा चार चपरासियों का मास अक्तूबर सन् १९५२ का वेतन शामिल था ।

(स) अभी नहीं, कार्यवाही जारी है । वेतन शीघ्र चुका दिया जावेगा ।

श्री कंवरलाल जेलिया--इन घटनाओं से बचन के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था सोची है ?

श्री भोलानाथ--रुपयों को अच्छी तरह रखा जायगा ।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)--अध्यापकों को वेतन नहीं मिला, इसका क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ--यह सब देखना पड़ता है कि जिन अध्यापकों का वेतन चोरी गया, क्या उसमें उनकी साजिश तो नहीं थी ? यह सब देखना पड़ता है, इसलिये विलम्ब हुआ है ।

श्री कंवरलाल जेलिया-आयन्दा क्या इस तरह की व्यवस्था कर दी जायगी जिससे सरकारी रकम का गबन न हो सके ? सरकार उनसे जमानत लेने का सोचती है ।

श्री भोलानाथ--जमानत तो लेगी ही, परन्तु सतयुग से लेकर कलयुग तक चोरियें होती आई हैं। इसकी रोक थाम के वास्ते पुलिस विभाग, अदालतें आदि काम कर रही हैं, फिर भी चोरी हुआ ही करती है ।

श्री कंवरलाल जेलिया--कलियुग और सतयुग की तो मैं बात नहीं कह रहा हूं । मैं तो यह पूछ रहा हूं कि आप इस युग में क्या व्यवस्था कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--Order ! Order !

प्रश्न संख्या ६६६

श्री जगतसिंह झाला--क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:--

(अ) क्या यह सच है कि बड़ी सादड़ी तहसील का दफ्तर ठिकाने के गढ़ के मकानों में है और उसका किराया अब तक नहीं दिया गया ?

(अ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(इ) यह बकाया रकम अब कब तक अदा की जावेगी ?

(ई) क्योंकि यह शिकायत प्रायः भूतपूर्व राजस्थान के कई ठिकानों की है अतः क्या राजस्व मन्त्री एक आज्ञा प्रसारित करने का आश्वासन देंगे कि ऐसी चढ़ी हुई किराये की रकमें फौरन अदा कर दी जावें ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)--(अ) हां ।

(आ) यह इमारत ठिकाने के समय माल विभाग के कार्य में आती थी। इस इमारत का किराया देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । शीघ्र ही फैसला करने की संभावना है ।

प्रश्न संख्या १०००

श्री अध्यक्ष--श्री श्यामलाल गोयल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १००१

श्री एच. के. व्यास–Will the Health Minister be pleased to answer :—

(*a*) Is there an Abmbulance Car at the Isolation Hospital, Moti Dungri Road, Jaipur ?

(*b*) Is it mostly used in carrying the R.D.M.H.S., Jaipur, from his house to Office or for the pleasure trips of his family ?

(*c*) If so, how much it has been used for patients and how much for such other purposes and what has been the expenditure on these accounts ?

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ्य मंत्री)—

(*a*) Yes.

(*b*) Ambulance had been used by the Assistant Director of Medical and Health Services for urgent Government work when his own Departmental jeep was not available. It has never been used for the pleasure trips of his family.

(*c*) (*i*) It was used for carrying patients to and from in the year 1952—1,969 miles.

(*ii*) For other official duties as described in para (*b*) above in the year 1952—1,025 miles.

(*d*) In view of the reply in (*b*), this question does not arise.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—क्या यह सही है कि डाईरेक्टर ऑफ मेडिकल हैल्थ उनकी फमिली के साथ एंम्बुलेन्स में लिये हुए फोटो माननीय मन्त्री को पेश किये हैं ?

श्री रामकरण जोशी—हो सकता है, जब वे हॉस्पिटल जाने लगे हों और उनके साथ उनकी फेमिली को भी जाना होगा तो उनके साथ बैठे हुए वे फोटो खींच लिये होंगे।

श्री भैरूंसिंह—ऐसे फोटोज घर के काम पर जाने के बाद में लिये गये है ?

श्री रामकरण जोशी—मेरे पास ऐसे कोई फोटो नजर में नहीं आये।

श्री भैरूंसिंह—अगर ऐसे कोई फोटोज पेश किये जांय तो क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का आश्वासन देगी ?

श्री रामकरण जोशी—साबित होने पर अवश्य कार्यवाही की जायगी।

Page No.11

प्रश्न संख्या १००२

श्री एच. के. व्यास—Will the Minister In-charge for Election be pleased to state:—

(*a*) What was the total number of pages of the Voters Lists printed in the presses of Jaipur ?

(*b*) To which presses in Jaipur City was the Voters List given for printing and how many pages were given to each Press ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—

(*a*) Total number of pages.. .. 37,682.

(*b*) The list is placed on the Table of the House.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरू सिंह—जो सूची सदन की मेज पर रखी गई उसकी एक प्रति मेरे पास भी पहुंचनी चाहिये थी ।

प्रश्न संख्या १००३

श्री सरदारसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर डिविजन में जो अभी ऐतिहासिक चीजों की खोज के सम्बन्ध में खुदाई हो रही है और उसमें ऐतिहासिक महत्व की चीजें प्राप्त हुई हैं, व प्राप्त होने की आशा है, उसमें राजस्थान सरकार को कहां तक दिलचस्पी है ?

(२) क्या राजस्थान सरकार ने भी अपने ऐतिहासिज्ञों को वहां अनुसंधान करने को भेजा है ?

(३) क्या प्राप्त हुई वस्तुएं राजस्थान के किसी म्युजियम में रखी जावेंगी ? अगर रखी जावगी तो कहां कहां ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(१) राजस्थान सरकार बीकानेर डिविजन में होनेवाली ऐतिहासिक खुदाई से तथा वहां पर प्राप्त हुई ऐतिहासिक महत्व की सामग्री से भली भांति परिचित है । राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग के कुछ अधिकारी वहां खुदाई के समय गये थे और उन्होंने खुदाई करने वालों को उचित सहायता भी दी है ।

(२) हां, राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग के कुछ अधिकारियों को वहां भेजा था । उन्होंने वहां अनुसंधान कार्य किया था ।

(३) बीकानेर के वे स्थान जहां खुदाई हो रही है राष्ट्रीय महत्व के हैं । उन पर भारतीय सरकार का नियन्त्रण है । वहां से प्राप्त वस्तुयें पहले वहां ले जाई जायेंगी तदनन्तर उनका

[श्री भोलानाथ]

बटवारा भारतीय सरकार के पुरातत्व विभाग तथा राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग के बीच होगा। इस बटवारे के आधार पर जब वस्तुयें प्राप्त होंगी तब उनके प्रदर्शन के विचार से बीकानेर संग्रहालय को प्राथमिकता दी जायगी। जितनी सामग्री वहां प्रदर्शित हो सकेगी उतनी वहां होगी, शेष जयपुर, जोधपुर व उदयपुर आदि के बड़े बड़े पुरातत्व संग्रहालयों में प्रदर्शित की जायेंगी।

(४) इस विषय में भारत सरकार से लिखा पढ़ी चालू है।

प्रश्न संख्या १०८४

श्री **सरदारसिंह**--क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) राजपूताना युनिवर्सिटी की सन् १९५०, १९५१, १९५२ की हाई स्कूल की परीक्षा का नतीजा कितना कितना प्रतिशत रहा।

(२) इन स्कूलों में किन किन हाई स्कूलो के छात्र सर्व प्रथम रहे।

(३) क्या सरकार ने ऐसे छात्रों को कोई पारितोषिक देने का आयोजन किया है।

(४) अगर नहीं किया तो गवर्नमेण्ट का इस विषय में क्या विचार है।

श्री **भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)**—(१) सन् १९५० में ५५.०५ परसेन्ट।

सन् १९५१ में ५०.८ परसेन्ट।

सन् १९५२ में ४८.४ परसेन्ट।

(२) सन् १९५० में महाराजकुमार इन्टर कॉलेज, जोधपुर का, सन् १९५१ में सरदार हाई स्कूल, उनियारा का तथा सन् १९५२ में गवर्नमट इन्टर कॉलेज, श्री गंगानगर का।

(३) ऐसे छात्रों की पढाई जारी रखने के लिये राजपूताना विश्वविद्यालय द्वारा छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं और संबंधित कॉलेज द्वारा पारितोषिक दिया जाता है।

(४) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री **सरदारसिंह**—क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री मिर्धा जी ने जो यह कहा था कि उनियारा ठिकाने में एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है वह नाकाबिल है तो उनियारा सरदार हाई स्कूल में से हाल, युनिवर्सिटी में जो लड़का फर्स्ट आये तो क्या वह नाकाबिल है?

श्री **भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)**—इस प्रश्न का इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री **भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)**—क्या सरकार ने कभी यह हर साल गिरते हुए स्टेन्डर्ड के लिए अनुसन्धान करने का प्रयत्न किया है?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—यूनिवर्सिटी अपना स्टेन्डर्ड ऊंचा करती जा रही है।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—यूनिवर्सिटी अपना स्टेन्डर्ड ऊंचा करती जा रही है लेकिन लड़कों के पास होने का पर्सन्टेज दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार ने इस बारे में जानने का प्रयत्न किया है ?

श्री सरदारसिंह—क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनियारा हाई स्कूल से जब लड़का राजपूताना युनीवर्सिटी में फर्स्ट आया है तो वहां पर जो ठिकाने का एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके साथ में राजस्थान सरकार प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल होते हुए भी क्यों खोल रही है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—आप प्राइमरी स्कूल खोलने से नाराज हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि वह बन्द कर दिये जायं।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है।

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—इस संबंध में कोई विशेष जांच नहीं हुई है। अच्छी युनिवर्सिटी का रज़ल्ट इसी प्रकार होता है।

श्री सरदारसिंह—अर्ज करने का मेरा मतलब बन्द करने से नहीं है, लेकिन जहां मिडिल स्कूल है जिसमें १२२ लडके हैं तो आपके प्राइमरी स्कूल में जहां ४,५ या६ मास्टर हैं और लडके २६ ही हैं तो राजस्थान के पैसे का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—अगर आपकी इस प्रकार की रिपोर्ट सही है तो राजस्थान सरकार उस रुपये का दुरुपयोग होने से बचाने पर जरूर विचार करेगी।

श्री सरदारसिंह—मैं जानना चाहता हूं कि क्या संबधित विभाग अब देखने की कोशिश करेगा ?

प्रश्न संख्या १००५

श्री अध्यक्ष—श्री मानसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—मैं पूछ लूं साहब, यदि आप इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष—No. Next, Shri Madho Lal !

प्रश्न संख्या १००६

श्री माधोलाल खानपुरिया—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—(१) क्या सरकार को यह मालूम है कि झालावाड़ जिले में रबी की खड़ी फसलों का लगान जबरन किसानों से वसूल किया गया है ?

[श्री माधोलाल]

(२) क्या ऐसे आदेश जयपुर से गये हैं ?

(३) यदि झालावाड के कलेक्टर पर उसकी जिम्मेवारी है तो क्या उस पर सख्त एक्शन लिया जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—(१) जिला झालावाड में खडी फसलों का लगान किसानों से जबरन वसूल नहीं किया गया है। खरीफ की फसल अच्छी होने के कारण इस संबंध में नियमानुसार लगान वसूल किया गया है।

(२) इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

(३) अगर किसी एरिये में जहां रबी की खडी फसलों का लगान जबरन वसूल किया गया है तो इसकी छानबीन की जायगी।

श्री माधोलाल खानपुरिया—क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—करेगी, मैं अर्ज कर ही चुका हूं।

प्रश्न संख्या १००७

श्री भैरव लाल काला बादल—क्या स्वास्थ्य मंत्री नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) झालावाड जिले की खानपुर तहसील में कितनी डिस्पेन्सरीयां, औषधालय खोले गये हैं ?

(२) क्या सरकार छोटे २ ग्राम समूहों के मध्य ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये डिस्पेन्सरियां खोलने का विचार रखती है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ्य मंत्री)—(१) झालावाड जिले में खानपुर में एक डिस्पेन्सरी है और अन्य स्थानों में १४ आयुर्वेदिक औषधालय हैं।

(२) आर्थिक स्थिति ठीक होते ही प्रत्येक ५००० या उसके आस पास की जन संख्या के ग्रामों में डिस्पेन्सरियां खोलने का प्रस्ताव सरकार ने रखा है।

श्री भैरव लाल काला बादल—क्या १६ डिस्पेन्सरियां जो हैं उनके नाम बताये जा सकते हैं ?

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ्य मंत्री)—उनके नाम हाउस की टेबिल पर रख दिये जायेंगे।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—ये जो १६ डिस्पेन्सरियां हैं उनमें कितनों में वैद्य या कम्पाउन्डर है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ्य मंत्री)—यह तो तलाश करने पर बताया जा सकेगा। मैं समझता हूं कि सब जगह हैं।

प्रश्न संख्या १००८

महाराजा श्री तेजराजसिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—(१)—क्या सरकार के ध्यान में है कि गैता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा, में जो आयुर्वेदिक औषधालय है उसमें पिछले तीन साल से जो वैद्य काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले दो साल से उनके पास दवा कतई नहीं है।

(२) क्या यह सही है कि उनके शिकायत करने पर उन्हें संतोषप्रद जवाब नहीं मिला ?

(३) क्या पिछले तीन वर्ष में इस संस्थान का एक मुआयना किसी ने नहीं किया ?

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ्य मंत्री)—(१) गैता, जिला कोटा, तहसील पीपल्दा, में जो आयुर्वेदिक औषधालय है उसमें दो वैद्य नहीं हैं बल्कि एक वैद्य और एक कम्पाउन्डर है। पिछले दो सालों में दवा कतई नहीं गई हो, ऐसी बात तो नहीं है हां, दवा की कमी जरूर रही। वह कमी पूरी कर दी गई है।

(२) ऐसी कोई शिकायत सरकार के सामने नहीं आई है।

(३) डाइरेक्टर आयुर्वेदिक विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मुआयना नहीं हो सका है। अब इन्सपेक्टर आयुर्वेदिक को मुआयने के लिये आदेश दे दिया गया है।

महाराजा श्री तेजराजसिंह—क्या यह दवा प्रश्न करने के बाद भेजी गई ?

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ्य मंत्री)—दवा तो जरूरत के मुताबिक भेजी गई है। प्रश्न के बाद तो जवाब भेजा गया है ?

श्री हिम्मत सिंह (अटरू)—कितने तोला भेजी गई ?

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ्य मंत्री)—वह तो आपको तोलकर बताया जा सकता है।

श्री सरदार सिंह—क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि उनियारे में आयुर्वेदिक औषधालय में जो वैद्य हैं उन्होंने जब दवा के लिये एप्लाई किया था कि यह दवा भिजवाई जाय तो उनके पास उत्तर आया कि तुम्हें एप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, हमको जरूरत पड़ेगी तो दवा भेज देंगे, क्या यह बात सही है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ्य मंत्री)—(अश्रव्य)

प्रश्न संख्या १००९

श्री सरदार सिंह—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में संस्कृत पाठशालायें कितनी हैं ?

(२) उनमें कितनी गवर्नमेंट से चलाई जाती हैं और कितनी अन्य संस्थाओं से ?

(३) इन संस्थाओं को चलाने में सरकार के क्या उद्देश्य हैं ?

Page No.16

[श्री सरदारसिंह]

(४) क्या इतनी कम पाठशालाओं से गवर्नमेंट के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है ?

(५) यदि नहीं, तो क्या गवर्नमेंट अधिक संस्कृत पाठशालायें खोलने के संबंध में सोच रही है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(१) राजस्थान में इस समय १९५२-५३ मे १०० संस्कृत पाठशालायें हैं ।

(२) इनमे २५ राजकीय हैं और ७५ अन्य संस्थाओं की हैं, कुल १०० हैं । उनमें से २९ राजकीय सहायता प्राप्त हैं ।

(३) इन संस्थाओं को चलाने का सरकार का उद्देश्य संस्कृत साहित्य को उन्नत करने का है वह राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय हित से उपयोगी है । संस्कृत के बिना भारतीय संस्कृति का संरक्षण व पोषण नहीं हो सकता है । भारतीय भाषायें, मुख्यत : हिन्दी भाषा बिना संस्कृत के उन्नत नहीं हो सकती है ।

(४) इतनी न्यून पाठशालाओं से यद्यपि सरकार का उद्देश्य पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो सकता है, परन्तु शनै २ जैसे जैसे धन राशि उपलब्ध होती रहती है, वैसे वैसे पाठशालायें के वृद्धि की पूर्ण प्रकार से चेष्टा की जाती है ।

(५) संस्कृत भाषा की उन्नति केहेतु विचार करने के लिये सरकार ने सन् १९५१में एक समिति का निर्माण किया था, जिसकी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त सरकार संस्कृत पाठशालाओं को राजपूताना विश्वविद्यालय से संबंधित करने केहेतु विचार कर रही है, जिससे संस्कृत की परीक्षाओं की मान्यता हो जाय ।

श्री सरदार सिंह—क्या मंत्री महोदय, जो कमेटी नियुक्त हुई थी उसके सदस्यों के नाम बताने की कृपा करेंगे ।

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—इस समय मेरे पास सूची नहीं है । अगर आप चाहेंगे तो मैं पेश कर दूंगा ।

श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ)—भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान में संस्कृत का अध्ययन जरूरी समझते हैं तो क्या सरकार जब स्कूलों में संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य करेगी ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—स्कूलों में ऑपशनल के तरीके पर संस्कृत है । अनिवार्य रूप से करने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ)—इसमें सरकार को क्या अडचन पैदा होती है ।

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—सारे छात्रों को पढ़ने में जोर पडता है ।

Page No.17

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—जहां छात्रों की दरख्वास्त हो कि संस्कृत अनिवार्य रूप से लागू कर दी जाय तो वहां क्या आपत्ति है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—उनके सामने तो ऑप्शन पहले से ही है ।

प्रश्न संख्या १०१०

श्री अध्यक्ष—श्री संतोषसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १०११

श्री अध्यक्ष—Question No. 1011 will be taken tomorrow.

प्रश्न संख्या १०१२

श्री मोटाराम—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

सिवाना तहसील में सैटलमेन्ट हो जाने पर भी पर्चे क्यों नहीं तकसीम हो रहे हैं और मांग होने पर भी बिघोडी क्यों नहीं शुरू की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—सिवाना तहसील की रेन्ट रिपोर्ट अभी तक राजस्थान भूमि प्रबन्धक के विचाराधीन है । उनके विचार के पश्चात् वह रिपोर्ट भूमि प्रबन्धक के द्वारा राजस्थान सरकार के पास भेजी जायगी । सरकार इस पर तमाम आवश्यक कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए उसे मंजूर करेगी । स्वीकृति आने के बाद सिवाना तहसील में पर्चियों के वितरण का कार्य अत्यन्त शीघ्र होगा ।

एक सदस्य—कुछ एक प्रश्न और रह गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—वे कल लिये जायंगे ।

श्री जसवन्तसिंह—Will the Minister for Education be pleased to state:—

(1) Whether it is a fact that Mr. Mohan Lal, Head Master, Government Middle School, Napasar, Bikaner Division, has opened a rival private school for coaching students for Punjab Matriculation Examination ?

(2) Whether he charges Rs. 35/- for each student ?

(3) Whether the Head Master accompanied the boys this year to the Examination Centre ?

(4) Whether the Head Master has got as many as nine tuitions of VIII Class ?

[श्री जसवन्तसिंह]

(5) Whether the teachers of this school have too many tuitions to the detriment of school work ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)--(१) नहीं। यह हैडमास्टर कोई प्राइवेट स्कूल तो नहीं चला रहा है, पर पंजाब मेट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कुछ विद्यार्थियों को ट्यूशन से पढ़ाता है, ऐसा मालूम हुआ है ।

(२) यह मालूम हुआ है कि वह ऐसे विद्यार्थियों से पढ़ाने का एवजाना लेता है। कितना एवजाना लेता है, इस विषय में जांच हो रही है ।

(३) इस वर्ष की पंजाब मेट्रिक परीक्षा के समय पर यह हैडमास्टर छुट्टी पर जरूर था जिससे सन्देह होता है कि वह परीक्षार्थियों के साथ गया था। निश्चित मत इस विषय में इस वक्त इसलिये प्रकट नहीं किया जा सकता कि मामले की जांच नियमानुसार एक विभागीय अफसर द्वारा की जा रही है ।

(४) हैडमास्टर के खिलाफ अनधिकृत ट्यूशनें करने की शिकायत अवश्य है जिसकी जांच हो रही है ।

(५) हां, ऐसे अध्यापकों के विरुद्ध महकमाना कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न संख्या १०१४

श्री अध्यक्ष--श्री मोतीराम ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०१५

श्री महाराजा तेजसिंह--क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या तहसील पीपल्दा (डिस्ट्रिक्ट कोटा) में कोई शफाखाना मवेशियान नहीं है ।

(२) क्या यह सही है कि सीसवाली जो कि २५ माइल के फासले पर है और जहां जनता को मवेशियान इलाज के वास्ते ले जाने पड़ते हैं ?

(३) क्या पब्लिक की असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए गैता में, जो इस तहसील के सेन्टर में स्थित है एक शफाखाना मवेशियान खोलने का सरकार विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री)--(१) नहीं है ।

(२) हां, जनता को मवेशी वहां लाने पड़ते हैं। लेकिन हमारे विभाग के स्टॉकमन जो कि सीसवाली डिस्पेन्सरी में हैं, महीने में १५ रोज गांवों में घूम घूम कर दौरा करते और मवेशी का इलाज

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]
गांवों में करते हैं। अगर किसी गांव में छूतदार बिमारी फैलती है तो उसकी इत्तला होते ही फौरन इलाज गांव में जा कर किया जाता है।

(३) इसकी मांग आने पर सरकार जरूर गौर करेगी।

श्री महाराज तेजसिंह—क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि यह लोग दौरा नहीं करते हैं। और जो आपने फरमाया है कि दौरा करते हैं, अगर साबित कर दिया जाय कि वे दौरा नहीं करते हैं तो क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री)—उनको आदेश है कि वे दौरा करें अपने सर्किल्स (Circles) के चारों तरफ के गांवों में १५ रोज तक का दौरा करें। जहां वे नियमों का उल्लंघन कर रहे होंगे वहां उसके अनुसार ही उन पर कार्यवाही करेंगे।

श्री जवानसिंह—क्या दौरे जहां एपीडेमिक (epidemic) होती है वहीं किये जाते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री)—जी नहीं। एपिडेमिक होती है तो विशेष तोर से और ज्यादा एपिडेमिक हो तो वहां पर दूसरी जगह से भी लोगों को बुलाकर भेजा जाता है। यह तो, जहां अपना सर्किल (Circle) है वहीं लगातार इस बात के लिये दौरा करना आवश्यक है।

श्री रघुराजसिंह—क्या दौरे की डायरी सबमिट (submit) नहीं की जाती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री)—उनसे ऊपर के जो अधिकारी हैं उन्हें पेश की जाती है।

श्री जवानसिंह—क्या यह बात सही है कि उन लोगों को टी.ए. नहीं दिया जाता है इसलिये वे लोग दौरा नहीं कर सकते ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—उनके लिये दौरा करना आवश्यक है। उनको टी. ए. नहीं दिया जाता इसलिये वे दौरा नहीं करते, ऐसी बात सरकार के नोटिस में नहीं आई है।

श्री हिम्मतसिंह—क्या उन लोगों का टी. ए. तनख्वाह में शामिल है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—टी. ए. तनख्वाह में शामिल नहीं होता ?

श्री जवानसिंह—फिर उन लोगों को टी.ए. दिया क्यों नहीं जाता ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसी कोई शिकायत मेरे सामने नहीं लाई गई, आज सबसे पहले आपसे सुन रहा हूं।

श्री जसवन्तसिंह—क्या ऐसे अधिकारी भी हुआ करते हैं जिनकी तनख्वाह के साथ साथ टी. ए. भी फिक्स कर दिया जाता है ताकि वे लोग महीने में कम से कम ८,१० दिन कम्पलसरी (Compulsory तौर से दौरा करें ही ?

Page No.20

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—हां, ऐसे अधिकारी भी हैं।

श्री **जवानसिंह**—मैंने यह बात रखी है कि वे अधिकारी टी.ए. नहीं मिलने के कारण दौरा नहीं करते हैं, क्या इसे कम्पलेंट (complaint) के रूप में स्वीकृत किया जायगा ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—यदि निश्चित तरीके से बतायेंगे तो इसके मुतल्लिक जांच की जायगी।

श्री **जवानसिंह**—मैंने निश्चित रूप से ही यह शिकायत रखी है।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—जांच अवश्य की जायगी।

विधान—कार्य

राजस्थान भूमि संक्षेप बन्दोबस्त विधेयक, १९५२

श्री **अध्यक्ष**—Legislative Business, remaining clauses of Rajasthan Land Summary Settlement Bill.

We had passed Clause 12 of the Bill upto now. We now come to Clause 13. Amendments by Shri Bhairon Singh.

श्री **भैरूं सिंह (दांता रामगढ)**—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज में श्री भीमसिंह जी का एक अमेन्डमेंट इस क्लॉज को ही डिलीट करने का है। ऐसी सूरत में उस अमेन्डमेन्ट को पहले ले लिया जाय तो ठीक होगा।

श्री **अध्यक्ष**—श्री भीमसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री **भैरूं सिंह (दांता रामगढ)**—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज १३ के सब-क्लाज में मेरा अमेन्डमेंट इस प्रकार है:—

"Insert the words 'if available' from the employees of the Land holder, after the word 'staff' and before the word 'for' occurring in line two of sub-clause (1)"

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज के द्वारा सरकार के पास यह अधिकार दिया गया है कि यदि सरकार इस कानून के अन्तर्गत की गई कार्यवाहियों का रेकार्ड रखना चाहें इस काम के लिये वह पटवारियों के ओहदे पर कर्मचारी नियुक्त कर सकती है। मैं समझता हूं कि ऐसा रेकार्ड मेन्टेन करने के लिये पटवारियों की नियुक्ति आवश्यक है। पर मुझे निवेदन यह करना है कि राजस्थान में जागीरी समाप्ति का जागीरदारों पर तो असर होगा ही परन्तु उनके साथ साथ जागीरों में कई वर्षों से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके भी बेरोजगार हो जाने से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। राजस्थान सरकार वैसे ही राजस्थान

[श्री भैरूंसिंह (१६)]
में उद्योग धंधों की कमी के कारण बेरोजगारी की समस्या को ठीक प्रकार से हल करने में अपने आपको असमर्थ पाती है। ऐसी सूरत में जागीरदारों के यहां जो लोग वर्षों से काम कर रहे हैं उनको बेरोजगार कर दिया गया तो इस बेरोजगारी से राजस्थान की बेरोजगारी की समस्या और भी गम्भीर हो जायगी और ऐसी परिस्थिति राजस्थान सरकार के सामने आई तो राजस्थान सरकार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इन लोगों को यदि राजस्थान सरकार जिस तरह से जागीरों का पुनर्ग्रहण करती जाय उसी तरह से काम पर लगा दे तो इससे आगे जो यह जटिल समस्या राजस्थान सरकार के सामने आने वाली है वह टल जायगी।

इस संशोधन के अनुसार राजस्थान सरकार जब भी पटवारियों को नियुक्त करना चाहे तो ठिकाने के आदमियों को पटवारी मुकर्रर कर दे। जागीरों मे रेवेन्यु का काम चलता आ रहा है और ठिकानों के कर्मचारी रेवेन्यु वर्क में पटवारियों से किसी तरह कम नहीं हैं। जब ठिकानों में रेवेन्यु के काम को जानने वाले योग्य कर्मचारी मिल सकते हैं तो उन्ही को क्यों नहीं पटवारी के ओहदे पर काम करने का मौका दिया जाय। राजस्थान स्टेट Grants land टेन्योर एक्ट की धारा ६७ के द्वारा भी इस तरह का जो अधिकार दिया गया है वह इस प्रकार है :—

राजस्थान स्टेट Grants Land टेन्योर एक्ट की धारा ६७ का सब-क्लाज २ इस प्रकार है:—

"(2) Such appointment may, with the approval of the Deputy Commissioner be made be a State Grantee if the patwari circle lies wholly within his State Grant; provided that he shall not exercise such power if the State grant is for the time being under the direct management of Government."

जब राजस्थान स्टेट Grants Land टेन्योर एक्ट इस बात का अधिकार देता है कि अपने क्षेत्र मे पटवारी की नियुक्ति करना चाहे तो सब ग्रान्टी भी अपनी मर्जी के कर्मचारी नियुक्त करने का अधिकार दिया जाय।

इस संबंध में मैं जो दूसरी चीज पेश करना चाहता हूं वह यह है कि मध्य भारत, राजस्थान जागीर एबोलिशन कमेटी, जिसकी सिफ़ारिशों पर राजस्थान सरकार ने यह लेंड समेरी सेटलमेन्ट बिल इन्ट्रोड्यूस किया है उसमें भी जो लिखा है मैं पढ़ कर सुनाता हूं :—

Page 60, paragraph 6 (1) :—

"The Rajasthan Government should appoint patwaries in Jagir areas as early as this can be done. There is an urgent need to maintain Governmental agency in Jagir villages as none exist at present. The task of maintaing record of rights and preparations of agricultural statistics is a matter of immediate necessity. There are about 3,450 Patwaries in the Khalsa villages of Rajasthan. We understand that on the existing Khalsa basis about 6,000 patwaries will be required for the Jagir areas. It will not be an easy task to find this number immediately. Special measures will have to be taken for the training of

[श्री भैरूंसिंह (१६)]

the required number of Patwaris. We expect that this matter will receive the earnest consideration of the Rajasthan Government. Wherever Jagirdars employees, if qualified or properly trained, are available they may also be employed.''

इसलिये जिस कमेटी की सिफारिश पर सबे काम किया गया है उसी ने यह सिफारिश की है कि ठिकानों के कर्मचारियों को, जो अवेलेबल हों और काम करने के उपयुक्त हों उनको पटवारी नियुक्त कर दिया जाय। तो इस तरह मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने से यह बेरोजगारी की समस्या हल हो जायगी। मुझे आशा है कि राजस्थान की बढ़ती हुई बेरोजगारी को दृष्टि में रखते हुए मेरे इस संशोधन को स्वीकार किया जायगा जिससे बेरोजगारी के इस जमाने में जागीरों के कर्मचारी कुछ संरक्षण पा सकेंगे।

श्री भैरूंसिंह (केलवा)—माननीय अध्यक्ष, जो संशोधन श्री भैरूंसिंह जी ने सदन में पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे फोर्मर राजस्थान में जब जागीर रिजम्प्शन हुआ था उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि तमाम ठिकानों के कामदार, पटवारी आदि कर्मचारी हैं, उनको भी नियुक्त किया जावेगा और उन सबों से काम लिया जावेगा। लेकिन हम देखते हैं कि सरकार की पोलिसी उस रिजम्प्शन के बाद बिलकुल बदल गई है और वहां के पटवारी और दूसरे ठिकानों के कर्मचारी भूखों मर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस संबन्ध में कई बार हाउस में प्रश्न भी पूछे गये तो उनका जबाब गोलमाल और टालमटोल में मिला कि वे योग्य नहीं हैं। लेकिन उन की योग्यता और अयोग्यता का कोई इम्तिहान नहीं लिया गया और न कभी इस बात का खयाल किया गया कि वे लोग योग्य हैं या नहीं। फोर्मर राजस्थान में बहुत से ठिकाने ऐसे थे जो काफी अच्छा स्टाफ रखते थे। लेकिन चूंकि वे ठिकाने के नौकर थे इसलिये उनको यह कहा गया कि तुम ठिकाने के हो, तुम्हारे लिये कोई जगह नहीं। जो ऑब्जेक्शन आज माननीय श्री भैरूंसिंहजी उठा रहे हैं वह दरअसल वाजिब है और नये सेट्लमेन्ट में नये नये पटवारी मुकर्रर किये जा रहे हैं और ठिकाने के पटवारीयों को कोई जगह नहीं दी जा रही है। इसी प्रकार जो लोग वहां ठिकानों में काम करते थे उनको पेन्शन मिलनी चाहिये, लेकिन उनको भी सरकार ने यह कह कि तुम पेन्शन के हकदार नहीं हो। इसी नीति से साफ जाहिर होता है कि सरकार जागीरों के साथ साथ पटवारी और दूसरे कार्यकर्त्ताओं (कर्मचारियों) को भी समाप्त करना चाहती है। हमारी समझ में नहीं आता कि सरकार जागीरों को तो खतम करना चाहती ही है लेकिन जागीरों के साथ साथ उनके कर्मचारियों को भी खत्म करने में सरकार को क्या आनन्द आता है? सरकार की यह मनोवृत्ति बहुत खराब है। वे भी सरकार के लिए जनता हैं। जहां तक हो सके सरकार को उन लोगों को वहीं जगह देनी चाहिये क्योंकि वे लोग वहां की लोकल कन्डीशन से वाकिफ होते हैं और सरकार को ज्यादा सहयोग दे सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि ठिकानों के पटवारी और कर्मचारियों के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेन्ट (step motherly treatment) किया जाता है। हम पर तो, हम यह समझते हैं कि जागीर रिज़म्प्शन के बाद, कोर्ट ओफ वार्ड्स है और कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। मगर अब जो कॉम्प्रोमाइज (compromise) मारवाड़ में होने वाला है उसमें मैं यह अर्ज करूंगा कि वहां के पटवारियों और कर्मचारियों को ध्यान में रखा जावे।

श्री कानसिंह—माननीय अध्यक्ष, सदन के सामने जो एमेन्डमेन्ट श्री भैंरूंसिंह जी ने रखा है वह तमाम इलाकों की और बेरोजगारी की हालत को देखते हुए बहुत ही मुनासिब मालूम होता है। इस वक्त ठिकानों में पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार या तहसीलदार के ग्रेड के जितने भी काम करने वाले हैं उनको अगर कोई रोजगार नहीं दिया जावेगा तो उनका ध्यान दूसरी तरफ जावेगा और वे दूसरी पार्टी से मिल जावेंगे। हमारे प्रान्त में आज बेरोजगारी की बडी भारी समस्या है और ठिकानों के रिजम्पशन के बाद यह समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। ठिकानों में ,आज कई कर्मचारी काम कर रहे हैं और कई सालों से काम कर रहे हैं और अपने कामों से भलीभांति जानकारी रखते हैं। ऐसी हालत में उनके पास काम न रख कर दूसरे नये नये आदमियों को भर्ती करना और पुराने आदमियों को बेरोजगार बनाना, बिल्कुल ही अनुचित है। इससे काम में बहुत नुकसान होगा क्योंकि नये आदमी काम को इतना अच्छी तरह से नहीं जान सकते जितना कि पुराने जानकारी रखते हैं। ऐसी हालत में जब कि हमारे पास काम के जानने वाले मौजूद हैं तो पहले उनको मौका दिया जाना चाहिये, ऐसा नहीं होना चाहिये कि बिला वजह पुरानों को नहीं रखा जावे और नयों को रखा जावे। सरकार ने अभी जो इन्टिग्रेशन किया है और मैं समझता हूं कि अभी तक वह भी पूरा नहीं हुआ है उसमें बहुत से सरप्लस कर्मचारी भी हैं जिनको सरकार अभी तक तनख्वाह दे रही है। जब सरकारी नौकरों के साथ यह सुलूक किया जा रहा है कि उनको घर बैठे तनख्वाह दी जा रही है और ठिकाने के कर्मचारियों को बिना वजह निकाला जा रहा है तो यह बडा अन्याय है। महज इसलिये कि वे ठिकाने में नौकरी करते थे, वे निकाल दिये जावें, मेरे ख्याल से यह अन्याय होगा। इन शब्दों के साथ में उनके एमेन्डमेन्ट का समर्थन करता हूं।

श्री किशनलाल शाह—माननीय अध्यक्ष, जो प्रस्ताव अभी सदन के सामने आया है उस पर काफी दलील दी गई हैं और यह कहा गया है कि ठिकाने के कर्मचारियों के प्रति अन्याय हुआ है। मैं इस तथ्य को अस्वीकार नहीं करता कि मानवता के आधार पर उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मानवता के नाते उनकी तरफ ध्यान देना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय, यह साफ है कि जहां तक जमीन का प्रश्न है और जमीन के प्रश्न में भी सेटलमेन्ट का प्रश्न है और वह भी इस सूरत में जब कि अभी तक जमीन के उपयोग के सारे सामान जागीरदारों के पक्ष में हैं ऐसी सूरत में सरकार को निश्चित तौर से काफी सतर्कता से काम लेना है और जिस तरह के संशोधन का वहां के पटवारियों से और दूसरे कर्मचारियों से काम लिया जावे, पास कर दिया जावेगा तो यह मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि वह खतरे से खाली नहीं होगा। यह पुराने सेटलमेन्ट का अनुभव है। किस प्रकार जागीरों में काम करने वाले झूठे और सच्चे आंकडे तैयार करके लाते हैं, यह सब हाउस के सामने है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह संशोधन कतई ना मजूर कर दिया जाना चाहिये।

कर्नल श्री दलीपसिंह—माननीय अध्यक्ष, श्री भैरूंसिंहजी ने जो संशोधन पेश किया है उसकी मैं ताईद करता हूं और मि० शाहजी ने भी जो बातें फरमाई इसके लिये भी मैं संक्षेप में कहूंगा और सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा, उन बातों को दौहरा कर, जो पहले कही जा चुकी हैं। शाहजी ने फरमाया कि ठिकाने के पटवारी झूठे नाम तैयार करते हैं। मगर मैं कहूंगा कि मि० शाह को मालूम होना चाहिये कि उन लोगों को झूठ बोलने और झूठे नामें बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि

[कर्नल श्री दलीपसिंह]

जागीरदारी प्रथा ही समाप्त हो जावेगी । इसके अलावा उन लोगों को, जहां के वे रहने वाले हैं, वहां पर नहीं रखना चाहिये । जैसे 'ए' के रहने वाले "सी या डी" में रख दिये जावें ताकि उनको किसी प्रकार की गड़बड़ी करने का मौका नहीं मिलेगा । यदि उनको कहीं पर नहीं रखा जावेगा तो वे ऐसी पार्टी में जावेंगे जो गवर्नमेन्ट के खिलाफ होगी और वे कोई दूसरा काम शुरु करेंगे । जो लोग जागीरों में नौकर थे और वहां से निकल जावें उनको भी सरकार पेन्शन दे । एक सवाल मैंने पहले उठाया था कि पेन्शन क्यों नहीं मिलती तब यह कहा गया कि जागीरदारों के यहां से उनको पेन्शन रूल नहीं हैं । जागीरदारों के यहां तो कोई पेन्शन के रूल्स आदि नहीं थे और इसके अलावा कोई जागीर बड़ी थी और कोई छोटी थी । मगर जागीरों में भी यह हुआ करता था कि पेन्शन रूल्स नहीं होते हुए भी जब वहां का काम करने वाला बुढ्ढा हो जाता था तो ठिकाने की हैसियत के मुआफिक उसको परवरिश दी जाती थी ।

इसलिये मुझे अर्ज यह करना है कि जो पटवारी खाली हुए हैं उनके लिये एक कमेटी मुकर्रर की जाय ताकि वह कमेटी उनका इम्तिहान ले, राज्य के जो प्रेजेन्ट पटवारियों से अगर वे अच्छे हों तो उनको रखा जाय ।

दूसरी बात मुझे यह अर्ज करना है कि तमाम कलेक्टर्स से रिपोर्ट मंगाई जाय कि राज्य के जो प्रेजेन्ट पटवारी हैं उनमें से कितने क्वालिफाईड हैं और कितने नहीं हैं । मैं दो कलेक्टर्स, जयपुर और उदयपुर डिस्ट्रिक्टस, से मिला था । उन्होंने फरमाया था कि वे कम से कम तीन-चार पटवारियों को सस्पेन्ड कर चुके हैं । उन पटवारियों को यह मालूम नहीं है कि यह खाता किसका है और किसके खाते में यह जाना चाहिये । वे पानड़ियों के अन्दर, जिसको जयपुर में पत्तियां कहा जाता है, दूसरों के नाम दर्ज कर देते हैं । आप मेवाड़ के सेटलमेन्ट का ही उदाहरण ले लीजिये । वहां पर पुराने पटवारी हैं और उनकी कोई गड़बड़ी आपको नहीं मिलेगी और यदि आप यह साबित कर दें कि ये पटवारी जागीरदारों के पटवारी रह चुके हैं और महज इस वजह से कोई नक्शे वगैरह में गड़बड़ी हो जायगी, मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं । उनको सेटलमेन्ट का तजुर्बा है और यह तजुर्बा जोधपुर से हासिल किया हुआ है जो कि महाराजा उम्मेदसिंहजी के वक्त का है । अतः मैं निवेदन करूंगा कि प्रेजेन्ट पटवारी जो नये रखे गये हैं पुराने पटवारियों से अच्छे नहीं हैं और यह मैंने खुद जाकर देखा है । हमारे यहां के पटवारियों को अवश्य लिया जाना चाहिये ।

श्री जसवन्तसिंह—श्रीमान् अध्यक्षजी, मुझे इस विषय पर ज्यादा नहीं कहना है । मैं सिर्फ दो-चार शब्द ही श्री भैरूंसिंह जी के प्रस्ताव के समर्थन में कहूंगा । सिर्फ हमें सैद्धान्तिक रूप से बुनियादी एतराज यह है कि जागीरदारों के जो पटवारी हैं उनके प्रति प्रेजुडिस्ड तरीके से क्यों सोचा जाता है? उनके लिये अगर यह सोचा जाय कि वे राज्य के जो पटवारी हैं उनसे किसी भी हालत में अधिक योग्यता नहीं रखते हैं तो ठीक नहीं । मैं समझता हूं कि यह बिलकुल गलत बात होगी यदि ऐसा ही सोचा जाता है । इसके साथ ही साथ यह भी सोचा जाय कि वे चूंकि जागीरदारों को फेवर (favour) करेंगे इसलिये भी उनको जगह नहीं दी जाय । अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह बिलकुल

Page No.25

[श्री जसवन्तसिंह]

गलत बात होगी और यह डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिये जो काम हो रहा है उसको ठेस पहुंचाने वाली होगी। इस विषय पर मेरे कई साथियों ने कहा है कि पुराने पटवारी हैं वे अयोग्य हैं, बेईमान हैं और वे राज्य के जो प्रेजेन्ट पटवारी हैं उनके मुकाबले में काम नहीं कर सकते। तो मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि अगर वे बेईमान हैं, अयोग्य हैं तो आप उनको हटा दीजिये, किन्तु उनको मौका अवश्य दीजिये। अगर मौका नहीं देंगें तो आप ऐसे रास्ते पर चल पड़ेंगे कि उस संस्था के साथ आपके द्वारा बड़ा भारी अन्याय हो जायगा और जो हमारे लिये बड़े दुख की बात होगी।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, जो अमेन्डमेन्ट श्री भैरूं-सिंहजी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें कहा गया है कि यह क्वालिफाइड पटवारी रखने का अमेन्डमेन्ट नहीं है। उनका अमेन्डमेन्ट यह है कि "If available from the employees of the land holder" इससे उनका इशारा इस ओर था कि कोई भी कामदार किसी भी सर्विस में हो उसको राज्य की सर्विस में स्थान देना चाहिये जिससे अनएम्पलोयमेन्ट (unemployment) न फैले। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को अलग तरह से सोचा जाना चाहिये। समेरी सेटलमेन्ट के जरिये सेटलमेन्ट में, पटवारी रखने का जहां तक सवाल है उसके साथ एम्पलोयमेन्ट के सवाल को जोड़ना ठीक नहीं है। अब रहा सवाल उन लोगों का जिनको जागीरदारों ने रखा है और जो क्वालीफाइड हैं और ऐसी जगह जहां कि आम तौर पर सेटलमेन्ट नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कम उदाहरण हैं। आमतौर पर वे रखे हुए ही हैं। जहां सेटलमेन्ट हुआ है वहां पटवारियों का अपोइन्ट-मेन्ट हुआ है। लेकिन जागीरदार रिजम्पशन के बाद पुराने राजस्थान का उदाहरण देकर इस बात को कहा गया है कि जागीर के जो एम्प्लोईज (employees) हैं उनको स्थान नहीं दिया जाता है। मैं आपसे कहूंगा कि कानून के अन्दर स्थान देना एक अलग बात है और उनकी योग्यता और आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए उनको स्थान देना दूसरी बात है। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सदन को बता देना चाहता हूं कि पुराने राजस्थान में ठिकाने के पुराने कर्म-चारियों को सेशनजज, आर. ए. एस., एस. डी. ओ. और तहसील दार और नायब तहसीलदार के पदों पर स्थान दिया गया और वे उन स्थानों पर, पद पर वे काम कर रहे हैं। यह कहना कि उनको कोई स्थान नहीं दिया गया, गलत है। इसके बाद फिर यह विचार करना कि कानून के जरिये उनको स्थान दिया जाना चाहिये, मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त नहीं है। इसलिये कानून में इस धारा द्वारा जो संशोधन रखा गया है उसको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। योग्यता और सरकार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो जागीर के कर्मचारी होंगे उनके लिये भी उचित स्थान रहेगा, यह मैं कह सकता हूं।

श्री **भैरूंसिंह** (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, मेरे संशोधन पर सरकारी पक्ष की ओर से श्रीमान् राजस्व मन्त्री व श्री शाह ने अपनी अपनी अलग अलग बातें बताई हैं। श्री शाह ने तो यहां तक कह दिया कि ठिकाने के कर्मचारियों को सेटलमेन्ट जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लिया गया तो बहुत मुमकिन है कि वे जागीरदारों द्वारा पले हुए होने के कारण काफी गड़बड़ियां करेंगे और उनको मदद देंगे। उनका यह आक्षेप गलत है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि मानवता के नाते

Page No.26

[श्री भैरोंसिह (१६)]
यह सिद्धान्त मंजूर करने के लायक है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मानवता के नाते उस सिद्धान्त को भी सोचा जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पर नहीं है और उसके लिये कल्पना बना दी जाय कि यह जागीरदार का पक्ष लेगें, यह कभी भी उचित नहीं है। यदि मैं यह कहूं कि श्री शाह को यदि मन्त्रीमण्डल में ले लिया गया तो बड़ी गड़बड़ियां करेंगे तो यह मेरे लिये उचित नहीं होगा क्योंकि श्री शाह जब मन्त्री मण्डल में आये ही नहीं है तो उनके लिये कल्पना करना कि वे गड़बड़ियां करेंगे उचित प्रतीत नहीं होता। उसी तरह..........

श्री किशनलाल शाह—चूहे को बिल खोदते देखा है।

श्री भैरूंसिह (दांता रामगढ)—अतः इस प्रकार की कल्पना करना ठीक नहीं है। दूसरा माननीय मन्त्रीजी ने यह बताया है कि अमेन्डमेन्ट में "If available from the employees of the landholder" ठीक नहीं है। मैं यह कहूंगा कि सारी चीजें इस "अवेलेबल" शब्द में आ जाती हैं। यदि योग्य हों, क्वालिफाइड हों और मिलते हों तो उनको स्थान दिया जाना चाहिये। इस "अवेलेबल" शब्द का यही अभिप्राय है। क्वालिफिकेशन्स के बिना पटवारी की नियुक्ति नहीं होगी, यह मानी हुई चीज है। यह पटवारी के साथ "अवेलेबल" शब्द है। कौन "अवेलेबल" होगा ? पटवारी। "अवेलेबल" शब्द ऐसा है कि कामदार ठिकाना जो पटवारी के लिए अवेलेबल होगा और जो क्वालिफाइड होगा वही लिया जावेगा और यह कानून में रहना चाहिये। इस अमेन्डमेन्ट की यही मंशा है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, श्री भैरूंसिह जी ने सदन के सामने जो बातें रक्खी है उनको सुनने के बाद भी मैं अपनी राय बदलने में असमर्थ हूं। यह शब्द "अवेलेबल" स्पष्ट है। अवेलेबल का मतलब क्वालिफाइड नहीं लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—I put it to vote. The question is that Amendment No. 33 to sub-clause 13 (1) be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

Now we take sub-clause (2) to Clause 13. There is one amendment by Shri Bhairon Singh and the other to be moved by Shri Lal Singh in the absence of Shri Bhim Singh.

श्री भैरूंसिह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज १३ (२) में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है :—

[श्री भैरोंसिंह (१६)]

"Insert the words 'with an income exceeding rupees 5,000 after the word 'area' and before the word 'shall' in line five of sub-clause (2)."

माननीय अध्यक्ष, जब इस सदन में इस क्लाज पर विचार किया जा रहा था तो मैंने इस सशोधन के समर्थन में कुछ कहा था और मैं चाहता था कि इन बातों को दोहराऊं। मैंने इस संशोधन को वापिस ले लिया था, माननीय मंत्री के इस आश्वाशन दिलाये जाने पर कि श्री खेतसिंह जी के अमेन्डमेन्ट के जरिये इस क्लाज मे प्रोविजो आ जाता है और मेरे संशोधन की मंशा पूरी होजाती है। मुझे यह मालूम है कि माननीय मंत्री जी की यह मंशा जरूर है कि पांच हजार से नीचे की आमदनी वाले भोमियों को इस खर्च से मुक्त रखा जाय। मेरा संशोधन प्रोविजो में आ जाता है किन्तु उसका मकसद सारा का सारा पूरा नहीं होता है और वह प्रोविजो इस क्लाज में नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर भी वे सोचें इससे पांच हजार से नीचे के छोटे जागीरदार हैं उनको उनकी साधारण आर्थिक स्थिति में राहत मिलेगी। मैं इस संम्बन्ध में ज्यादा न कह कर माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस अमेन्डमेन्ट को मंजूर करके सद्भावना का परिचय दें।

श्री अध्यक्ष—श्री लालसिंह जी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मेरे पास श्री लालसिंह जी के किसी अमेन्डमेन्ट की सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—This is only the amendment of Shri Bhim Singh and I have allowed it.

श्री लालसिंह शक्तावत—[श्री भीमसिंह का संशोधन इस प्रकार है "Sub-clause (2) may be deleted."]

अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन से यह निवेदन है कि हमको कुछ बातों के लिये पुराने विचारों को बदलने की आवश्यकता है। जो स्थिति बदल गई है उसको ध्यान में रखते हुए कानून बनाना चाहिये।

सब क्लॉज (२) इस बाबत है कि जो रेकार्ड के स्टाफ को गवर्नमेन्ट, बन्दोबस्त होने के बाद मुकर्रर करेगी उसका खर्चा, पटवारियों वगैरह का, उन लोगों से वसूल किया जावे जिनकी जागीरें या जमींदारियां हों।

इसके लिये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब जागीरदारों का नाम लेना उचित नहीं है। इससे मेरा मतलब यह है कि जहां तक गवर्नमेन्ट का सम्बन्ध है उन्होंने गये साल १८ फरवरी से यह कानून पास कर दिया है कि कोई जागीरदार या जागीर इस प्रदेश में नहीं है। जागीरी पुनर्ग्रहण का कानून पास हो चुका है और अब उसके मुआफिक कार्यवाही चल रही है। कुछ लोग ऐसा जरूर कहते हैं कि

[श्रीलालसिंह शक्तावत]

इस कानून के विरुद्ध कोर्ट में रिटें दायर कर रखी हैं। मैं कहता हूं कि यह तो उनकी अपनी अपनी उजरदारियां हैं। लेकिन जहां तक गवर्नमेन्ट का सम्बन्ध है उसकी तरफ से तो यह कार्य सम्पूर्ण ही है और गवर्नमेन्ट को उस पर अटल रहना चाहिये और वह रहेगी। कोर्टों में भी इस तरह की कार्यवाहियां होकर क्या नतीजा निकला है, यह हम जानते हैं और आगे क्या निकल सकता है इसका हम अनुमान कर सकते हैं। पर जब तक गवर्नमेन्ट वापिस लेने को तैयार नहीं, तब तक गवर्नमेन्ट को तो उस कानून को सामने रख कर ही नियम बनाने चाहियें।

अब मैं आपका ध्यान इस बात की ओर खींचता हूं कि जब कि यह कानून पास हो गया और तो आना रुपया हरेक जमीनदार, जागीरदार, माफीदार आदि चाहे कोई भी नाम हो. एक्ट में ४१ नाम गिनाये गये हैं, इन सब पर दो आना रुपया कायम हो गया। आप कहेंगे कि यह रियायती टैक्स है। लेकिन मैं आपको दूसरे राज्यों से मिलान करके बतलाऊंगा कि यह सही नहीं है। यू. पी. अर्थात् उत्तर प्रदेश और पंजाब में और मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। इन सब जगहों की सेटलमेन्ट कोड्स मैंने पढ़ी हैं। वहां पर जो लैण्ड रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और उसका जो अमला है, उस सब का खर्चा गवर्नमेन्ट देती है।

अब जब कि हमारे यहां दो आना रुपया लैंड रेवेन्यू कायम होगया और जागीरदार भी नहीं रहे और वे जमींदार हो गये, अगर बेहतर पोजिशन मानी जावे तो जब ५ हज़ार से ऊपर की जागीरें रहेंगी ही नहीं तो जागीरदार तो समाप्त होने वाले हैं और पांच हजार से नीचे ही की जागीरें आगे रहने वाली हैं।

तो आप यू. पी. यानि उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान दीजिये। वहां राजा बलरामपुर है। आमदनी के लिहाज से उनकी आमदनी एक करोड़ के करीब कही जाती है और एक करोड़ की आमदनी होते हुए भी उनके सारे इलाके के बन्दोबस्त का जितना खर्चा आता है वह सारा का सारा खर्चा उत्तर प्रदेश की सरकार बर्दाश्त कर रही है और उनसे सिर्फ ६० प्रतिशत या ५० प्रतिशत बल्कि मैंने बन्दोबस्त के अन्दर देखा है कि जहां लगान बेशी होता है तो वहां ३० प्रतिशत और २५ प्रतिशत तक तशखीश करने की इजाजत है यानि उनको लगान कायम करने की इजाजत है।

उदयपुर में भी जागीरों का मौजूदा लगान (Tribute) जो है ज्यादातर लैंड रेवेन्यू के बराबर करीब वसूल होता है; वहां कई जगह ४० फ़ी सदी लिया जाता है।

तो निवेदन करने का मेरा मतलब यह है कि जमींदार और जागीरदारों का मिलान करेंगे तो जमीन्दारों में से ताल्लुकेदार भी जमींदार हैं, उनको ऐसी रियायतें हैं जो कि यहां के जागीरदारों को नहीं हैं, तो भी बन्दोबस्त और लैंड रिकार्ड स्टाफ़ का सारा खर्चा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेन्ट बर्दाश्त करती है।

उसी माफिक मेरा निवेदन है कि यहां पर भी इस कानून के पास हो जाने के बाद यह लैंड रेकार्ड का सारा खर्चा सरकार को बर्दाश्त करना चाहिये, खास करके उस सूरत में जब कि बड़ी बड़ी जागीरों

[श्री लालसिंह शक्तावत]

को जल्दी ही समाप्त करने की कार्यवाही गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेन्ट को तो अपनी दृष्टि से ही सब काम करने चाहिये। हाई कोर्टों द्वारा छोटी मोटी विघ्न बाधा तो होती ही हैं उनको भी गवर्नमिन्ट अपने तरीकों से निपटा लेगी।

इसके साथ में और भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप पुरानी रियासतों की ओर ध्यान दें हमारी उदयपुर की रियासत की तरफ खर्चा वसूल किया जाता है। शुरु में जिन जागीरों का बन्दोबस्ती खर्चा हुआ वह उदयपुर की रियासत ने बर्दाश्त किया।

जोधपुर में भी, जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम है कि जोधपुर दरबार की इच्छा थी कि यह खर्चा रियासत ही वर्दाश्त करे। इस बारे में धर्मनारायण जी से मेरी बात हुई थी, लेकिन चूंकि उस वक्त जागीरों के बन्दोबस्त का जागीरदारों ने विरोध किया और बहुत विरोध किया जो खास खास जोधपुर वाले जानते हैं उस अच्छे काम का, जनहितकारी काम का विरोध करने के कारण जोधपुर के दरबार नाराज़ हो गये थे और उस नाराजगी के कारण बतौर पैनल्टी के इसका खर्चा वसूल करने की वात कानून में रख दी थी। वे इसलिये नाराज हो गये थे कि ये लोग चूंकि सुधारों को और समय की जरूरी मांग को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसलिये उन पर बतौर जुर्माना खर्चा लगना चाहिये और उनको इस तरह से महसूस होना चाहिये और इस तरह उनके दिमाग ठीक होने चाहिये। यह सोच कर जोधपुर दरबार ने ऐसा किया था।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्यमंत्री)—वह जुर्माने की तौर पर नहीं हुआ है।

श्री लालसिंह शक्तावत—यह तो मैंने ऐसे ही कहा है, यही हाल बीकानेर का है।

बन्दोवस्त का कुल फ़ायदा जागीरदार को मिलने वाला हो तो उस सूरत में भी इन्तजाम की दृष्टि से सभी रियासतों ने शुरू में यही प्रवन्ध किया कि इस बन्दोबस्त का खर्चा कुल सरकार वर्दाश्त करे। जागीरदार खुश नहीं थे। उनकी आमदनी और हुकूमत दोनों कम हो रही थी। आप देखते हैं कि जागीरदारों को दोनों ही तरफ़ से नुक़सान हो रहा है। जागीरदारों की हुकूमत भी कम हो रही है और आमदनी भी, यह आप देखते हैं। वे पहले लाटा रोक सकते थे तथा और भी कई तरह की हुकूमत कर सकते थे। उनकी कई तरह की हुकूमत थी, लाटे बांटे आदि की, वह चली जाती है। इसी तरह लगान कम होने से आमदनी भी कम हो गई है। तो इन दोनों ही दृष्टियों से जागीरदार के लिये तो सेटलमेंण्ट अहितकारी है। पर फिर भी सेटलमेण्ट क्यों हुआ? इसलिये कि गवर्नमेन्ट के एडमिनिस्ट्रेशन की सहूलियत इसी में है। जैसा कि मिस्टर ट्रेन्स ने लिखा था कि इसका इकोनॉमिक नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन (reason) है और अगर वे नहीं चाहें तो भी उनको इच्छा के विरुद्ध यह काम सरकार ने शुरू किया था जैसे कि गवर्नमेंट के सुधार के और दूसरे आवश्यक महकमें सरकार चलाती है। जैसे ज्युडिशियल ले लीजिये। कतल करने वाले, मार पीट करने वाले मामले सरकार निपटाती है।

[श्री लालसिंह शक्तावत]
ज्युडिशियरी में लाखों रुपया सरकार का खर्च होता है। इसी तरह अनेक महकमे हैं। ये रियाया की बेहतरी के लिए हैं। यह महकमा भी इसी तरह से समझना चाहिये।

आप कहेंगे कि यहां तो जागीरदार बहुत सी आमदनी ले लेते हैं। तो मेरा निवेदन है कि बहुत सी आमदनी लेना कोई उसूलन रुकावट नहीं है। यह तो गवर्नमेन्ट ने रियायत दे दी है उनको, वे उसे भोग रहे हैं। आप उन रियायतों को वापिस ले लेंगे तो यह सब बन्द हो जावेगी।

वहां यह तो हमेशा का होने वाला प्रबन्ध है। इस पर उस चीज का असर क्यों डाला जावे। इसका तो नतीजा यह होगा कि हमने उनको जो रियायतें दी है उनको सीधे तरीके से नहीं बल्कि और और तरीकों से वापिस छीनना चाहते हैं और खास करके जब कि वे खतम ही किये जा रहे हैं। इस वक्त उनको जो मुआवजा मिलेगा उसमें से यह रकम कटेगी और इस सैटिलमेन्ट में करीब एक साल का खर्चा हो जाता है।

अब चूंकि ये जागीरदार ही नहीं रहे, तो अब मेरी यह दलील है कि जागीरदारी नहीं रही। इसलिये यू. पी. तथा और और जगह जहां बडे बडे जागीरदार हैं इस दृष्टि से कि जैसा बरताव जमीदारों के साथ किया जाता है अब इन जागीरदारों के साथ भी वैसा ही बरताव होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि बड़े बड़े जागीरदारों को खास आमदनी हो सकती है किन्तु छोटे छोटे जागीरदारों की आमदनी नहीं होती। अब उन बड़े लोगों की जागीरदारी समाप्त हो रही है तो खर्चा बन्दोबस्त यदि जागीरदारों के सिर लगाया जायगा तो वे कैसे दे सकेंगे। अगर आप जागीरें कायम रखते हैं जो अभी होने वाली नहीं है, तो वे बन्दोबस्त का खर्चा देने में कभी नहीं हिचकिचायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो खर्चा हो, परिवर्तित स्थिति के अनुसार जागीरदारों से वसूल करना अनुचित है। छोटे जागीरदारों के लिये जो खुद लगान वसूल करते थे और लाटा खुद कर लेते हैं यदि वहां पर बन्दोबस्त के लिये ६०) रुपये का पटवारी या गिरदावर रखा जायगा तो यह एक तरह से दूसरे जागीरदार की तरह होगा जिसका खर्चा एक छोटे जागीरदार के बराबर होगा। अगर वह उससे वसूल किया गया तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा। मैं इस संबन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप उदयपुर रियासत को देखें, जहां कि छोटी छोटी जागीरों को कब्जे किया गया था और जब वसूली सरकार ने अपने कब्जे में ली तो उनसे पांच प्रतिशत सरकार ले रही है। ६०) रुपये माहवार के गिरदावर या पटवारी को लगाकर आप लगान वसूल कर रहे हैं, तो इस प्रकार से यह जागीर लेना आपके लिए महँगा पड़ेगा क्योंकि पहले से ही ज्यादा खर्चा लग रहा है और अगर ऐसा हो गया तो कम से कम खर्चा तो नहीं लगेगा। मेरा निवेदन है कि छोटे जागीरदारों के लिए यह बोझ डालने से वे बन्दोबस्त नहीं कर सकेंगे और यह इन्साफ भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रान्त के विषय में उनके विपरीत यहां करने में ठीक नहीं रहता। रईसों ने जब अपनी हुकुमत प्रजाको देदी रईसों ने जब अपनी हुकूमत प्रजा को दे दी तब जागीरदारी भी हुकूमत के आधीन आगई। रईसों की हुकूमत नहीं रही तो फिर जागीरदारी कैसे रह सकती है? अब सवाल यह रह जाता है कि अगर उनको (जागीरदारों को) रियायतें नहीं दी गई तो शायद वे एक दम रिफ्यूजी बन जायेंगे, इसलिये हृदय-परिवर्तन

[श्री लालसिंह शक्तावत]

की आवश्यकता है। मैं अपने दूसरी तरफ बैठे हुए सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उनके जो पहले ख्याल थे, उचित थे; लेकिन अब समय बदल गया है। जागीर नहीं रहने वाली है। उसके माफिक अमल होगया है। वैसी सूरत में आपको भी अपने विचारों को बदलना चाहिये। अब जागीरदार को रईस मानने के बजाय आपको एक रियायती लगान का आदमी मानना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अधिक समय लूंगा, आप क्षमा करेंगे क्यों कि मैं कुछ उदयपुर के लिये निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से। कई बडे बडे गांव ऐसे हैं जहां माफियां भरी हुई हैं। केवल थोडी सी आमदनी खालसे की मिलती है फिर भी बन्दोबस्त का खर्चा सरकार ने बर्दाश्त किया है। और उसका रेकार्ड भी सरकार बनवा रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको सोचना चाहिये कि आपका दृष्टिकोण क्या हो? कई गांव जिनका थोडा सा हिस्सा खालसे का है बाकी जागीरदारों का है। उनमें सारे बन्दोबस्त का खर्चा सरकार ने किया। उदार दृष्टिकोण के लिये निवेदन करूंगा। अगर आप उदार दृष्टि से काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि इस तरह ज्यादा रुपया वसूल होने वाला नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उदार विचार, जो कि न्याय संगत हो, सामने रक्खा जावे। पुराने विचारों के कारण भावनायें ऐसी होगई है, इसलिये इस सरकार के विचार बदलने में समय लगेगा। जो जागीरदारों के विरुद्ध विचार बने हुए थे वे बदलने चाहिये क्योंकि ये विचार अब थोडे समय तक ही टिकने वाले हैं। जो सत्तारूढ व्यक्ति है वे दूरदर्शी हैं; उन लोगों की दृष्टि दूर तक जाने वाली है। वे वास्तविक स्थिति से परिचित हैं। इसलिये आप दूसरे विचारों को ध्यान में न लाकर वास्तविकताको सामने रखें। जागीरें कितने दिन रहने वाली हैं? वे रहने वाली नहीं हैं। जागीरें खत्म होगई हैं। आपकी दृष्टि से खतम होगयी हैं और हमारी दृष्टि से भी जो कानून मौजूद है वह मन्सुख होने वाला नहीं है। जब आप लेन्ड रेवेन्यू कायम कर चुके हैं तो उसूलन विरुद्ध होगा कि लेन्ड रेकार्ड का खर्चा आप किसी जागीरदार से लें। राजस्थान में जमींदार और जागीरदारों के बीच में कोई फर्क नहीं रहा है। यू० पी० में जो रेन्ट फ्री ग्रान्टी हैं उनसे भी सेटलमेन्ट का खर्चा नहीं लिया जाता। यहां पर राजस्थान के गंगानगर में जमींदारी है। अलवर, भरतपुर और धौलपुर में जहां खालसा का एरिया है, जमींदारी है। वहां जो सेटलमेन्ट हो रहा है, रेकार्ड मेन्टेन करने वाले हैं उसका सारा खर्चा राजस्थान सरकार बर्दाश्त कर रही है। तो कोई वजह नहीं कि जागीरदारों से, जो अब जमींदारों के रूप में परिवर्तित होगए हैं, उनके साथ यह जो डिसक्रिमीनेशन (Discrimination) रखें, उचित नहीं होगा, जब कि वे दोनों एक लाइन पर आगये हैं। राजस्थान की सेटलमेन्ट रिपोर्ट मैंने पढी है। अलवर में ६६ सही २ बटा ३ परसेन्ट एसेस (assess) हुआ है; लेन्ड रेन्ट का १।३ छोड़ कर लेन्ड रेवेन्यू किया गया, काश्तकारों को जमीदार बनाया गया यही हाल अजमेर मेरवाड़ा का है। मैंने ही वहां का हाल बन्दोबस्त करवाया था। वहां की जो जमींदारी है उनका लगान मैंने कायम किया। चालीस फी सदी से २५ फी सदी तक के लगान की रेवेन्यू तजवीज की गई। ऐसी सूरत में भी बन्दोबस्त का लेन्ड रेकार्ड का सारा खर्चा गवर्नमेन्ट बरदाश्त कर रही है। जब इस्तमुरारदारों से सरकार ने कहा और मजबूर किया कि वे बन्दोबस्त करावें तब इस्तमुरारदारों ने कहा कि वे बन्दोबस्त का खर्चा देने के लिये तैयार नहीं हैं। इस पर सरकार ने कहा कि सरकार खुद खर्चा उठायेगी। आप इस बात की इन्क्वायरी कर सकते हैं। अजमेर मेरवाड़ा में इस्तमुरारदारों का बन्दोबस्त जो हुआ

[श्री लालसिंह शक्तावत]

उसका खर्चा किसने बरदाश्त किया ? लेन्ड रेकार्ड का खर्चा किसने बरदाश्त किया ? जब हमारे पड़ोस में यह हाल है और यू. पी., पंजाब में यह हाल है तो हमारे इस राजस्थान में दूसरी तरह की बात क्यों हों ? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इस बात पर शान्तिपूर्वक उदारता से विचार करना चाहिये। यह मैं इसलिये निवेदन नहीं कर रहा हूं कि इससे जागीरदारों को फायदा हो जायगा लेकिन इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि जो भी कदम सरकार की तरफ से उठाया जाय वह न्यायपूर्ण और बुद्धिमत्ता पूर्ण, हो। चाहे इससे उनके साथी गहराई से न सोचने के कारण नाराज हों लेकिन उनको यह समझाना चाहिये और वास्तविकता को सामने रखना चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि यह सब-क्लाज (२) डिलिट कर दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)--माननीय अध्यक्ष, दो एमेन्डमेन्ट्स सदन के समक्ष विचाराधीन हैं। एक श्री भैरूंसिंहजी ने उपस्थित किया है और दूसरा श्री लालसिंहजी ने। जो बातें माननीय श्री लालसिंहजी ने सदन के सामने रखी हैं उनमें दो बातों का समावेश था। एक तो सेटलमेन्ट चार्जेज वसूल करने वाली बात और दूसरी आगे जो पटवारी रखे जायं उनके खर्चे के बारे की। मैं समझता हूं कि जहां तक सेटलमेन्ट चार्जेज के सम्बन्ध में एक्स्पेन्सेज (expenses) होंगे उसके संबन्ध में कल सदन में काफी चर्चा हुई थी और उसके बाद जो कुछ मेरी राय थी वह कह कर श्री खेतसिंहजी के संशोधन को मैंने स्वीकार किया था। पटवारियों को नियुक्त करने में उनके खर्चे का सवाल और सेटलमेन्ट करने के साथ ही जागीरों को रिज्यूम करने के वक्त और भार जागीरदारों पर पड़ने का प्रश्न; मैं समझता हूं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पटवारियों को उन्हीं स्थानों पर रखने का प्रश्न तब आता है जब कि जागीरें रिज्यूम नहीं की जाती हैं। तथा अगर और कोई बात है कि वह रिज्यूम नहीं की जाती हैं और वह काम रहता है जिसकी मैं समझता हूं कोई संभावना नहीं, क्योंकि जागीरें रिज्यूम करने की बात सब तरह से स्वीकार कर ली गई है। तो पटवारियों के खर्चे जो इसमें रखे गये हैं उनको हटा देना, मैं समझता हूं, उचित नहीं होगा। सेटलमेन्ट के खर्चे के बारे में जो बात कही गई उसमें औचित्य मालूम हुआ था और इसलिए उस एमेन्डमेन्ट को स्वीकार किया। पटवारियों को एपॉइन्ट (appoint) करने और उनको कायम रखने का जो यह प्रश्न है वह, जो जागीर रिज्यूम नहीं हो उन पर लागू होने वाला प्रश्न है। वहां कोई व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है, जहां हम उसको रिज्यूम नहीं करते हैं।

आमद का वह हिस्सा, आपने कहा कि सरकार के पास जायगा। सरकार के पास रेख चाकरी के रूप में, ट्रिब्यूट के रूप में वह हिस्सा पहले भी डाला करते थे और अब वह तय किया गया है। लेकिन यह संशोधन जो रखा गया है वह सब पर लागू होने वाला है। उसके अन्दर कोई छूट नहीं है। इस क्लॉज को डिलीट कर देने का मतलब सब पर लागू होने वाली बात होती है। जब रेख-चाकरी थी और जो अब १।८ है या चाहे रेख चाकरी समझिये जो भी चीज है, वह वसूल की जाती है। उसका केवल शेप (shape) परिवर्तित हुआ है। अब जो निश्चित दर तय कर दी गई है और रेख चाकरी में जो कहीं ज्यादा हो तो पुरानी और आज की स्थिति के अन्दर कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन पटवारियों को कायम करने में वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को परिवर्तित करने का प्रश्न आता है। वहां गवर्नमेन्ट पर किसी तरह का बर्डन (burden) हो तो उस बर्डन को बर्दाश्त करना सरकार के लिये ठीक नहीं होगा

[मोहनलाल सुखाडिया]

और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस चीज को हम मानकर चल रहे हैं कि जागीर रिज्यूम होगी तो मैं समझता हूं कि उस बेकग्राउन्ड (back ground) में पटवारियों के खर्चे वाली क्लॉज उतनी महत्वपूर्ण न तो होती है और न रहती है। पटवारी एप्वाइन्ट करने का वह खर्चा किस पर डाला जा रहा है। अगर रिज़म्पशन में कहीं समय लगे तो मैं समझता हूं कि इस सब-क्लॉज में बताया हुवा खर्चा जिसकी इनकम जागीरदार या लेन्ड होल्डर के पास जाती है उसका खर्चा गवर्नमेन्ट बर्दाश्त करे, वह उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए इस धारा को रखने में, मैं समझता हूं, कोई किसी तरह की कल्पना करना कि किसी तरह का भार जानबूझ कर डाला जारहा है उसका प्रश्न हो खड़ा नहीं होता है।

श्री लालसिंह शक्तावत—टेन्योर (tenure) बदल गया है ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—जागीर का टेन्योर बदल गया है, शक्ल बदल गई है। फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स जो हैं उनको लक्ष्य में रखकर चलना होगा। यह धारा फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स को सामने रखने वाली है। गवर्नमेन्ट के ऊपर पटवारियों के खर्चे का भार अगर पड़ता है तो उस दृष्टि से विचार करना होगा, और इस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन्हें मानने में मैं असमर्थ हूं।

अब भाई भैरूंसिहजी ने जो कहा कि कल जो स्वीकार किया है उसको देखते हुए इसको भी स्वीकार करना चाहिये। दोनों बातों को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिये। दोनों बातों में अन्तर है। रिजम्पशन के पहले सेटलमेंट करने में और रिज्यूम करने के बाद डिजर्विंग केसेज (deserving cases) में छूट देने में यह एक स्थिति है और सेटलमेंट हो जाता है और पटवारी का खर्चा उस के बाद में आ जाता है तो उसको भी इसमें डिलिट करना दूसरी स्थिति है और उस स्थिति में मैं समझता हूं यह चीज़ रखना आवश्यक नहीं है और इसको मन्जूर करने में मैं असमर्थ हूं।

श्री लालसिंह शक्तावत—इसमें मेरा निवेदन यह था कि फाइनेन्शियल पाइन्ट पर जो जोर दिया गया उसी को मैंने पहले सामने रखा था। राजा बलरामपुर की यू. पी में एक बडी जमींदारी है जिसकी एक करोड़ की आमदनी है। चूंकि वे जमींदार हैं इसलिये कोई खर्चा वसूल नहीं किया जाता है। जब यहां पर दूसरे प्रान्तों के तरीकों पर सारा शासन चल रहा है और भारत सरकार एक है और उसी एक होने से आधुनिक विचार को लेकर यह जागीरदारी भी एबॉलिश की जा रही है और उन पर टैक्स भी लगाया जा रहा है तो फिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों ? दो आना रुपया ५ साल के लिये लगाया गया है, बाद में ४ आना लगायेंगे तथा बाद में और आगे बढ़ायेंगे, कैसे होगा यह सब ? इसके लिये उसमें नहीं कहा है। ४ आना के लिये तो निश्चित है। फाइनल्ली किसको कितना फायदा है, जिसके लिये मैंने निवेदन किया है। रेन्ट फ्री, माफीदार हमारे यहां पर थे, लेकिन सेटलमेन्ट का कोई खर्चा उनसे वसूल नहीं होता है। बन्दोबस्त सरकार का काम गिना जाता है। कई जागीरें सरकार में आ चुकी हैं। लेण्ड रेवेन्यू एसेस कर दिया है। जागीरदार नहीं रहें। जागीरदारों के बारे में कहा है कि वे लोग छोटे से रईस हैं। वेंकटाचार्य ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि "They are small princes in their territories" तो अब स्माल प्रिन्सेज़ का जो आइडिया है वह चेन्ज हो गया, इस वक्त

[श्री लालसिंह शक्तावत]

मालगुजारी की पोजीशन प्राप्त हो गई है। मालगुजारी की पोजीशन पर मैंने निवेदन किया था कि यह उचित होगा जो कि और प्रान्तों में हुआ है कि जागीरदारों के प्रति पुरानी भावनाओं को लेकर इनसे खर्चा नहीं लेंगे। इसमें ५००) व १०००) रुपये के जागीरदार हैं उनकी जागीर पर पटवारी ६०) रुपये महीने का खर्चा और आपके बन्दोबस्त का खर्चा, सारी जागीर की आमदनी को ही खतम कर देगा। वह खुद रहता है तो पटवारी का हिसाब वह नहीं रखता है। बड़ी रियासत या स्टेट्स खुद के मुताबिक ही नौकर रखेंगे। उनको बड़ी तनख्वाह मिलनी चाहिये। नतीजा यह होता है कि कई ऐसे जागीरदार, जो छोटे हैं वे ऐसी स्थिति में पटवारी का जो हिस्सा है और यह जो आपका दो आना, ४ आना होगा उसको देने में असमर्थ होंगे, शायद जागीर रिज्यूम किये बगैर ही रिज्यूम हो जायगी। इसी दृष्टि से मैंने यह आपको निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष—I think I will have to put it to vote.

(विराम)

The question is that Amendment moved by Shri Lal Singh to sub-clause 13 (2) be accepted.

(मतदान के समय हाथ ऊपर उठाये गये)

श्री अध्यक्ष—No hands up.

श्री जसवन्तसिंह—That was done in order to give emphasis.

श्री अध्यक्ष—The speech was quite emphatic.

(संशोधन अस्वीकृत)

The amendment of Shri Lal Singh is lost.

(विराम)

The question is that amendment moved by Shri Bhairon Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that the whole clause 13, including sub-clause (1) and (2) be accepted.

(स्वीकृत)

Page No.35

[श्री अध्यक्ष]

The Clause 13 is added to the Bill.

(विराम)

The question is that Clause 14 stand part of the Bill .

(स्वीकृत)

Clause 14 is added to the Bill.

(विराम)

Clauses 15, 16 and 17.

(विराम)

The question is that Clauses 15, 16 and 17 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 15, 16 and 17 are added to the Bill.

(विराम)

Now we come to Clause 1. There is an amendment by Shri Bhairon Singh to substitute figure "1953" for the figure "1952" in sub-clause (1).

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)–I have no objection to accept this amendment. I accept it.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to accept this amendment.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that Clause 1, Title, and the enacting formula stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 1, Title, and the enacting formula are added to the Bill.

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)--Sir, I beg to move that the Rajasthan Land Summary Settlement Bill be passed.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

The question is that the Bill be passed.

श्री मानसिंह महार--माननीय अध्यक्ष, थर्ड रीडिंग के समय में चाहता हूं कि सिद्धान्तों पर बोलूं, यदि आप आज्ञा दें तो ?

श्री अध्यक्ष---You have got so many occasions to speak.

श्री मानसिंह महार---I have got so many occasions, but I want one more occasion.

माननीय अध्यक्ष, सिद्धान्ततः मैं राजस्थान लेण्ड समेरी सेटलमेन्ट बिल, १९५३, का विरोध नहीं करता । मैं इसको एक बड़ा ही समयानुकूल कानून मानता हूं और एक बहुत ही उचित चीज मानता हूं लेकिन जिस ढंग से हमारे मन्त्री महोदय ने इ , रखा है और जिस ढंग से उन्होंने यह कोशिश की है वह उचित प्रतीत नहीं होती । यू. पी., पंजाब जैसे आगे बढ़े हुए प्रान्तों में भी छोटे जागीरदारों से सेटलमेन्ट का खर्चा नहीं लिया जाता है पर उन्होंने, हमारे माननीय श्री लालसिंहजी साहब के इतने अच्छे ढंग से समझाने के बावजूद भी इस छोटी सी वाजिब और समयानुकूल बात को मानने से इन्कार कर दिया तो मुझे इसके पास होने के खिलाफ बोलने का साहस हुआ । मैं हमेशा से इस सदन में इस प्रकार के प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन का समर्थन करता आया हूं और सरकारी बेंचेज से भी इस प्रकार के प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन के सम्बन्ध में मेरे विचार आगे ही रहते हैं । पर जहां उचित और अनुचित का सवाल आता है, कहने को बाधित होना पड़ता है और सरकार को चेतावनी देनी पड़ती है कि अपनी पोलिसी में कुछ हेर फेर करे । सरकार को समयानुकूल पोलिसी में हेर-फेर जरूर करना चाहिये ।

जब हम जागीरी एबोलिशन को मान चुके हैं और एबोलिशन होने वाला है तथा सरकारी पक्ष तो क्या हमारे भारत के प्रधान मन्त्री जी यह कहते हैं कि हम आप लोगों का कोओपरेशन और सदभावना चाहते हैं और हम भी यही कहते हैं कि हम हमेशा से सरकार को कोओपरेशन देते आये हैं, सरकार के साथ हमारी सद्‌भावना रही है, तो सरकार को भी इसका जवाब इसी तरह सद्‌भावनापूर्ण ढंग से देना चाहिये । वह तभी हो सकता था जब कि आज के जमाने में हमारे बगैर कहे ही सरकार इस क्लॉज को अमेन्ड कर देती । पर सरकार ने इस छोटी सी बात को नामन्जूर किया तो हमें बाधित होना पड़ा है और कहना पड़ता है कि जिस स्वरूप में यह बिल है इसका हम विरोध करते हैं क्योंकि आपने इसमें एक बहुत ही अन्याय पूर्ण धारा को रख दिया है जिससे मजबूर हो कर ऐसे प्रोग्रेसिव लेजिस्लेचर का भी विरोध करना पड़ रहा है जिसकी कि आज से ३ साल पहले जरूरत थी । अगर आप इस धारा को हटादें तो हम इस बिल का स्वागत करेंगे । यह धारा जब तक इस बिल में रहेगी तब तक हम छोटे जागीरदारों और भोमियों की तरफ देखते हुए कभी इसका समर्थन नहीं कर सकते हैं । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हू कि इस बिल के सिद्धान्तों से मेरा विरोध नहीं है पर इसमें एक ऐसी धारा बढ़ा दी गई है कि जिसके रहते हुए हम इसका समर्थन करते हैं तो एक बहुत बड़े तबके के साथ अन्याय होता है । इस अन्याय का विरोध करने के लिये थर्ड रीडिंग के समय मेरे सब भाईयों से अपील करता हूं कि इसे पास मत होने दीजिये ताकि हमारे माननीय मन्त्रीजी महोदय हमारी इस बात को मन्जूर करें और सद्‌भावना का परिचय दें ।

यह कह कर मैं सदन से अपील करूंगा कि इस बिल को पास नहीं होने दें ।

श्री भैंरूं सिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, इस बिल के ऊपर में कुछ आगे कहूँ इसके पहले यह कह देना आवश्यक समझता हूं कि मैं इस बिल के सिद्धान्तों का किसी प्रकार से विरोध नहीं करता। यह कहना इसलिये आवश्यक है कि इस सदन के सदस्य मुझे इस गलतफहमी में नहीं लें कि मैंने इसका विरोध किया है और इसके सिद्धान्तों से मैं सहमत नहीं हूं। पर इसके सिद्धान्तों की आड़ में जिस प्रकार का खेल खेला गया है उससे मुझे काफी विरोध है। इसी कारण से मैं इस बिल के विरोध में अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं।

इस बिल के जरिये जो रेट्स का बेसिस बनाया गया है उससे मुझे काफी मतभेद है। जब यह बिल सदन के समक्ष विचारार्थ आया था उस वक्त खयाल था कि इस बिल के अन्दर जो रेट्स के बेसिस का आधार माना गया है उसी रूप से मान लेंगे तो उसमें मुझे कोई विरोध नहीं हो सकता था। पर उसमें कल एक ऐसा अमेन्डमेन्ट जोड़ दिया गया है कि वह उसी शक्ल में पास हो गया तो राजस्थान सरकार एक अराजकता को जन्म देगी। माननीय सदस्यों को और माननीय मन्त्री महोदय को मालूम है कि सेटलमेन्ट के कारण जिन भूमियों में रेट्स कायम हुई हैं उनमें और १०-२० साल पहले जो रेट्स मुकर्रर की गई थीं उनमें अन्तर है। इनको लेवल पर लाने का सरकार के पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि पहले की रेट्स को रिवाइज़ करके एक लेवल पर लावें। जो रेट्स पहले निश्चित की गई थीं वे कम हैं और आज जो रेट्स तय हुई हैं वे वाजिब हैं लेकिन कल जो संशोधन आया उससे स्पष्ट हो गया कि जो आधार रेट कायम करने के लिये रखा गया है उसके अनुसार भी यदि रेट बढ़ाते हैं तो वह रेट उस एरिया के १५ मील के रेडियस में जो land revenue है उससे ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। इसलिये यह निवेदन है कि अगर इसको ध्यान में नहीं रखते हुए रेट्स कायम की जावेंगी तो वह बेकार सिद्ध होगी।

दूसरी चीज यह है कि यदि वही रेट परमानेन्ट सेटलमेन्ट के समय में बढ़ाई गई तो अराजकता बढ़ेगी और इसके लिये माननीय सदस्य जिम्मेवार हो सकते हैं और उन्होंने, जब यह संशोधन सदन में विचारार्थ आया तो कह दिया था और मैंने बताया था कि अराजकता किस तरह से फैलेगी। मैं उसका उदाहरण देता हूं कि अराजकता किस तरह से फैलेगी? शेखावाटी में तो इस बिल का कोई असर नहीं होगा मगर जोधपुर डिवीजन में जहां परमानेन्ट सेटलमेन्ट नहीं हुआ है वहां पर इसका असर पड़ेगा क्योंकि इसमें भी दो रेट्स (Rates) हैं। एक तो वे रेट्स जो पहले कायम थी और दूसरी वे रेट्स जो कि अब कायम हुई हैं। मैं यह कहूंगा कि इन दोनों रेट्स में भी फरक है। जब सरकार ने ऐसा संशोधन मान लिया है कि जहां समेरी सेटलमेन्ट हो गया है वहां पर इस संशोधन के आधार पर कि १५ मील के रेडियस में जो रेट्स हैं वे ज्यादा नहीं बढ़ाई जावेंगी तो सेटलमेन्ट ऑफिसर के सामने भी यह दिक्कत आवेगी कि जो रेट वहां पर नई हैं वे लागू की जावें या पहले की लागू रहें। नई और पुरानी में रुपया, डेढ़ रुपया या दो रुपया बीघे का फरक होगा। इससे सेटलमेन्ट ऑफिसर भी दुविधा में पड़ जायगा और आगे चल कर इसका बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा हमें समेरी सेटलमेन्ट को जल्दी से जल्दी कार्य रूप में लाना है। यह तो सेटलमेन्ट दो, तीन या ५ साल के लिये होगा। उसके बाद तो परमानेन्ट सेटलमेन्ट होगा। उसमें काफी रेट्स बढ़ जावेंगी। अभी आप दो रुपया रेट लगावेंगे

[श्री भैरोंसिंह (१६)]

और परमानेंट सेटलमेन्ट जब होगा उस समय उसके ४) रुपये हो जाते हैं तो इससे काश्तकारों में बड़ा असंतोष फैलेगा और सरकार के प्रति उन लोगों की भावना होगी कि सरकार ने लेण्ड रेवेन्यू के कर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और जितने भी रिएक्शनरी पार्टी के लोग होंगे उन्हें किसानों को बहकाने का मौका मिलेगा कि राजस्थान सरकार ने दो रुपये बीघा पर दो रुपया और बढ़ा दिये हैं। इससे अराजकता बढ़ेगी और सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को इसी शक्ल में मंजूर नहीं किया जावे।

दूसरी बात पटवारियों के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने इस सम्बन्ध में संशोधन भी रखा और उस पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार भी प्रकट किये। लेकिन माननीय मन्त्रीजी ने यह कह कर टाल दिया कि पटवारियों की नियुक्ति के समय जागीर के कर्मचारियों की अवहेलना नहीं की जायगी।

मैंने भी एक अमेन्डमेन्ट रखा था कि ५ हजार से कम आमदनी के जो भोमिये हैं उनसे सेटलमेन्ट का खर्चा नहीं लिया जावे। यदि छोटे छोटे भोमियों के पास एक एक पटवारी को नियुक्त किया जावेगा और पटवारी की तनख्वाह उनसे वसूल की जावेगी तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को एक तो पटवारी उनके रेकर्ड को मेन्टेन करने के लिये और दूसरा पटवारी उस पटवारी की तनख्वाह को वसूल करने के लिये रखना पड़ेगा क्योंकि छोटे छोटे भोमियों की हालत ऐसी नहीं है कि वे इस खर्चे को बर्दाश्त कर सकें।

इसके अलावा जागीर रिज़म्पशन के बाद जो बेकारी फैलने वाली है उसको रोकने के लिये, यदि ठिकाने के कर्मचारी सरकारी नौकरियों में लिये जावेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरे अमेन्डमेन्ट में कोई ऐसी विशेष बाधा नहीं थी। ठिकाने के कर्मचारियों के लिये यह कहना है कि जो अनक्वालीफाइड हों वे नहीं लिये जावें मगर जो क्वालीफाइड एवेलेबल हों वे तो रखे जावें। अनक्वालीफाइड को रखने के लिये सरकार को हम मजबूर नहीं करते। ऐसा करने से दो बातों का फायदा होगा एक तो जागीरदारी एबोलिशन से कर्मचारियों में जो असंतोष बढ़ने वाला है वह नहीं बढ़ेगा और दूसरा बेकारी की समस्या भी कम होगी।

तीसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह सेटलमेन्ट एक्सटेन्शन के बारे में है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को इसी शक्ल में मंजूर नहीं फरमाया जावे।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)**--माननीय अध्यक्ष, बहुत सी बातें जिनकी चर्चा हाउस में पहले मैं कर चुका हूं उनको दोहरा कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता।

मैं शुरू में यह स्पष्ट कर चुका हूं कि इस बिल का असर ज्यादा आबादी पर नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि कोई एरिया क्षेत्रफल के लिहाज से बड़ा हो लेकिन वह आबादी के लिहाज से तो कम होगा। इसलिये इसका असर आबादी पर ज्यादा नहीं पड़ने वाला है।

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

भोमियों से सेटलमेन्ट चार्जेज न लेने की जो बात कही गई है उसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि भोमियों के प्रश्न को इस बिल के साथ जोड़ना उपयुक्त नहीं।

अभी यह भी कहा गया कि इसका असर जोधपुर और बीकानेर पर पड़ेगा तो उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर में सेटलमेन्ट हो चुका है और वहां पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जोधपुर में सेटलमेन्ट हो रहा है, इस पर असर पड़ेगा, इसके लिये इस बिल को इन्ट्रोड्यूस किया गया है।

जो बातें श्री रामजीलाल के अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करने के सम्बन्ध में कही गई हैं उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप उसके दूसरे पहलू पर विचार करते तो आपको मालूम होता, जैसा कि श्री रामजीलाल ने कहा कि एक सरकिल है जहां कई गांवों का सेटलमेन्ट हो गया हो और बीच में १०, २० या उससे भी कुछ अधिक गांव छूट गये हों अर्थात् जिनका सेटलमेन्ट नहीं हुआ हो, तो वहां पर बढ़ी हुई दरें न रखी जावें और वे ही दरें रखी जावें जो १५ मील के रेडियस (Radius) में लागू हों, ताकि असंतोष न बढ़े। समेरी सेटलमेन्ट में हमें सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है और सब जगह समान रूप से रेट्स कायम करनी पड़ती हैं। जब एक जगह ज्यादा रेट्स हों और उसके १५ मील के रेडियस में दूसरी जगह कम हों तो कुछ पार्टी के लोग किसानों को एक्सप्लोइट (Exploit) करके नाजायज फायदा उठावेंगे। मैं समझता हूं कि श्री रामजीलाल का जो एमेन्डमेन्ट स्वीकार किया गया था वह उचित था क्योंकि समेरी सेटलमेन्ट में हम जल्दी ही फैसला करना चाहते हैं।

सेटलमेन्ट के चार्जेज के बारे में मैं समझता हूं कि जो निर्णय अंत में किया गया है वह काफी संतोष-जनक है और आज जिस चीज को हमें स्वीकार करना है या नहीं करना है उसके करने या नहीं करने के कारण मैंने सदन के सामने रख दिये हैं। मैं इस बिल की बहस में पड़ना नहीं चाहता। मैं यही बताना चाहता हूं कि जब हम इस बिल के सिद्धान्तों को मानते हैं तो हमें उसकी मंशा को भी समझ सकते हैं कि उसकी क्या मंशा होगी।

जागीरदारों के पटवारियों को एम्पलोय करने के सम्बन्ध में जो कहा गया उस संबध में मैंने फोरमर राजस्थान की मिसाल देकर कहा था कि हमने वे पटवारी लिये थे जो योग्य थे। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि किसी प्रेजुडिस (Prejudice) के कारण सरकार उन्हें सरकारी नौकरियों में नहीं ले रही है; यह ठीक नहीं। बस इतना ही मुझे कहना है।

इसके साथ २ किस तरह की मुश्किलें सामने आती हैं, जो दरअसल किसी भी पक्ष के बरदाश्त करने लायक नहीं है। सरकार उस पर विचार करेगी। इस बिल को लाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जल्दी केश रेन्ट को इन्ट्रोड्यूस (Introduce) करके राजस्थान में रेकर्ड ऑफ राइट्स को एस्टेब्लिश (Establish) कर दिया जाय। रात-दिन के झगड़े जो आते रहते हैं वे झगड़े न आवें और इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए यह बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया है। मैं समझता हूं कि इस सिद्धान्त के

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]
बारे में किसी को मत भेद नहीं होना चाहिये और एक राय से सदन इस बिल को पास करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—So now the question is that the Bill be passed.

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

(विराम)

Then we come to the Rajasthan Laws Repealing Bill, 1953.

राजस्थान विधि निरसन विधेयक, १६५३

(उप, मंत्री न्याय विभाग के खड़े होने पर विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

श्री चन्दन मल वैद (उप-मन्त्री, न्याय विभाग)—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान की कुछ विधियों को निरस्त करने वाला विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाय ।

प्रवर समिति के पर्सनल यह हैं :—

१. श्री राम किशोर व्यास ।
२. श्री वेदपाल त्यागी ।
३. श्री नाथूराम मिर्धा ।
४. श्री दामोदर लाल व्यास ।
५. श्री सोहनलाल भटनागर ।
६. श्री बद्रीप्रसाद ।
७. श्री जवानसिंह ।
८. श्री भैरूंसिंह (केलवा) ।
६. श्री गंगासिंह ।
१०. श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ) ।
११. श्री हिम्मतसिंह, अटरू ।
१२. मैं स्वयं ।

श्री अध्यक्ष—Time ?

श्री चन्दनमल वैद (उप-मन्त्री न्याय विभाग)—Two months' time.

(विराम)

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

Page No.41

[श्री अध्यक्ष]

The question is that the Rajasthan Laws Repealing Bill, 1953, be referred to Select Committee consisting of the Hon'ble Members as announced above, which will submit its report within two months.

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, १९५२

Now we come to the Rajasthan Land Acquisition Bill, 1952.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Bill to consolidate and amend the law for the compulsory acquisition of land in Rajasthan, as reported by the Select Committee, be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—Motion moved. There is one amendment by Shri Bhairon Singh.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—माननीय अध्यक्ष, इस बिल के लिए मेरा यह संशोधन है कि इस बिल को वापस प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय। यह संशोधन मैंने कई कारणों से रखा है। पहला कारण यह है कि जिस वक्त यह बिल सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था उस वक्त जो प्रवर समिति इस पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी उसका मैं भी एक सदस्य नियुक्त किया गया था। मुझे आशा थी कि इस बिल पर जब विचार होगा और प्रवर समिति को बुलाया जायगा तो मुझे भी सूचना मिलेगी और मुझे मौका मिलेगा कि मैं अपने विचार, जो इसके बारे में हैं, प्रवर समिति में रख सकूं। दुर्भाग्य से मुझे सूचना समय पर नहीं मिल सकी। प्रवर समिति २० तारीख को इस बिल पर विचार करने वाली थी और मेरे पास २४ तारीख को एक्सप्रेस टेलिग्राम आया। एक्सप्रेस टेलीग्राम जिस समय मेरे पास पहुंचा मैंने वहां के पोस्ट मास्टर से पूछा कि क्या टेलीग्राम ठीक समय पर आया है अथवा इसको डिलिवर (deliver) करने में देरी हुई है, तो मुझे जवाब मिला कि २४ तारीख को तार प्राप्त हुवा है और इसको ठीक समय पर ही डिलिवर किया गया है। इसमें कोई देरी नहीं हुई है। अतः देरी से सूचना मिलने के कारण मैं प्रवर समिति की बैठक में नहीं जा सका और अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद मैंने यह सोचा कि जब यह बिल क्लाज वाई क्लाज सदन में लिया जावेगा तब इस बिल में जो खामियां रह गई हैं उनको दूर करने के लिए संशोधन पेश कर दिए जावेंगे। दुर्भाग्य से अमेन्डमेन्ट पेश करने में कुछ देरी हो गई। मैं समझता हूं कि वे संशोधन आज सदन की मेज पर हैं किन्तु मुझे उनको अभी मूव करने की अनुमति नहीं मिली है। अगर मुझे उन संशोधनों को मूव करने की अनुमति मिल जाती है तो मैं इस संशोधन को वापिस लेना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—They are here with me and I allow them.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—मैं समझता हूं कि इस बिल को काफी समय हो गया है और यदि इस प्रकार का संशोधन कि इसको वापिस प्रवर समिति में भेज दिया जाय, आए तो काफी आब्जेक्शन (objection) है।

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ)—एक दफा जब माननीय अध्यक्ष ने उनको मंजूर कर लिया है तो एतराज की फिर कोई गुन्जाइश नहीं रहती ।

श्री अध्यक्ष–That will come afterwards. You have a right to move your motion for reference of the Bill to the Select Committee.

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ)—मैं कई कारणों से अपना संशोधन वापिस नहीं लेना चाहता । उन कारणों को मैं दोहराना भी नहीं चाहता ।

श्री अध्यक्ष—When the amendments come I will consider them. You have not taken them back. If you do so, you are entitled to withdraw them.

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ)—Mr. Speaker, Sir, Provided the amendments are accepted I can withdraw.

श्री अध्यक्ष—I do not want to commit myself but you have a right to move it. I will consider your proposals favourably.

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ)—माननीय अध्यक्ष, मुझे यह आश्वासन मिल गया है और इस आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए मैंने जो संशोधन रखा है उसको वापिस लेने की संदन से अनुमति चाहता हूं । इस बीच में ऐसा ही वातावरण बन गया था ।

श्री अध्यक्ष—No 'VATAVARAN' can effect me.

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ)—अब जो दूसरे कारण हैं उनमें जबरदस्त कारण यह है कि सरकार लैन्ड का एक्वीजिशन करके कम्पनीज और पब्लिक परपजेज के लिए और खास कर के इन्डस्ट्रीज के लिये जैसा कि किसी एक सेक्शन के तहत में कम्पनीज एक्ट का हवाला दिया गया है, देना चाहती है । किन्तु सिलेक्ट कमेटी ने ऐसी गलती कर दी है कि इसको वापिस सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना निहायत जरूरी हो जाता है और वह इस बिल के क्लॉज ४ में है । क्लॉज ४ में नोटिस दिया जाता है कि फलां जगह की जमीन पब्लिक परपजेज के लिए सरकार चाहती है । इस नोटिस के बाद क्लॉज ७ में यह लिखा है कि:

"Whenever any land shall have been so declared to be needed for a public purpose or for a company, the Government, or some officer authorised by the Government in this behalf, shall direct the collector to take order for the acquisition of the land."

लेकिन अब तक जो प्रोसीजर है उसमें अर्थात् सेक्शन ४ के मातहत महज उस जमीन के लिये नोटिफिकेशन की कार्यवाही की जाने की है और जो इस बात से साफ जाहिर हो जाती है :

"Whenever it appears to the Government that land in any locality is needed or is likely to be needed for any public purpose."

Page No.43

[श्री भैरूंसिंह (१६)]

पब्लिक परपजेज और कम्पनी दोनों अलग अलग हैं और दोनों की अलग अलग डेफिनिशन्स (definitions) दी हुई हैं। मैं समझता हूं कि पब्लिक परपजेज के लिये नोटिश दिया जाय तो वह कम्पनी के काम के लिये लागू नहीं हो सकता और ऐसी सूरत में कम्पनी के लिये लैण्ड एक्वीजिट करने की मंशा पूरी नहीं होती। सिलेक्ट कमेटी ने भी इस पर विचार नहीं किया और कोई संशोधन भी नहीं आया। अतः मेरा यह अनुरोध है कि इस बिल को वापिस सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का जो प्रस्ताव श्री भैरूंसिंहजी ने रखा है में उसका विरोध करता हूं। सिलेक्ट कमेटी ने इस पर काफी गंभीरता से विचार किया है और मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि यह जो बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया है वह हिन्दुस्तान के एक्विजीशन एक्ट, १८९४ के आधार पर लागू किया गया है और इसमें जो परिवर्तन किये गये हैं वे भारत सरकार के स्टेन्डर्ड सिद्धान्तों के आधार पर किये गये हैं। ये सिद्धान्त दूसरी स्टेट्स को भी दिये गये थे। यह नई चीज लाई गई और इसके पीछे पुराना एक्स्पीरिएन्स न हो ऐसी बात नहीं है। राजस्थान की पुरानी स्टेट्स में जो चीजें चल रही थीं उनको भी ध्यान में रखा गया था। जब हम अलग अलग धाराओं पर विचार करेंगे तो इसके बारे में और विस्तार से सोचा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावक महोदय ने बातचीत के दौरान में कहा था कि उन्होंने जो संशोधन रखे हैं उनको स्थान दिया जाय। इसके लिये मैं कह देना चाहता हूं कि ऐसे वक्त पर संशोधन नियमों के खिलाफ हैं और उनके लिये मुझे ऐतराज है।

श्री जवानसिंह—क्या सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों को मौका दिया गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—नोट ऑफ डिसेन्ट (note of dissent) है।

श्री अध्यक्ष—The question is that the Rajasthan Land Acquisition Bill, be re-commited to the same Select Committee.

(अस्वीकृत)

The motion is droped.

(विराम)

Now the motion is that the Rajasthan Land Acquisition Bill, 1952, be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The Bill is taken into consideration.

(विराम)

Page No.44

[श्री अध्यक्ष]

We proceed to consider the Bill clause by clause.

First we take Clause 2. There is an amendment by Shri Ganga Singh.

श्री अवनिकुमार—I have got a Note of Dissent on Clause 3.

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)–I think there is an amendment also by Mr. H.K.Vyas.

श्री अध्यक्ष—Sorry.

श्री भेरूसिंह (दांता रामगढ)—श्री एच. के. की ओर से मैं पेश कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष–I do not recognise any authority for proxies for Amendments. Under the Rules a Member can authorise any member for questions and not for amendments. So we take Clause 2 first.

The question is that Clause 2 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 2 is added to the Bill.

खण्ड ३

श्री गंगासिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट बहुत साफ है।

"The word 'Minors' be substituted for the word "Miners" in the 9th line after the words "guardians of".

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—I accept it with thanks.

श्री अध्यक्ष–The question is that Amendment No. 17 by Shri Ganga Singh be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

श्री अवनिकुमार—I want to speak on Clause 3.

श्री अध्यक्ष—Ordinarily the procedure is that the Hon'ble Member who puts in a Note of Dissent should speak at the time when the motion is made that the Bill be taken into consideration. Any way, if the Hon'ble Member is keen

[श्री अध्यक्ष]

I can allow him, provided he will move the necessary amendments which he has put in the Minute of Dissent before the House.

श्री अवनिकुमार—Then I will give fresh amendments.

श्री अध्यक्ष—I will waive the period of notice. In any case in order to regulate, you will have to move them. Otherwise if you move them as fresh amendments you will have to give notice.

श्री अवनिकुमार—सेक्शन २ पर मेरा अमेन्डमेन्ट House या Building या manufactory के लिये निम्न प्रकार है। डेफिनिशन की सूची को देखने से पता चलता है कि इसमें यह दर्ज नहीं है। सिलेक्ट कमेटी में भी मैंने यही सुझाव दिया था पर मेरे सुझाव को मन्त्री महोदय ने स्वीकार नहीं किया। डेफिनिशन का ब्यौरा इसमें अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिये। यही इनको मेरा सुझाव है।

"In the list of definitions, definitions of the words "building", "House" "manufactory" be added."

श्री अध्यक्ष—But what are those definitions? They must come before the house.

श्री अवनिकुमार—They must be formed by legal experts, otherwise position will be made worse.

श्री अध्यक्ष—The members of this House are considered to be legal experts. They are legislators, they are expected to legislate.

श्री अवनिकुमार—Well, in that case I will withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष—This is a suggestion contained in the Minute of Dissent.

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—मैं समझता हूं कि मेरे कहने की कोई आवश्यकता अब नहीं रह गई है लेकिन फिर भी जब सिलेक्ट कमेटी का जिक्र आ गया है तो मैं स्थिति जरा साफ कर दूं। सिलेक्ट कमेटी में जब यह सवाल उठाया गया था तो वहां भी यह साफ कर दिया गया था कि इस तरह की डेफिनिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहीं भी प्रोवाइड नहीं है। इसलिये इसमें इनके देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने जो नियम बनाये हैं इस सम्बन्ध में उनमें भी ऐसी डेफीनिशन्स नहीं दी गई है। इसलिये इनकी अलग से डेफ़ीनिशन देना जरूरी नहीं समझा गया।

श्री अध्यक्ष—The General Clauses Act is there. The provisions of this Act will apply in this case.

Page No.46

श्री अवनिकुमार—So I beg to withdraw my amendment

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Alani Kumar to withdraw his amendment ?

(स्वीकृत)

श्री अवनिकुमार—I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष—The question is that Clause 3 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 3 is added to the Bill.

(विराम)

Now we come to Clause 4. There is an amendment to Clause 4 by Shri H. K. Vyas.

(श्री एच. के. व्यास अनुपस्थित)

Then there is another amendment by Shri Bhairon Singh.

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ)—माननीय अध्यक्ष,..........

श्री मोहनलाल सुखाडिया–Mr. Speaker, Sir, are you allowing the amendments ?

श्री अध्यक्ष—It is more or less similar to that of Mr. Vyas.

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ)–मेरा और श्री एच. के. व्यास कि अमेन्टमेन्ट एक सा ही है। अगर उनका नहीं, तो मेरा अमेन्डमेन्ट आप मान लें।

बिल के इस क्लॉज के द्वारा सरकार को अधिकार दिया गया है कि किसी जमीन के लिये अगर यह समझा या समझने का इरादा रखा जाय कि इस जमीन की किन्हीं पब्लिक परपजेज के लिये जरूरत है या हो सकती है तो इस क्लॉज के मातहत राजस्थान राजपत्र द्वारा उसमें यह प्रकाशित करवा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—Your turn will come after Shri Ganga Singh.

श्री गंगासिंह—मेरा जो अमेन्डमेन्ट है वह इस प्रकार है:

"The words 'or is likely to be needed' be deleted in the third and fourth line."

[श्री गंगासिंह]

इस क्लॉज ४ के अन्दर जो नोटिस दिया जाता है उसकी मंशा यह है कि अगर गवर्नमेन्ट को इस एक्ट के नीचे किसी जमीन की जरूरत हो या जरूरत होने की संभावना हो तो उसको वह इस नोटीफिकेशन के जरिये नोटिस दिया जाता है। इसके लिये यह मैं मान कर चलता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि गवर्नमेन्ट को किसी जमीन की जरूरत हो सकती है और उस जमीन की जब कि सरकार को जरूरत है, वह एक्वायर कर ले परन्तु यह भी संभावना है कि किसी समय यही संभावना हो सकती है।

इस क्लॉज में जो प्रोवीजन रखा है वह ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस "likely to be needed" equittable. basis जुरिसपुडेन्स के सिद्धान्त के अनुसार लेन्ड के संबंध में कानून बनाया जाता है तो ठीक प्रतीत नहीं होता। इसके लिये इस क्लॉज की मन्शा है वह भी पूरी हो जाती है; अगर हम "is likely to be needed" नहीं रखें तो भी।

इस क्लॉज की मन्शा यह है कि गवर्नमेंट अगर जरूरी समझे तो उस जमीन को लेले। न मालूम चाहे भविष्य में उसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं। सिर्फ भविष्य के लिए निर्धारित कल्पना पर यदि हम उस जमीन को ले लेते हैं तो ठीक प्रतीत नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि "Or is likely to be needed" को इस क्लॉज से हटा दिया जावे।

मेरा इस सब-क्लॉज में जो दूसरा अमेन्डमेन्ट है वह यह है: "The word 'specific' be inserted between the words 'any' and 'public purpose' इसमें 'public purpose' वाइड टर्म (wide term) है, इस वाइड टर्म के होने की वजह से कई प्रकार के अनर्थ होने की संभावना है। मेरा निवेदन है कि जो जमीन एक्वायर (acquire) की जाय वह स्पेसिफिक परपज (specific purpose) के लिए एक्वायर की जावे। आशा है माननीय मंत्री महोदय, मेरे दोनों अमेन्डमेन्ट स्वीकार करेंगे।

तीसरा अमेन्डमेन्ट मेरा इसी क्लॉज के सब-क्लाज (२) में है वह इस प्रकार है:

"The words 'standing crop' be deleted in the fifth line" अध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज 'Standing crop' के लिये है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि स्टेंडिग क्रोप ज्यादा से ज्यादा दो महीने से अधिक नहीं रहती है। स्टेंडिग क्रोप जब खड़ी है उस समय अगर वह जमीन एक्वायर की जाती है तो काश्तकारों को इससे नुकसान होगा। इसके अलावा जो कम्पेन्सेशन तय किया जायगा वह कम्पेन्सेशन स्टेंडिग क्रोप के आधार पर ठीक तरह से निश्चित नहीं कर पायेंगे इससे काश्तकारों को नुकसान होगा और मालिक को जो कम्पेन्सेशन दिया जाता है अगर ठीक रेग्युलेट किया जा सके तो बेहतर यह है कि इस "स्टेंडिग क्रोप" शब्द को हटा दिया जाय बाकी क्लॉज वैसा का वैसा ही रखा जाय।

इसी क्लॉज के सब-क्लॉज (३) के अन्दर मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि "Necessary" शब्द को डिलीट कर दिया जाय। इस शब्द के आने से यह संभावना हो जाती है कि सब डेमेजेज जो

Page No.48

[श्री गंगासिंह]

इस भूमि पर होने वाले हैं उनका कम्पेन्शेसन गवर्नमेन्ट नहीं देने वाली है। ऐसी हालत में कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि जो डेमेजेज गवर्नमेन्ट और गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट द्वारा किये जायेंगे उसके सारे के सारे डेमेजेज उस बालिग को क्यों नहीं दिये जाते हैं। इसलिये "Necessary" शब्द को हटा दिया जाय। और इसके साथ साथ मेरा निवेदन यह भी है कि 'aforesaid' शब्द के बाद में "Otherwise" शब्द जोड़ दिया जाय।

इसी क्लॉज के अन्तिम भाग में मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि "shall be final" शब्द को हटा दिया जाय और उसको जगह "after hearing the person affected shall be subject to appeal to the State Government within a month" जोड़ दिया जाय। कलेक्टर जो डिसीजन 'decision' दे उसकी अपील स्टेट गवर्नमेन्ट के पास भेज दी जावे। कलेक्टर को डिसिजन में गलती प्रतीत हो तो कई तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं, ऐसी सूरत में अगर वह केस प्रान्त की सरकार के पास आता है तो सरकार उस पर ठीक तरह से विचार कर निर्णय दे सकती है। इसलिये कलेक्टर के आर्डर की अपील स्टेट गवर्नमेन्ट के सम्मुख हो सके, यह मेरा अमेन्डमेन्ट है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष —(श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़) को संबोधित करते हुए)—Your amendment No. (a) has been covered by the amendment of Shri Ganga Singh. that has been rejected. You can move amendment No. (b)

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा अमेन्डमेन्ट क्लॉज ४ के सब-क्लॉज (३) में इस प्रकार है :—

"Insert the words 'without proceeding further under sub-section 2' between the words 'he' and 'shall' in fourth line of sub-clause (3) of Clause 4."

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज के द्वारा अगर सरकार किसी जमीन के मुत्तलिक यह जरूरी समझती है कि पब्लिक परपज के लिये इस जमीन पर अधिकार कर लिया जाय तो उस पर अधिकार करने के लिये वह नोटिस दे सकती है और उस जमीन का सर्वे (survey) करा सकती है, जमीन की आड को हटाकर जमीन के अहाते में दाखिल हो सकती है। दाखिल होने के बाद उस अफसर को मालूम हो कि इसकी सर्वे करवाना वह आवश्यक समझता है, मगर किसी आड के हटाये बिना सर्वे नहीं हो सकती तो उस अफसर को यह अधिकार है कि वह उस आड को हटा सकता है, खेत को कटवा सकता है, इसके साथ साथ इस सब-क्लॉज (३) में उस अफसर को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह एन्ट्री के वक्त जो कुछ नुकसान उस आड के हटने से होता है उसका खर्चा दे देगा। अगर वह मालिक जमीन उस खर्चे से रजामन्द न हो तो वह कलेक्टर के आगे अपील कर सकता है। उसकी आगे अपील नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का मतलब यह है कि यदि वह व्यक्ति, जिसका इससे नुकसान होता है वह उस अफसर के द्वारा मुकर्रर किये हुए एवार्ड से रजामन्द नहीं होता है तो ऐसी सूरत में उस

[श्री भैरोंसिह (१६)]

अफसर को चाहिये कि वह नुकसान करने से पहिले सारा का सारा मामला कलेक्टर के पास भिजवा दे। इस दशा में कलेक्टर के लिये यह आसान हो जायगा कि खड़ी हुई फसलों और मकानों को तोड़कर सर्वे करना निहायत जरूरी है और उसका सही एस्टीमेट यह है। यदि उसके तोडने के बाद या फसल के काटे जाने के बाद वह व्यक्ति उस एवार्ड से रजामन्द नहीं होता है और मामला कलेक्टर के पास जाता है तो कलेक्टर के लिए बड़ी असुविधा होगी कि मौके पर जाकर वास्तविकता की जांच किस प्रकार करे। वास्तविकता की जानकारी के लिये यह आवश्यक है कि जब दोनों पार्टियों में रजामन्दी नहीं हो तो अफसर को चाहिये कि सारा मामला कलेक्टर के पास भेज दे। कलेक्टर साहब को चाहिये कि उसकी स्वीकृति करने से पहले मौके की जांच करले। यदि कीमतों की रजामन्दी या नारजामन्दी का कोई प्रश्न आता है तो इससे उस आदमी की आत्मा को दुख नहीं पहुंचे जिसका कि मकान लिया जा रहा है, जिसकी खडी हुई फसलों का नुकसान हो रहा है, या अन्य चीजें नष्ट की जा रही हैं। ऐसी सूरत में उसकी आत्मा को दुख नहीं पहुंचेगा। इसलिये शुरू से ही कलेक्टर के पास जायगा और कलेक्टर अगर मौके पर ठीक तरह से जांच करके वास्तविकता को देखकर तय करेंगे तो ठीक रहेगा। इसलिये यह लाजमी होगा कि मकान तोडने से पहले, फसलें काटने से पहले कलेक्टर साहब आकर मौका देख लें। इसमें दोनों को सुविधा होगी। कलेक्टर साहब को असलियत मालूम हो जायगी। इसलिये यह संशोधन सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया। माननीय मंत्री महोदय यह कहेंगे कि भारतवर्ष के एक्सपर्ट्स ने यह कानून बनाया है इसलिये उसमें किसी प्रकार के हेरफेर की गुजांइश नहीं है, लेकिन मंत्री महोदय उस आदमी की आत्मा को पहिचाने कि जिसका मकान जबरदस्ती छीना जा रहा है, जबरदस्ती उसकी चीज को छीन कर उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नई स्थिति से उसको जो नुकसान होगा उसकी आत्मा का ज्ञान आप करें। भारतवर्ष के अधिकारियों द्वारा बनाये गये कानूनों में संशोधन करने का हमारा हक है, और उसमें हम ऐसा कर सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में जो एमेन्डमेन्ट्स मूव किये गये हैं मैं उनमें से किसी भी एमेन्डमेन्ट को स्वीकार करने में अपने आपको असमर्थ पाता हूं। खास बात तो यह है कि यह जो क्लॉज है वह प्राइमरी नोटिफिकेशन और सर्वे के बारे में रखा गया है। उसमें जो यह कल्पना की गई है कि जो फैसला किया जायगा वह फैसला ठीक तरह से नहीं होगा, और जिनको नुकसान होगा उनके नुकसान का खयाल नहीं रखा जायगा; इसमें जो प्रोविजन दिया गया है उसमें स्पष्ट है कि डिस्प्यूट होने की हालत में कलेक्टर सारी बातों को खयाल में रखकर फैसला करे। डिस्प्यूट क्लेम (dispute claim) सर्वे के वक्त में होगा और सारी जमीन एक्वायर कर ली जाय। कम्पेन्सेशन के इश्यू (issue) पर डिस्प्यूट नहीं हो जाय, इसकी वजह से यह अपील नहीं रखने का प्रोविजन रखा है। हमारे सर्वे के वक्त जो नुकसान होता है तो क्लेम से संबंध रखने वाला यह प्रोविजन है और उसके अन्दर इस बात के लिये जल्दी से जल्दी हो ज्यादा समय नष्ट नहीं हो, इसलिये इस तरह का प्रोविजन रखना आवश्यक हो जाता है। स्टेंडिंग क्रोप्स इसमें आती हैं वगैरह बातें कही गई हैं। कई जगह ऐसा प्रश्न आ सकता है। जहां स्टेंडिंग क्रोप्स हैं; वहां पर जाकर अधिकारियों को आवश्यक जांच करना जरूरी हो जाता है, लेकिन जो नुकसान होगा उस नुकसान को दे दिया जायगा। इस बारे

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]
मे प्रोविजन दिया हुआ है। और उन सारी बातों को लक्ष्य में रखते हुए उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। सारी धारा की हरेक चीज को हम देखेंगे तो मैं समझता हूं कि स्पष्ट हो जाता है। इसलिए किसी भी एमेंडमेन्ट को स्वीकार करना मैं आवश्यक नहीं समझता।

श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसको प्रेस करना है इसलिये २-३ बातें कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—It is not very important. If it would have been important, I would have allowed you.

Now the question is that the amendments No. 18, 19, 20 and 21 moved by Shri Ganga Singh, and the amendment moved by Shri Bhairon Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत किये गये।

(विराम)

The question is that Clause 4 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 4 is added to the Bill.

(विराम)

खण्ड ५.

श्री अध्यक्ष—Clause 5 has got two sub-clauses. We take Clause (1) i.e. Clause 5 (1) But there is no amendment on this sub-clause. So we take Clause 5 (2). There are several amendments to Clause 5 (2). Shri Ganga Singh.

श्री गंगासिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा एमेन्डमेन्ट जो क्लॉज ५(२) के अन्दर है वह यह है कि 'If any' जो शब्द फर्स्ट लाइन में हैं वे हटा दिये जावें और "Or if no such report has been received, at any time after the issue of notification under sub-section (1) of section 4" हटा दिया जाय। उसके बाद 'or is likely to be' भी इसमें से हटा दिये जावें। तथा आखिरी लाइन में "Or" और 'near' के बीच में 'Or' की जगह "and" कर दिया जाय। "If any" इसमें रखने का मतलब यह होता है कि क्लॉज ५(१) में रिपोर्ट चाहे कलेक्टर या अन्य रेवेन्यू ऑफिसर दे या नहीं दे परन्तु मेरी धारणा है कि जो रिपोर्ट कलेक्टर या अन्य रेवेन्यू आफिसर क्लाज ५ (१) के अन्दर हो हर हालत में रिपोर्ट देनी चाहिये ताकि सर्वे और अदर आपरेशन्स (other operations) का बिल्कुल ठीक उन्हें ज्ञान हो जाय। इसलिये जब हम यह मानकर चलते हैं कि हर हालत में क्लाज

[श्री गंगासिंह]

(१) के अन्दर कलेक्टर या रेवेन्यू अफसर को रिपोर्ट देना है तो उस हालत में 'if any' रिडन्डेन्ट (redundant) रह जाता है, और इसके साथ "or, if no such report has been received, at any time after the issue of notification under sub-section (1) of section 4" यह भी रिडन्डेंट हो जाता है। और इसके साथ ही 'Or is likely to be' के लिए मैंने पहले ही कह दिया है कि यह कल्पना का आधार है इसलिये "Or is likely to be" बिल में से जहां पर भी ये शब्द हैं सब जगह ये हटा दिये जांय।

इसके अवाला जो पैरा है उसके नीचे की लाइन में यह है कि जो नोटिफिकेशन शाया किया है "at convenient places on or near the land to be acquired." यहां पर "Or" जो है उसकी जगह पर "and" होना चाहिये क्योंकि इसमें जो नोटिफिकेशन शाया किया जाता है उसमें बहुत सी कमियां रह जाती हैं, कई बदमाशियां होती हैं और हम देखते हैं कि जो नोटिस दिया जाता है वह ऐसी जगह पर भी चिपका दिया जाता है कि जहां कि आम लोग नहीं जाते हैं। इसलिये ऐसी सूरत में इन सारी दिक्कतों को महसूस करते हुए मेरा यह कहना है कि जो जमीन आपको लेना है उस जमीन पर चाहे वह मकान हो या दूसरी जगह हो इस नोटिफिकेशन का शाया होना जरूरी है।

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ)—माननीय अध्यक्ष, क्लाज ५ के सब-क्लाज (२) में मेरे जो एमेन्डमेन्ट्स थे वे श्री गंगासिंह के एमेन्डमेन्टस से कवर हो जाते हैं। मैं यह नहीं चाहता हूं कि इनको वापिस दोहराऊं लेकिन एक एमेन्डमेन्ट और है जो इसमें आया नहीं और वह यह है:—

"Delete the words 'Where a plan has been made of the land' occurring after the words "situation and' in line 9th in sub-clause (2) and "insert the words 'a plan of ' between the words 'where' and 'such' and substitute the word 'land' for the word 'plan' in the tenth line of sub-clause (2)."

अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त सरकार किसी जमीन के मुतल्लिक यह कहे कि पब्लिक वर्क्स के लिये यह जरूरी है कि सरकार उस जमीन को अपने अधिकार में ले तो क्लॉज ४ और ५ में उस जमीन को अधिकार में लेने का प्रोसिजर है। उस प्रोसिजर के अन्दर यह आना भी जरूरी है कि सरकार यदि किसी जमीन को ले तो जैसा कि शब्दों से मालूम हो जाता है कि :—

"the place where a plan of such land may be inspected"

तो नक्शा तैयार करवाकर नोटिफिकेशन में बताये कि किस जगह उस जमीन का प्लान इन्सपेक्शन के लिये मिल सकता है। मगर शब्द 'where' से मालूम पड़ता है कि सरकार के लिये यह जरूरी नहीं है कि उस जमीन का प्लान पहले तैयार करे।

इससे साफ है कि सरकार के पास यह अधिकार भी है कि बिना नक्शा बनाये भी सरकार उस ज़मीन पर अधिकार पा सकती है जिसके लिये सरकार यह देखती हो कि पब्लिक परपज़ के लिये उस ज़मीन का सरकार के अधिकार में लेना आवश्यक है। उस प्लान का नक्शा नहीं हो तो किस तरह कल्पना

[श्री भैरूंसिंह (१६)]
की जा सकती है कि जिस काम के लिये सरकार उस जमीन को अपने कब्जे में लेना चाहती है उस काम के लिये वह जमीन पर्याप्त होगी।

उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि १० बीघा जमीन के लिये एक जगह सरकार चाहती है कि किसी जमीन को मिलिटरी केन्टोन्मेन्ट के लिये अधिकार में लेना है, इस आशय से कि उस मिलिटरी केन्टोन्मेन्ट को बनाने की मंशा पूरी हो इस बिल की दफा ४ और ५ के मातहत कार्यवाही शुरू कर दी। उस जगह पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारी और मिलिटरी के आफीसर्स देखने के लिये पहुंचे और उन्होंने कह दिया कि मिलिटरी केन्टोन्मेन्ट बनाने की मंशा इस जमीन से पूरी नहीं होती, दूसरी जमीन चाहिये तो फिर सरकार क्या करेगी? क्यों कि इसमें साफ है कि यदि सरकार जरूरी समझे कि इस जमीन से उस पब्लिक परपज की मंशा पूरी नहीं होती जिसके लिये कि उस जमीन को एक्वायर किया गया था तो सरकार उस जमीन को उसके मालिक को लौटा दे, वापिस दे दे। तो इस तरह सरकार पर यह यह बर्डन रहेगा। इसलिये यह होना चाहिये कि जिस जमीन को सरकार किसी पब्लिक परपज के लिये लेना चाहती है तो उसका पूरा प्लान बना दे जिस काम के लिये वह उस जमीन को लेना चाहती है और नोटिफिकेशन में उस जगह का पूरा जिक्र करदे ताकि जो लोग उससे काफी aggrieved हों वह देखलें। इससे सरकार का बर्डन दूर होगा और लोगों में असन्तोष भी नहीं होगा। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है। मुझे आशा है कि इसे स्वीकार किया जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया–श्री भैरूंसिंहजी ने कहा कि इससे जमीन का पूरा पता नहीं लगे ऐसी स्थिति हो सकती है। मैं समझता हूं कि इसमें काफी शब्दों में कहा गया है। वह इस प्रकार है :–

"The Government shall publish a further notification in the Rajasthan Gazette, giving sufficient discription of the land already notified under the said süb-section (1) of section 4 to enable it to be identified and stating the purpose for which it is or is likely to be needed"

तो यह कि इसका पता नहीं चले और जमीन के बारे में स्पष्ट नहीं है, इसके सोचने की कल्पना रहती ही नहीं। दूसरी बात नोटिस की कही गई है और 'and' शब्द लगाने का अमेन्डमेन्ट लाया गया है। मान लीजिये पब्लिक परपज के लिये एक खेत को एक्वायर करना है और बरसात की मौसम है ऐसी सूरत में उस पर्टिक्युलर जमीन पर नोटिस लगाना संभव नहीं हो सकता। आवश्यक कार्यवाहियों को पूरा करने के लिये पूरी की पूरी सुविधायें हों, ऐसी सारी बातें इस बिल में रखी हुई हैं। इस अमेन्डमेन्ट को रखने से कोई ज्यादा सुविधा होगी, ऐसी कोई बात मैं नहीं देखता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन अमेन्डमेन्ट्स को वापिस ले लिया जाय।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)–मेरे कहने से मंत्री महोदय को गलत फहमी हो गई है, उसे दूर करने के लिये मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—गलतफहमी आपको है या उनको ?

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—मंत्री महोदय ने पढ़ कर सुनाया कि:—

"The Government shall publish a further notification in the Rajasthan Gazette, giving sufficient description of the land already notified under the said sub-section (1) of section 4 to enable it to be identified........."

यह उस जमीन के identification के लिये है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आयंदा उस जमीन में सरकार जो पब्लिक परपज का काम कराना चाहती है उसका पूरा का पूरा प्लान बना ले ताकि ऐसा नहीं हो कि वह जमीन काम में नहीं आये तो सरकार को वह जमीन भी वापिस देनी पड़े और उसका कम्पेन्सेशन भी उस जमीन के मालिक को देना पड़े। सरकार पर यह अनावश्यक बर्डन नहीं पड़े इसलिये यह संशोधन रखा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आगे का प्लान सारा का सारा साफ बता दिया जाय, यह इस सैक्शन के साथ जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment moved by Shri Ganga Singh to Clause 5 (2), amendments No. 22 and 23 and the amendments by Shri Bhairon Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendments are lost.

(विराम)

The question is that Clause 5 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 5 is added to the Bill. Now Clause 5-A.

श्री गंगासिंह—अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज ५–ए की तीसरी लाइन में "Or likely to be needed" को हटाने का मेरा अमेन्डमेन्ट है वह ऐसा का ऐसा रखा जायगा।

श्री अध्यक्ष—Do you agree to it ?

श्री गंगासिंह—हां, लेकिन इसके अन्दर ओब्जेक्शन्स के लिये ३० दिन का मयाद रखी है उसकी एवज में ६० दिन कर दिये जांय क्योंकि इस सब-सेक्शन में इन्टेरेस्टेड पार्टीज (interested parties) को अपने केस पुट अप करने का हक है। बहुत संभव है कि इन्टेरेस्टेड पार्टीज के आदमी बहुत दूर दूर बोम्बे आदि में रहें। इसलिये यह मयाद कम है, ६० दिन की मयाद रखी जाय।

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ)—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:—

"Delete the words 'or for a company' in the 3rd line."

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज ५-ए में यह दर्ज है कि यदि कोई शख्स, जिसका उस जमीन से संबंध है, जो जमीन सरकार द्वारा पब्लिक परपज के लिये अधिकार में ली गई है, उस एक्वीजीशन से एग्रीव्ड (aggrived) हो तो कलेक्टर के पास जाकर ओब्जेक्शन रेज (raise) कर सकता है।

सेक्शन ५-ए का भाग १ यह है:—

"Any person interested in any land which has been notified under section 5 as being needed or likely to be needed for public purpose or for a company may, within thirty days after the issue of the notification, object to the acquisition of the land or of any land in the locality as the case may be."

इसमें मेरा निवेदन यह है कि जो कार्यवाही दफा ५-ए के मातहत होगी उसका संबंध क्लॉज ४ और ५ से है। क्लॉज ४ से नोटिफिकेशन शुरू शुरू में इश्यू(issue) किया जाता है। उसमें लिखा है:—

"Whenever it appears to the Government that land in any locality is needed or is likely to be needed for any public purpose; a notification to that effect shall be published.................."

पब्लिक परपज के आगे कुछ नहीं लिखा है।

यदि इस जगह शब्द "or for company" होते तो ठीक था। लेकिन इसके साथ क्लाज ४ में नोटिफिकेशन जारी होता है। वह पब्लिक परपज के लिये है, न कि कम्पनी के लिये। इसी तरह कलेक्टर भी नोटिफिकेशन निकालेगा। मगर क्लॉज ५ में यह नई चीज बढ़ा दी है:— "land needed for public purpose or for a company" जो नोटिफिकेशन पब्लिक परपजेज़ के लिये दिया जाता है वह कम्पनी परपज के लिये कभी नहीं दिया जा सकता। यह चीज मानने या न मानने की नहीं, यह एक कानूनी चीज है और अगर इसको नहीं मानते हैं तो एडवोकेट जनरल की राय ले ली जाए ताकि सारी गलतफहमी दूर हो और माननीय मंत्री को मानने के लिये बाध्य होना पडे।

श्री हिम्मतसिंह—माननीय अध्यक्ष, श्री भैंरूंसिंह जी और श्री गंगासिंह जी ने जो संशोधन पेश किये हैं वे दोनों ही वाजिब हैं। राजस्थान में मीन्स ऑफ कोम्युनिकेशन्स (यातायात के साधन) ऐसे हैं जिनको देखते हुए ३० दिन के नोटिफिकेशन से काम नहीं चल सकता है। बहुत सारे तो ऐसी जगह पर हैं जहां पर ३० दिन तो क्या ३० महीने तक भी समाचार नहीं पहुंच सकते। ऐसी हालत है और फिर चौमासे के मौसम में जहां दलदल और नदियों के कारण कोम्युनिकेशन्स (यातायात) बन्द हो जाते हैं इस चीज को देखते हुए ३० दिन के बजाय ६० दिन का जो सुझाव पेश किया है वह वाजिब

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]
है और मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ३० दिन के बजाय ६० दिन रखा जावे तो बहुत वाजिब होगा ।

श्री भैरूंसिंहजी ने अपना एमेन्डमेन्ट पेश किया है वह भी बिल्कुल वाजिब है । पब्लिक परपज़ के साथ कम्पनी को जोड़ना बिल्कुल गैर वाजिब है । यह लीगल डिफेक्ट सा है । इसलिये जो सुझाव उन्होंने पेश किया है वह बिल्कुल वाजिब मालूम होता है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, तीस दिन के बजाय ६० दिन का नोटिस चाहिये, यह बात कही जाती है । मैं समझता हूं कि लेन्ड एक्वीजिशन का प्रोसिजर (भूमि अर्जन की प्रक्रिया) ही ऐसा है जिसमें समय लगता ही है । इसलिये आवश्यकता को देखते हुए जल्दी से जल्दी जमीन को एक्वायर करने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये । ३० रोज का समय कम नहीं होता । आपने आवागमन के साधन और सूचना पहुंचने की बात कही, मैं समझता हूं कि राजस्थान में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं जहां सूचना पहुंचने में २० रोज से ज्यादा लगें । और जो नदियों से रास्ते रुकने की बात कही उससे तो शायद तीन-चार महीने के बाद इसको लागू करने का प्रश्न आ सकता है । सरकार ने सारी बातों को लक्ष्य में रखते हुए यह ३० दिन मयाद रखी है और मैं समझता हूं कि इसमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि ज्यादा समय रखा जावेगा तो इसका मतलब यह होगा कि सारी प्रोसिडिंगज को डिले (कार्यवाही में विलम्ब) करना होगा ।

कंपनी के संबंध में कहा गया कि पब्लिक परपज़ के लिये है तो फिर उसमें कंपनी का नाम नहीं आना चाहिये । इसके लिये मैं यह कहूंगा कि इसके जो ओबजेक्ट्स हैं उनमें साफ है कि यह कंपनी के लिये भी किया जा सकता है । क्योंकि कहीं पर जमीनें फेक्ट्री आदि के लिये या माइनिंग के लिये जरूरत होती हैं तो ऐसी सूरत में कंपनी या इन्ड्स्ट्री (उद्योग) को भी जमीन देने का सवाल आता है उस समय उनके लिये भी जमीन एक्वायर (ग्रहण) करनी पड़ती है । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह रखा गया है । मैं समझता हूं कि इसमें भी इन शब्दों को रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है और शब्दों को रद्द करना उचित नहीं होगा ।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री ने फरमाया कि लेन्ड एक्वीजिशन के मातहत कम्पनी के शब्द दुरुस्त हैं । मैं समझता हूं कि इससे कोई मतलब नहीं निकलता । यदि वे इन्हीं कम्पनी के शब्दों को क्लॉज ४ में एड कर देते तो ज्यादा अच्छा होता और मुझे कोई एतराज नहीं था । लेकिन क्लॉज ५ में जोड़ा जाना कानूनन गलत है । इससे सरकार जो कंपनी को एडवान्टेजेज देना चाहती है वे नहीं मिल सकेंगे और जिस प्रकार सदन के बनाये हुए कई कानून हाई कोर्ट में चेलेंज हो रहे हैं उसी प्रकार यह भी चेलेंज होगा । कंपनी शब्द क्लॉज ५ के साथ एड (जोड़ा) नहीं किया जा सकता । यह तो क्लॉज ४ के साथ एड किया जा सकता है । कंपनी और पब्लिक परपज़ की अलग अलग डेफिनिशन (परिभाषा) है । जो नोटिस पब्लिक परपज के लिये होगा वह कम्पनी के परपज के लिये नहीं हो सकता । यह तो एक बहुत बड़ा कानूनी डिफेक्ट (त्रुटि) होगा । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा

Page No.56

[श्री भैरूंसिंह (१६)]

कि यदि माननीय मंत्रीजी इसको स्वीकार कर लें तो कोई बुरी चीज नहीं होगी और इससे कंपनी को फायदा होगा और जो फायदा आप पहुंचाना चाहते हैं वह ठीक तरह से पहुंच सकेगा। मैंने अपना इसी लिये फर्स्ट एमेन्डमेन्ट रखा था कि सिलेक्ट कमेटी के पास इसको भेज दिया जाए ताकि सिलेक्ट कमेटी द्वारा इसको क्लॉज ४ में एड कर दिया जावे। यदि माननीय मंत्री इसको मंजूर नहीं करते हैं और यह समझते हैं कि यह बिल्कुल वेग (निरर्थक) है तो मैं उनसे यह अर्ज करूंगा कि इस पर एडवोकेट जनरल की राय ले ली जावे कि आया इसमें कानूनी नुक्स है या नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, मैं जो पहले कह चुका हूं उसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—The question is that amendment to clause 5-A moved by Shri Ganga Singh, amendment No. 25 and By Shri Bhairon Singh amendment No. 24, be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendments are lost.

(विराम)

Now the question is that clause 5-A stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 5-A is added to the Bill.

श्री अध्यक्ष—Clause No. 6.

श्री गंगासिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट क्लॉज ६ के तीसरे हिस्से में इस प्रकार है:—

"The said declaration shall be conclusive evidence that the land is needed for a public purpose or for a Company as the case may be; and,"

इस सारे के सारे हिस्से को इस सब-क्लॉज में से निकाल दिया जावे। अध्यक्ष महोदय केवल डिक्लेरेशन (घोषणा) को ही कान्क्लूजिव एविडेन्स (अन्तिम साक्षी) मान लेना कोई न्याय संगत बात नहीं है और कानून के लिए भी यह अच्छा प्रतीत नहीं होता। ऐसी हालत में इस सब-क्लॉज में से यह हिस्सा निकाल कर यह रखा जाय—

"After making such declaration, the Government may acquire the land in manner hereinafter appearing."

Page No.57

[श्री गंगासिंह]

मेरा दूसरा अमेन्डमेन्ट जो इसी सब-क्लॉज़ में है वह यह कि "Such" की जगह शब्द "Shall" रखा जाय। शब्द "Such" यहां पर वेग (निरर्थक) प्रतीत होता है और ऊपर के क्लॉज़ में जो डिक्लेरेशन का हवाला दिया है इसलिये भी "Said declaration" ही आना आवश्यक हो जाता है।

श्री **अध्यक्ष**—श्री भैरूंसिंह।

श्री **भैरूंसिंह**—I do not want to move.

श्री **अध्यक्ष**—It is just in accordance with the Central Act.

(विराम)

Now the question is that the amendment moved by Shri Ganga Singh to clause 6 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

Now the question is that clause 6 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 6 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 7, Shri Bhairon Singh. Do you want to move?

श्री **भैरूंसिंह**—No, Sir.

श्री **अध्यक्ष**—The question is that Clause 7 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 7 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 8, Shri Bhairon Singh.

श्री **भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)**—यह भी मूव नहीं करना चाहता।

श्री **अध्यक्ष**—The question is that clause 8 stand part of the Bill.

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

Clause 8 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 9. Shri Ganga Singh.

श्री गंगासिंह—संशोधन इस प्रकार है:—

"The word 'and' be substituted for the word 'or' in the third line."

अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही अमेन्डमेन्ट पहले आ चुका है और यह अमेन्डमेन्ट इसलिए रखा गया है कि हमारे यहां जो सर्विस हो रही है वह ठीक नहीं हो रही है। सर्विस जो हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि जिस लेन्ड को एक्वायर किया जाता है उस लेन्ड पर और उसके पास की जगह पर नोटिस लगाया जाय। माननीय मंत्री महोदय ने पहले कहा था कि जो जमीन ली जाती है, हो सकता है कि उस जमीन के बारे में नोटिफिकेशन शाया न हो सकें। परन्तु जो इस एक्ट के अन्दर लेंड की डेफिनीशन है उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे प्रतीत नहीं होता कि वह डेफिनीशन क्यों नहीं जारी हो सकती हैं।

इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि दोनों जगह नोटिस लगाये जावें।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज में मेरा भी एक अमेन्डमेन्ट है :—

"Substitute the word 'thirty' for the word 'fifteen' in the fifth line of sub-clause (2)."

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में यह दर्ज है कि कलेक्टर जिस वक्त नोटिफिकेशन निकाल कर किसी जमीन पर अधिकार करने के लिये उसको डिक्लेअर करदे उसके बाद में वह उस व्यक्ति को इस बात का नोटिस दे कि तुम्हारी अमुक जमीन अमुक काम के लिए ली जाती है और उसमें यदि तुम्हें किसी प्रकार का उज्र है तो कलेक्टर के समक्ष उसे १५ दिन के अन्दर पेश किया जावे, तो इसमें मेरा निवेदन यह है कि यह अवधि कम है क्योंकि इसमें ऐसा भी व्यक्ति आ सकता है जिसका संबंध उस जमीन से है और वह उस स्थान पर मौजूद न हो और आसपास भी नहीं बल्कि कमाने-खाने को काफी दूर चला गया हो। मैं मानता हूं कि इस बिल में आगे जो कोर्ट्स के सामने तरमीम कराने का प्रोविजन रखा है उसमें यह भी रखा है कि वह सूचना रजिस्ट्री के द्वारा उस व्यक्ति के सबसे बाद में मालूम होने वाले एड्रेस पर भेजी जावेगी। पर पन्द्रह दिन के अन्दर, अगर वह व्यक्ति दूर है तो, वह व्यक्ति अन्दर मियाद उपस्थित होने से वंचित रह जावेगा। इसके कारण, हो सकता है कि उसको परेशानी और नुकसान दोनों ही उठाना पड़े।

Page No.59

[श्री भैरोंसिंह (१६)]

आजकल यह आम मानी हुई बात है कि नोटिस की तामील देर से होती है। इसका कुछ कारण तो डाक की वजह से हो सकता है और कुछ तामील कुनिन्दा की वजह से हो सकता है और इन दोनों की गलती से वह व्यक्ति, जिसका संबंध उस जमीन से है, जिसको उस जमीन से निकालने की योजना सरकार बना रही है, अपने उज्र समय पर पेश करने से वंचित रह सकता है।

अगर कमाने-खाने के लिये बाहर जाने से पूर्व सूचना उसे मिल जाती तो शायद वह व्यक्ति कमाने-खाने को बाहर नहीं जाता और वहीं ठहर जाता। पर उसके जाने के पीछे इस प्रकार की कार्यवाही हो और उसकी सूचना उसको समय में नहीं मिले और सरकार अपनी बरियत इसी में समझले कि उसने तो सूचना रजिस्ट्री से उसे भेज दी है और दुर्भाग्य से अगर वह व्यक्ति उस स्थान से भी चार-पांच दिन के लिये बाहर चला गया हो तो नतीजा बड़ा दुखदायी होगा। सरकार ने इधर अपनी बरियत लेली और उधर वह आदमी भी इन्नोसेन्ट (निर्दोष) रहेगा। सूचना उसके घर पहुंच गई, पर उस घर से भी पांच सात दिन के लिये वहां से अनुपस्थित होने से समय पर वह सूचना उसे नहीं मिल सकी और समय पर सूचना नहीं मिलने से वह आ नहीं सका तो नतीजा यह होगा कि वह एग्रीव्ड (संतप्त) आदमी अपने उज्रात समय पर पेश नहीं कर सकेगा और इस तरह से कलेक्टर अपने एवार्ड (निर्णय) मे मनमानी कर सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि १५ दिन का समय न रखकर कम से कम ३० दिन का समय रख लिया जावे ताकि किसी प्रकार की गफ़लत नहीं हो सके।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—यह भी ऐसा ही है जैसा कि पिछला अमेन्डमेन्ट था और जिस पर बहुत बातें कर चुके हैं। समय की मियाद के लिये इसमें "or" के साथ "and" शब्द और जोड़ दिया जाय तो इसकी गुंजाइश हो जाती है। इससे जिस चीज की मंशा है, वह सूचना भी पहुंच जाती है और "and" शब्द कर देने से जो दिक्कत है वह भी नहीं होगी।

भारत सरकार का भी लेंड एक्वीजीशन एक्ट है उसमें भी यही बात है। इसमें भी यही अवधि है। अतः इस अवधि को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री **अध्यक्ष**—The question is that the amendments to clause 9 moved by Shri Ganga Singh and Shri Bhairon Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendments are lost.

(विराम)

Now the question is that clause 9 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 9 is added to the Bill.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

Clause 10. There is one amendment by Shri Bhairon Singh.

(श्री भैंरूसिंह को संकेत करते हुए)

Do you want to move ?

श्री भैंरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:—

"Substitute the word 'five' for the word 'three' in the last line of sub-clause (1)."

इस क्लॉज के द्वारा कलेक्टर साहिब उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का कि उस जमीन से सम्बन्ध है, जिस जमीन को कि सरकार पब्लिक परपज़ेज़ (सार्वजनिक प्रयोजन) से अपने अधिकार में करना चाहती है, मजबूर कर सकते है कि किसी निश्चित समय और स्थान पर उस जमीन के बारे में एक स्टेटमेन्ट दे और यह भी बतावे कि उस जमीन से किस किस व्यक्ति या व्यक्तियों का सम्बन्ध है। इसके साथ साथ यह भी है कि उस जमीन से उस व्यक्ति को क्या क्या फायदा होता है। फायदे का भी स्टेटमेन्ट दे और वह Statement पिछले तीन साल का हो। किस दिन से दे ? जिस दिन से कि नोटिस उसे मिला है। नोटिस मिलने की तारीख से तीन साल पहिले का स्टेटमेन्ट दे ।

जब समेरी सैटलमेन्ट बिल सदन में आया तो मैंने और भीमसिंहजी दोनों ने कहा था कि मकानों का किराया तय करने के लिये बीस-बीस और तीस-तीस साल पहले का जो रेट है उसको आधार बनाया जाय परन्तु ऐसा नहीं होता है। मगर जमीनों की आमदनी तय करने के लिये बीस-बीस साल पीछे के आंकड़े प्रमाण के तौर पर मांगे जाते हैं। वहां दूसरी ओर इसके लिये तीन साल ही उपयुक्त समझा गया है, ऐसा कहां तक उचित है समझने की बात है।

पिछले तीन सालों में स्लम्प का जमाना रहा है और शहर में मकानों के दाम घटे हैं। इसी को ध्यान में रखकर यह तीन साल की अवधि रखी गई है ताकि कलेक्टर साहब को अपना अवार्ड मुकर्रर करने में सहूलियत हो। इसलिये इसमें मेरा निवेदन यह है कि जिस वक्त लड़ाई का जोर था मकानों का काफी किराया था। इसके बाद में किराये में काफी स्लम्प आया और वह स्लम्प अभी दो सालों से बिल्कुल कम हो गया। नतीजा यह होगा कि जिन लोगों की जमीनें ली जावेंगी उनको पिछले तीन सालों का जो जो कि स्लम्प का जमाना होगा ही, हिसाब देना होगा और इसमें स्वभाविक तौर से उनको बड़ा नुकसान होगा ।

इसको देखते हुए मेरा यह संशोधन है कि बजाय तीन साल के पांच साल कर दिये जायें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। इससे स्लम्प के जमाने में से दो साल पूर्व का भाव भी आ जावेगा जब कि लड़ाई के जमाने में जितनी तेज़ी भी नहीं थी तो स्लम्प के समय की मन्दी भी नहीं, बीच की स्थिति थी । इसके विपरीत ३ साल से महज वही रेट्स मालूम होंगे जो स्लम्प के दिनों में थे। इसलिये मेरा निवेदन

[श्री भैरोंसिह (१६)]
है कि दोनों का एवरेज मालूम करने के लिये पाँच साल की अवधि तय कर दी जावे तो कहीं अधिक अच्छा होगा। इसीलिए मैंने यह संशोधन पेश किया है। आशा है माननीय मन्त्रीजी मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--आपने समेरी सैटलमेन्ट के लिये २० साल की अवधि और इसके लिये तीन साल की अवधि का एक साथ कम्पेरिजन (मुकाबला) करने का प्रयत्न किया है। मैं यह तो समझ सकता हूं कि कम्पेरिजन के लिये कोई रेट्स हमारे सामने हों, पर इस २० साल की बात के साथ इसका मेल करना ठीक नहीं है। इस उदाहरण से इसका कोई मेल नहीं हो सकता है। इस बीस साल की अवधि में तो चाहे जो उतार चढ़ाव आवें, कोई खास अन्तर नहीं पड़ने वाला था।

मैं समझता हूं कि अलग अलग रियासतों और भारत सरकार द्वारा भी इस सम्बन्ध में निश्चित कानून बनाये हुए हैं। इस सम्बन्ध में हम भी उसी आधार पर चलें तो ज्यादा ठीक होगा। वहां भी यह अवधि तीन साल की ही देखने को हमें मिलती है। अतः इसे पांच साल करना मैं उपयुक्त नहीं समझता।

श्री अध्यक्ष--The question is that amendment by Shri Bhairon Singh to Clause 10 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that clause 10 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 10 is added to the Bill.

(विराम)

Now the question is that clauses 11, 12, 12-A, 13, 14, 15 and 16 be accepted.

(स्वीकृत)

Clauses 11 to 16 are added to the Bill.

(विराम)

Now we come to Clause 17. Yes, Shri Bhairon Singh.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)--माननीय अध्यक्ष, मेरा अमेन्डमेन्ट यह है:--

The following proviso be added to sub-clause (3):—

"Provided that any person having accepted the offer made by the Collector will never be held to be deprived of his rights for putting further claims at the time of awarding compensation for the damages."

[श्री भैरोंसिंह (१६)]

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में उस अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि उस व्यक्ति की जमीन किसी विशेष जरूरत के कारण सरकार ने जल्दी ही अपने अधिकार में ले ली है और इस कारण से यदि उस व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो कलेक्टर उसे नुकसान अदा करने के लिये यह अवार्ड दे सकता है। लेकिन वह व्यक्ति यदि इस अवार्ड को मन्जूर न करे तो वह उस रकम को जो सरकार देना चाहती है नहीं ले सकता है। वह फिर कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के पास जावेगा तो, अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा निवेदन यह है कि मैं इस सिद्धान्त के प्रतिकूल नहीं हूं। यदि सरकार किसी जमीन के मुतल्लिक यह समझे कि उसे जल्दी से जल्दी सरकार के अधिकार में लेने से ही जनता का फायदा है तो अधिकार में ले लें पर जिस व्यक्ति की यह जमीन ली जाती है उसका भी कुछ खयाल रखे। बस। इस क्लॉज में यह जरूर राहत है कि कलेक्टर साहब उसे कुछ देंगे। पर अगर वह उस राहत को, उस ऑफर को कम होने के कारण मन्जूर न करे तो भी कलेक्टर साहब उसको कुछ दें, यह मेरा इस संशोधन का आशय है।

इसमें दो सूरतें हो सकती हैं। मानलिया कि सरकार को किसी मकान की जरूरत पड़ गई, इसको लेने का नोटिस दे दिया गया। इसके बाद उस व्यक्ति के लिये लाजमी हो जाता है कि वह उस मकान को छोड़ कर बाहर चला जावे, लेकिन अगर वह व्यक्ति गरीब है और नोटिस उसे अवश्य मिल गया है पर दूसरी जगह आबाद होने का जरिया उसके पास नहीं है और उसे हम कह दें कि इस मकान की सरकार के किसी बहुत जरूरी काम के लिये जरूरत है या पब्लिक लाईब्रेरी के लिये जरूरत है या ऐसे ही किसी एमर्जेन्सी (अत्यावश्यक) काम के लिये जरूरी है और इसलिये इसे दो ही दिन में खाली कर दो और साथ ही यह भी कह दे कि मकान तो तुम्हारा दस हजार का है पर देंगे पांच हजार ही तो ऐसी सूरत में फिर उसके सामने दो ही रास्ते हैं। या तो वह पांच हजार लेकर मकान खाली कर दे और पांच हजार से अपनी आबाद होने की जरूरत पूरी कर ले। पर ऐसी सूरत में फिर वह अपने मकान की अधिक कीमत लेने के लिये कलेक्टर या मजिस्ट्रेट के सामने उज्रात पेश नहीं कर सकेगा।

ऐसी सूरत में अगर उज्रात करके अधिक लेने की इच्छा करता है तो मकान चूंकि उसे एक या दो ही रोज में खाली कर देना है तो इसके लिये उसके पास चाहे एक पैसा भी नहीं है दूसरी जगह आबाद होने के लिये वह क्या करेगा? इस दृष्टि से मेरा संशोधन बिल्कुल उचित है।

आजकल हम जानते हैं कि राजस्थान प्रान्त की क्या स्थिति है। यहां कितनी गरीबी है? इस गरीबी को दूर करने के साधन भी आज यह हमारी सरकार नहीं जुटा पाई है। संभावना तो यही नजर आ रही है कि यह गरीबी दिन-दिन बढ़ती जावेगी। इससे हमारे जरिये और भी कम हो जावेंगे। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति का मकान सरकार द्वारा लिया जाता है तो वह, जिसके पास कोई रोजगार नहीं, सुबह का खाना है तो शाम का नहीं और ऐसी स्थिति में उसके मकान की आवश्यकता पड़ गई सरकार को और सरकार ने नोटिस जरूर दे दिया; पर वह जावेगा कहां? उसके पास साधन नहीं, सड़क पर सामान निकाल कर रखने के लिये सरकार मजदूर नहीं कर सकती, मजदूर को पैसा देने के लिये उसके पास नहीं है, खाने के लिये ही नहीं है तो मजदूरों को कहां से देगा तो ऐसे व्यक्तियों के

[श्री भैरोंसिंह (१६)]

लिये यह अमेन्डमेन्ट है कि अगर उसका प्रोविजनल वेल्युएशन फिक्स (पूर्वतः मूल्य निश्चित) कर दे तो इससे उसका वह अधिकार नहीं छीन लिया जावे। अगर उसने वह प्रोवीजनली फिक्स की हुई रकम ले ली है और उसे लेकर अपने आबाद होने का कोई जरिया निकाल लिया है तो इससे वह अपने अधिक डिमाण्ड को लेकर मजिस्ट्रेट के पास नहीं जा सकता यह नहीं होना चाहिये। उसे अपने उज्जात आगे ले जाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में जो ऑफर भी उसकी इच्छा के विपरीत भी होगी तो वह मन्जूर कर लेगा और आराम से अपने आपको वहां से हटा कर दूसरी जगह आबाद कर लेगा। उसे किसी प्रकार का असंतोष भी नहीं होगा और संतोष का वातावरण बना रहेगा। इसमें एक चीज यह भी हो सकती है, सरकार के लिये भी फायदा हो सकता है। लैंड रेवेन्यू की तरह अगर अधिक ऑफर कर दी गई है और ऊपर कोर्ट में जाकर यह मालूम हुआ कि इसने अधिक वसूल कर लिया है और दरअसल में इसकी इतनी भारी कीमत वाजिब नहीं है तो वह वापिस भी हो सकता है। पर इससे व्यक्ति को तुरन्त कुछ राहत मिल जावेगी और आगे अपने साथ अगर कोई ज्यादती की गई है या कम ऑफर दिया गया है तो इससे पैदा होने वाले असन्तोष को दूर करने का विश्वास भी उसे पैदा हो जावेगा। इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है। मैं मानता हूं कि मन्त्री महोदय इसे मन्जूर करके अवश्य ही सद्भावना का परिचय देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—अगर यह कोई सिद्धान्त की बात होती और आप उस हालत में सद्भावना की बात कहते तो शायद उपयुक्त होता। इसमें तो भावना-सद्भावना या दुर्भावना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता; उस हालत में जब कि सिद्धान्ततया आप इससे सहमत हैं।

बल्कि इसी आधार पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने संशोधन को वापिस ले लें। केन्द्रीय सरकार के आधारित तथ्यों के आधार पर ही इसको हमने बनाया है। तो इसलिये जो कुछ इसमें है काफी सोच-विचार और अनुभव के बाद रखा गया है।

श्री भैरूंसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं इस अमेन्डमेन्ट को वापिस नहीं लेना चाहता हूं। वह अमेन्डमेन्ट, आशा है, सदन अवश्य मन्जूर करेगा।

वह है क्लॉज १७ के सब-क्लॉज ६ में।

"Insert the word 'District' before the word 'Magistrate' in the second line.

In sub-clause (5) also there are words like District Magistrate. Sub-clause (5) runs as under :—

"Sub-section (1) and (3) shall apply also in the case of any area which is stated in a certificate by a District Magistrate to be unhealthy."

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—I have no objection. The word 'District' before the word 'Magistrate' in second line to clause 17(6) may be added.

श्री अध्यक्ष—"Magistrate" includes "District Magistrate."

(विराम)

The question is that the amendment moved by Shri Bhairon Singh to sub-clause (3) of clause 17 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is rejected.

(विराम)

Now the question is that the amendment to sub-clause (6) of clause 17 by Shri Bhairon Singh be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

Now the question is that clause 17, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 17, as amended is added to the Bill. Clause 17-A.

(विराम)

The question is that clause 17 A stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 17 A is added to the Bill.

(विराम)

Clause 18.

(विराम)

The question is that Clause 18 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 18 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 19. There is one amendment by Shri **H. K. Vyas** but he is not present.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

So the question is that clause 19 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 19 is added to the Bill.

(विराम)

Now clauses 20, 21, 22 and 22A.

(विराम)

The question is that clauses 20, 21, 22 and 22A stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 20, 21, 22 and 22-A are added to the Bill.

(विराम)

Clause 23. There are two amendments—one by Shri Ganga Singh and another by Shri Abani Kumar Mukerjee, as proposed in the Minute of Dissent.

(विराम)

Yes, Shri Ganga Singh.

श्री **गंगासिंह**—अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट इस क्लॉज के सब-क्लॉज (३) में इस प्रकार है ; इस सब-क्लॉज की सातवीं लाइन में शब्द 'in similar use" निकाल दिया जावे । इस सेक्शन के माफिक एक नया मार्ग निर्धारित किया गया है कि जिस जमीन को किसी भी यूज में लिया जावेगा तो उसकी मार्केट वेल्यु (बाजार भाव) के लिये पास की जमीन को जरूर देखा जायगा । अध्यक्ष महोदय, मेरे कथनानुसार सिमिलरली सिच्युएटेड लेन्ड (similarly situated land) की वेल्यु को ध्यान में रख कर उसकी मार्केट वेल्यु निकाली जानी चाहिये। "similar use" पर ध्यान नहीं देना चाहिये । सिच्युएशन को देखते हुए उसकी मार्केट वेल्यु की जानी चाहिये । हो सकता है उसकी वेल्यु लाखों रुपयों की जायदाद हो सकती है । अगर वह खेती के काम में ली जाती है तो वैसी हालत के अन्दर उस जमीन की मार्केट वेल्यु भले ही ज्यादा हो, पर बहुत कम हो जाती है । इस लिये जो यह जमीन के मूल्य को निर्धारित करने के लिये "similar use" शब्द का प्रयोग किया है वह न्याय संगत नहीं माना जा सकता । ऐसी हालत में मेरा कहना है कि शब्द s'imilar use" हटा दिया जाय ।

Page No.66

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन क्लॉज २३ के सब-क्लॉज (३) (ए) में यह है कि यह सब क्लॉज इस तरह पढ़ा जाय--

"For the purpose of the market value the court shall take into consideration primarily the transfer of land similarly situated and secondarily the use to which the land has been put at the date of acquisition and shall not admit evidence that any price actually paid for similarly situated lands contain any element of the potential value of the land transferred for any more lucrative use."

अध्यक्ष महोदय, मौजूदा जो क्लॉज है वह vague है। इसके वर्डिंग्ज (शब्द) ठीक नहीं हैं। इस वजह से कन्फ्युजन (गड़बड़ी) होने की संभावना है। "use to which the land is put" यह जो मौजूदा क्लाज के अन्दर मार्केट वेल्यु का प्रिन्सिपल (Principal) निर्धारित किया है वह ठीक नहीं। लेण्ड की यूज को मार्केट वेल्यु के लिये क्राइटेरियन (criterian) माना नहीं जा सकता। जब कि खास सिद्धान्त जमीन की वेल्युएशन के लिये यह माना गया है कि जमीन किस जगह पर स्थित है और वह कैसी जगह है इसके आधार पर सिमिलर यूज़ (समान उपयोग) को क्राइटेरियन (criterian) नहीं माना जा सकता। "use of land" को यदि क्राइटेरियन (criterian) माना जायगा तो बहुत हानि होने की संभावना है। मिसाल के तौर पर मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जयपुर के अन्दर "सी" स्कीम ऐसी जगह है जहां नया डेवलपमेन्ट हो रहा है। "सी" स्कीम में बहुत सारे प्लाट्स ऐसे हैं जहां अभी तक मकान बने नहीं है और कुछ प्लाट्स में खेती भी होती है। अगर "use of land" को मार्केट वेल्यू का क्राइटेरिया मान लिया गया तो लन्ड Acquisition एक्ट के अन्तर्गत उस जगह को एक्वायर (acquire) किया जाता है तो क्या उसको खेती की जमीन मानली जायगी, इस आधार पर अगर उसकी valuation की जायगी तो क्या यह उचित होगा ? इसके लिये उसके आसपास की जमीनों का यानें उसके अनुसार ही valuation किया जायगा, तो यह उचित होगा। इसलिये मेरा मतलब यह है कि transfers of similarly located lands को principal criteria माना जाय और दूसरा criteria कि वह जमीन किस काम के लिये बरती जाती है। ये criteria मान लिये जावें। इसके लिये मैंने संशोधन रखा है। आशा है आप मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, इस बारे में जो संशोधन पेश किया गया है उसमें काफ़ी बहस सिलेक्ट कमेटी के अन्दर भी हुई थी और माननीय श्री अवनिकुमार जी भी उसके सदस्य थे और वह जानते हैं कि "similar use" वाली बात जो रखी गई थी उस पर हर प्रकार से चर्चा की गई थी। यह दृष्टिकोण भी सामने रखा गया था कि अगर लोकेशन (स्थिति) वाली बात सिर्फ रह जाय इसके अन्दर जो कि बराबर दूसरे यूज के अन्दर भी आती रहेगी तो वेल्यु करते समय उसके यूज़ को ध्यान में रखना मुख्य चीज है बजाय इसके कि यूजवाली बात इसमें से हटा दें। यू.पी. व दूसरी जगह जो कानून बनाये गये हैं उनमें भी इसी बात को मुख्य चीज रखा गया है। यूज़ को सामने रखकर वेल्युएशन (valuation) किया जाता है। मैं यह समझता हूं कि जो जमीन जिस

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

काम में आ रही है उस काम पर सोचेंगे। "सी" स्कीम में प्लाट के लिए जो जमीन है अगर वह एग्रिकलचर की जमीन समझली गई तो में समझता हूं कि यह नहीं कि एग्रिकलचर की जमीन को प्लाट की जमीन समझ लिया जाय। जो वह चाहते हैं, वह नहीं होगा। इसलिये सिमिलर यूज वाली बात को इसमें प्रोवाइड करना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment moved by Shri Ganga Singh to clause 23 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is rejected.

(विराम)

The question is that the amendment moved by Shri Abani Kumar be accepted

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

Clause 6 (d) (श्री अवनिकुमार की ओर संकेत करते हुए) were you not satisfied when the Select Committee discussed it at full length?

श्री अवनिकुमार—Because my view point was not appreciated.

श्री अध्यक्ष—The persons here are the same as that of the Select Committee.

श्री अवनिकुमार—I have got a right to place my view point.

श्री अध्यक्ष—That you have.

श्री अवनिकुमार—Then I have got the right to move.

(विराम)

माननीय अध्यक्ष, मेरा दूसरा संशोधन ६ (डी) में यह है कि इस सब क्लॉज की छठी लाइन में जो शब्द है "in good faith and' वे डिलीट कर दिये जायं। शब्द 'in good faith and' को डिलीट नहीं करने से जिनकी जमीन एक्वायर की जायगी उसके ऊपर अन्नेसेसरी अनावश्यक भार (बरडन) डाल दिया जायगा कि उन्होंने जमीन में जो सुधार इम्प्रुवमेंट किया है वह उसने

Page No.68

[श्री अवनिकुमार मुखर्जी]
भली मंशा से किया है। वह यह प्रूव(सिद्ध)करें कि उसकी जमीन के अन्दर जो कुछ भी इम्प्रुवमेंट किया गया है वह गुड फेथ (सद्भावना) से उसने किया है यह (prove)करना बहुत मुश्किल है। इस सवाल पर सिलेक्ट कमेटी में काफी बहस हुई थी। इसलिए तमाम बातों को खयाल में रखते हुए इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—सिलेक्ट कमेटी के बहस की बात आप जानते हैं कि उसमें बहस हुई थी। उसका परिणाम हुआ था कि उसको स्वीकार नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सिलेक्ट कमेटी के विचार जानते ही हैं। मैं फिर उनको दोहराना चाहता हूं कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री अध्यक्ष—I think let it be withdrawn in good faith.

श्री अवनिकुमार—Why not the words be deleted in good faith.

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment to clause 23 (6) (d) moved by Shri Abani Kumar Mukherjee be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

So the question is that clause 23 stand part of the Bill.

(सर्वसम्मति से स्वीकृत)

The clause is added to the Bill. Clause 24.

(विराम)

The question is that clause 24 stand part of the Bill.

(सर्वसम्मति से स्वीकृत)

Clause 24 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 24-A. Yes, Shri Bhairon Singh.

श्री भैरोंसिंह—(दांता रामगढ़) माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज के सब—क्लॉज (दो) को डिलीट करने का मेरा संशोधन है।

[श्री भैरूंसिंह (१६)]

वह पार्ट (दो) इस प्रकार है:—

"If in the opinion of the Court any building which is used or is intended or is likely to be used for human habitation is not reasonably capable of being made fit for human habitation, the amount of compensation for such building shall not exceed the value of the materials of the building minus the cost of demolising the the building."

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार किसी भी जमीन पर, चाहे वह कानून से ही क्यों न हो, जबरदस्ती अधिकार प्राप्त करती है और दूसरी तरफ सरकार यह चाहती है कि उसको कुछ एवजाना दे और एवजाना देने के लिए सरकार एक रेवेन्यु अफसर से लेकर कलेक्टर, मजिस्ट्रेट के पास अपने उजरात पेश करने का प्रोवीजन रखती है। इस क्लाज में जिस मजिस्ट्रेट के द्वारा उस बिल्डिंग का एवार्ड दिया जायगा उसमें यह बात आ जायगी, यह बताया गया है, कि मजिस्ट्रेट को किन २ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इस भाग के द्वारा सरकार की मन्शा यह है कि यदि किसी व्यक्ति की जमीन या किसी मकान को सरकार अपने अधिकार में ले और वह मकान इस योग्य नहीं हो कि उसमें कोई व्यक्ति सुरक्षित रह सकता हो, तो जो मजिस्ट्रेट एवार्ड देगा तो उस एवार्ड में वह महज उन्हीं पत्थरों और मेटीरियल की कीमत देगी और उसमें से मकान को खोदने फोडने-तोडने का खर्चा काट लेगी। एक तरफ तो किसी का मकान जबरन लिया जा रहा हो और उसको तोड़ने का खर्चा भी उसी आदमी से लिया जाये, मेरी समझ में यह न्याय की चीज नहीं है। एक तरह तो उसका ऐसा मकान छीनना ही बिल्कुल अन्याय है। ऐसा व्यक्ति उस मकान में रहते हुए और यह सोचते हुये कि यह मकान आदमियों के रहने के लिए सुरक्षित नहीं है लेकिन मजबूरन वह उस मकान में रहता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा मकान नहीं है। खतरा उस मकान में ऐसा है और खतरे के साथ यह भी वह महसूस करता है कि वह कभी भी गिर सकता है और गिरने से उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन एक तरफ जान जाने का खतरा है तो भी वह उसमें रहता है क्योंकि उसके पास दूसरा मकान नहीं है जिसमें जाकर वह अपनी जिन्दगी बसर कर सके और मजबूरन वह उस मकान में रहता है। ऐसी मजबूरी की हालत में जब गवर्नमेंट अधिकार प्राप्त करती है, उसे लेना चाहती है और उसका मुआवजा देती है, लेकिन मुआवजा देने में यह शर्त रखती है कि चूंकि यह मकान आदमियों के लिए सुरक्षित रूप से रहने के उपयुक्त नहीं है और वह मकान का कोई उपयोग नहीं कर सकती है तो सरकार उस मकान को तुड़ायेगी और उसका खर्चा उस एवार्ड में से काटेगी। उस आदमी को मकान तुड़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। वह मकान में रह सकता था वर्षों तक। सरकार की निगाह ऐसी हो सकती है कि उसमें किसी व्यक्ति की जिन्दगी सुरक्षित नहीं रह सकती है, लेकिन मजबूरी की हालत में उसके लिए यह जरूरी था कि वह उस मकान में रहे। वह सरकार की निगाह में बुरा हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की निगाह में बुरा नहीं हो सकता है इसलिए वह मजबूरन रहता है। सरकार उस को खोद देती है और उसका खर्चा भी उससे चाहिये तो यह कि ऐसे गरीब आदमीयों को कुछ और रकम देने का प्रोविजन रखे और रुपया देने का सवाल तो दूर, पुराना मेटिरियल हटाने का खर्चा भी उस एवार्ड म से लिया जायगा। में समझता हूं कि यह गरीब आदमीयों पर दुधारी तलवार से कुठाराघात है। ऐसे कुठाराघात से सरकार के प्रति जनता में असन्तोष फैलने का मौका आयगा। इसलिये में मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस गलती को ठीक कर लें।

श्री हिम्मत सिंह अ८ रू--इसके सम्बन्ध में कुछ अर्ज करना चाहता हूं कि मकान गिराने का यह खर्चा उस मकान वाले पर डाला जाय. यह अन्याय की बात है। ऐसे खंडहर तो चित्तौड़ के किले में देख लिये जांय जो वर्षों से खड़े हुए हैं। गिराने की यह कोई बात नहीं है कि उनसे खतरा है। यह सरासर बड़ी ज्यादती होगी ऐसे आदमियों पर कि उनके मकान भी ले लें और उनको गिराने का खर्चा भी उनसे लें। यह गवर्नमेन्ट का कोई न्यायानुकूल कानून नहीं है। न्याय की दृष्टि से भी यह क्लॉज तरमीम करने के लायक है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल न्याय पर आधारित है। जो मकान हेबिटेशन के लायक नहीं है उस मकान को गवर्नमेन्ट लेकर तोड़ेगी तो उसके बिना वह उसको उपयोग में नहीं ला सकती है। वह ह्यूमन हेबिटेशन के लायक नहीं है तो उसको तुड़ाने का खर्चा तो गवर्नमेन्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कम्पेन्सेशन को केल्क्युलेट करने में पत्थर की कीमत मानी जायगी। उसमें से वह खर्चा डेबिट कर दिया जायगा जो कि उसको तुड़ाने के अन्दर लगा है। मैं समझता हूं कि यह बिलकुल उचित है।

श्री अध्यक्ष— But why the man should suffer?

(विरोधी पक्ष की ओर से करतलध्वनि)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—"Suffer" करने का प्रश्न नहीं है। उसके पास से लेकर कहीं से उसको दिया जायगा।

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, जिस वक्त यह बिल सदन के समक्ष आया था उस वक्त वातावरण कुछ और ही था। उस समय ग्राम पंचायत बिल में विरोधी दल के सदस्यों के कई संशोधन मन्जूर किये गये, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ३ दिन के बाद ही यह न मालूम किस प्रकार का वातावरण बदल गया है कि विरोधी दल की ओर से जो भी न्यायोचित मांगें रखी जाती हैं उन पर विचार करने की बात भी मंत्री महोदय नहीं मानते हैं। यदि मंत्री महोदय इस चीज को सोचें और जरा थोड़ा सा अपने ऊपर ही इस चीज को घटाकर सोचें तो वे उस हालत को नहीं भूल सकते हैं जिस हालत में उसे मकान छोड़ना पड़ेगा। ऐसे गरीब आदमी को, जो एक एक पैसे के लिये मोहताज है उस आदमी से यह कहें कि मकान से बाहर निकल जाओ। कम्पेन्सेशन ६ महीने में मिलेगा, और उसके लिए मकान का कोई इन्तजाम नहीं तो ६ महीनों तक वह अपना जीवन बसर कैसे करे? इस आदमी की हमें कोई चिन्ता नहीं। हमें मतलब है कि मकान से बाहर हो जाओ। अगर मकान के बाहर नहीं होते हो तो हमने ऐसा कानून बनाया है कि जबर्दस्ती पुलिस के जरिये से बाहर निकाल दिये जाओगे।

मुझे इस संबन्ध में सरकार की विशेष आलोचना नहीं करके यही कहना है कि सरकार इसी तरह जुल्म ज्यादती करती रही तो सरकार ऐसे कानून बनाना तो भूलेगी ही..............

श्री अध्यक्ष—You should be within your limits.

श्री भैरूं सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं "limits" में रहने का तो काफी प्रयत्न करता हूं परन्तु जब सत्तारूढ पार्टी की तरफ से इस तरह की बातें की जाती हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तब आत्मा दुखित होतीहै इसलिये कहना ही पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष--I have every sympathy with you.

श्री भैरूं सिंह--माननीय मंत्री जी ने कहा कि पत्थरों की, मेटीरियल (Material) की कीमत देंगे । हालां कि उनके कहने में नम्रता थी पर उनके सामने दिक्कत आ रही है कि भारत सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा यह कानून बनाया गया है और वे इस में तब्दीली नहीं कर सकते । मैं उनके साहस को प्रोत्साहन देने के लिये कहूंगा कि यदि भारत सरकार द्वारा बनाये हुए कानून में अनुचित बात हो तो आपको अधिकार है कि इस सदन द्वारा उसमें सुधार करवादें ।

श्री अध्यक्ष—You are going to the Central Government from this Government.

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—अमेंडमेंट इस सारे क्लॉज को डिलीट करने का है वह तो स्वीकार किया जाना संभव नहीं है । इसमें से अगर यह डिलीट कर दिया जाय :

"minus the cost of demolishing the building." तो मुझे कोई एतबार नहीं ।

श्री अध्यक्ष—Is it necessary to have all of it ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)--By deleting the words 'minus the cost of demolishing the building' will serve the purpose.

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ)--मुझे स्वीकार है । मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—Now the amended clause will run like this:—"If in the opinion of the Court any building which is used or is intended or is likely to be used for human habitation or is not reasonably capable of being made fit for human habitation, the amount of compensation for such building shall not exceed the value of the materials of the building" Words "Minus the cost of demolishing the building" are deleted. I think the House accepts this amendment. Now the question is that clause 24-A, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 24-A, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Clauses 25 to 34.

(विराम)

Now the question is that Clauses 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, and 34 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 25 to 34 are added to the Bill.

[श्री अध्यक्ष]

Clause 35.

(विराम)

Amendment by Shri H. K. Vyas. But he is not present.

(विराम)

Yes, Shri Bhairon Singh.

श्री भैरू सिंह (१६)—I do not want to move my amendment Sir.

So the question is that Clauses 35, 36, and 37 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 35, 36 and 37 are added to the Bill.

(विराम)

Clause 38- amendment by Shri H. K. Vyas.

(विराम)

He is absent, as such his amendments to Clause 38-A and 52 are dropped.

(विराम)

Clauses 38 to 48.

(विराम).

So I put the question that clauses 38, 38-A, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 and 48 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 38 to 48 are added to the Bill.

(विराम)

Now clause 48-A. Shri Bhairon Singh.

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ)—क्लॉज 48-A में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:—

"Substitute the words 'six months' for the words 'One year' in second line."

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में यह दिया हुआ है कि यदि कलेक्टर जिस तारीख से नोटिफिकेशन के जरिये राज-पत्र में उसका पबलिकेशन हुआ उससे एक साल के अर्से के अन्दर अपने एवार्ड्स के सम्बन्ध में निर्णय नहीं दे सके और निर्णय देने का समय एक साल से आगे भी बढ़ जाय तो उस व्यक्ति को जिसका मकान या जमीन कब्जे में लिया गया है उस समय का भी मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा।

एक तरफ हम इस बिल के क्लॉज ११ में पास कर चुके हैं जिसमें लिखा है :—

"Make an award within a period of six months commencing from the time fixed under sub-clause (2) of clause 9."

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ हम इस बिल में कानून बना कर यह चाहते हैं कि एवार्ड का फैसला ६ महीनों के अन्दर कर दिया जाय, दूसरी तरफ कहते हैं कि यदि कलेक्टर एक साल में भी नहीं कर

[श्री भैरूंसिंह (१६)]

सके तो एक साल का जो नुकसान हुआ है वह देना पड़ेगा। एक तरफ ६ महीने का कहते हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेन्ट की तरफ से छुट्टी देते हैं कि एक साल में और एक साल के बाद भी कर सकते हैं। ६ महीने में नहीं कर सकते तो दूसरे ६ महीने का कोई असर नहीं, बीच के ६ महीने का पीरियड बिना कम्पेन्सेशन के ही चला गया।

इसलिये कलेक्टर और सरकार पर दवाब डालने के लिये, जल्दी से जल्दी निर्णय कराने के लिये ही मैंने यह संशोधन रखा है कि यदि कलेक्टर या मजिस्ट्रेट ६ महीने में एवार्ड मुकर्रर नहीं कर सकें तो जितना समय ज्यादा निकले उसका कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। अतः मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे संशोधन को स्वीकार करलें।

श्री हिम्मतसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं श्री भैरूंसिंहजी के अमेन्डमेन्ट का समर्थन करता हूं। जो क्लॉज ११ पर है कि कलेक्टर ६ महीनों में अपना एवार्ड दे दे। इसलिये वैसे मिनिस्टर महोदय ने यह फरमाया कि मामला अर्जेन्ट (आवश्यक) है इसलिये जल्दी से जल्दी इसको किया जावे। जब मिनिस्टर महोदय यह कहते हैं और फिर भी वे यह चाहते हैं कि कलेक्टर एक साल तक कुछ नहीं करे। ऐसा एटीट्यूड (attitude) वाजिब नहीं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो संशोधन है वह बहुत ही वाजिब है और मन्त्री महोदय को इसे मन्जूर कर लेना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, पहले इसमें दो साल का समय रखा गया था, इसके बाद में एक साल का समय सारे के सारे प्रोसिजर को देखते हुए ज्यादा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—(श्री मोहनलाल सुखाड़िया को संबोधित करते हुए) That is reasonable (श्री भैरूंसिंह की ओर संबोधित करते हुए)—You want to press it.

श्री भैंरूसिंह—Yes Sir.

श्री अध्यक्ष—The question is that amendment to clause 48-A be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that clause 48-A stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

Clause 48-A is added to the Bill.

(विराम)

Clause 48-B.

(विराम)

The question is that clause 48-B stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 48-B is added to the Bill.

(विराम)

Now we come to clause 49. Shri Abani Kumar to move his amendment.

श्री अवनीकुमार—माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन सेक्शन ४९ के सब-सेक्शन (४) पर इस प्रकार है :

The words 'building and manufactory' be added after the word 'house' occuring in line 2 of this sub-section"

मेरा संशोधन है कि यह बहुत सीधा और सरल संशोधन है। मेरा आर्ग्युमेण्ट (argument) यह है कि अगर सरकार हाउस के लिये यह कन्सेशन देती है तो बिल्डिंग और मेन्युफेक्ट्री को भी इस प्रकार का कंसेशन दिया जाना चाहिये। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार किया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह सब बातें सिलेक्ट कमेटी में बहस के बाद तय हुई हैं और अब इसका कोई प्रश्न ही नहीं आता।

श्री अध्यक्ष—So the question is that the amendment to clause 49, contained in the Minute of Dissent by Shri Abani Kumar Mukerjee be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

Now the question is that clause 49 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Page No.75

[श्री अध्यक्ष]

Clause 49 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 50, 51, 52, 53,54, 55, 56.

(विराम)

The question is that clauses 50, 51, 52, 53, 54, 55, and 56 stand part of the ill

(स्वीकृत)

Clauses 50 to 56 are added to the Bill.

(विराम)

Now we come to clause 1. Amendment by Shri Ganga Singh.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—That is acceptable to me.

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment to clause 1- Substitute "1953" for "1952" be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

Now the question is that clause 1, title, extent, commencement and preamble stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 1, title, edtent and commencement and Preamble are added to the Bill.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)–Sir, I beg to move that the Bill to consolidate and amend the law for the compulsory acquisition of land in Rajasthan, as amended, be passed.

श्री अध्यक्ष—The question is that the Rajasthan Land Acquisition Bill, 1953, as amended, be passed.

(स्वीकृत)

The Bill, as amended, is passed.

Page No.76

भारतीय पंजीयन (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—Sir, I beg to move that the Bill to amend the Indian Registration Act, 1908, in its application to Rajasthan, be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

The question is that the Indian Registration (Rajasthan Amendment) Bill, 1953, be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

(विराम)

This is a formal Bill, only two sections.

श्री भोलानाथ—Sir, I beg to move that the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष—The question is that the Indian Registration (Rajasthan Amendment) Bill, 1953, be passed.

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

राजस्थान मीन-क्षेत्र विधेयक, १९५३

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (सिंचाई मंत्री)—Sir, I beg to move that the Bill to provide for the protection, conservation and development of Fisheries in Rajasthan be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

I think the Hon'ble Members have not to discuss the principles of the Bill.

So the question is........

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रिन्सिपल्स पर थोड़ा सा कहना चाहता हूं। भारतवर्ष एक धर्म-प्रधान देश है और यहां अहिंसा परमोधर्मः का सिद्धान्त चलता है। यहां पर इस

Page No.77

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]
प्रकार के हत्याकाण्ड का कार्य करना, मछलियों को मार कर बेचना बहुत बुरा काम होगा। अतः इसको इस तरह से नहीं किया जाय, यह मेरा अनुरोध है।

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)— बहुत प्रसन्नता की बात हुई।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—क़तई नहीं।

श्री अध्यक्ष—So the question is that the Rajasthan Fisheries Bill, 1953, be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, १२ बज कर ७ मिनिट पर पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष—Clause 2.

(विराम)

The question is that clause 2 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 2 is addded to the Bill.

(विराम)

Clause 3

(विराम)

The question is that clause 3 stand part of the Bill

(स्वीकृत)

Cluase 3 is added to the Bill.

श्री जसवन्तसिंह—हमारे इधर की आवाज़ अधिक है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—Clause 4

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

The question is that clause 4 stand part of the Bill.

(मतदान के पश्चात्)

विरोधी पक्ष के एक सदस्य—'ना' पक्ष जीता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—'हां' पक्ष जीता है।

श्री उपाध्यक्ष—तो क्या घंटी बजाई जाय ?

श्री हिम्मतसिंह—चलने दीजियेगा। यह तो रजवाड़ी काम है।

श्री उपाध्यक्ष—So the question is that clause 4 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 4 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 5- Shri Jawan Singh.

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, इस क्लॉज के सब-क्लॉज (३) (ई) में मेरा अमेन्ड-मेन्ट इस प्रकार से है।

"The words 'prohibit fishing except under license and' be deleted."

ये वर्ड्स सब क्लॉज "इ" में से डिलीट करने के लिये इस संशोधन में दर्ज किये गये है। ऊपर इस क्लॉज के सब क्लॉज (२) में बताया गया है कि—

"(2) The state Government may also by notification in the Rajasthan Gazette apply such rules or any of them to any private waters with the consent in writing of the owner thereof and of all persons having for the time being any exclusive right of fishery therein."

इस धारा को देखते हुए ही मैंने यह संशोधन इस उप-धारा "इ" में पेश किया है।

माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक किसी व्यक्ति के अपने नए तालाब या पोन्ड्स से सम्बन्ध है मैं उसके लिये निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को किसी की निजी सम्पत्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये और इसी खयाल को मद्देनजर रखते हुए यह संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। आपको कम से कम निजी सम्पत्ति के बारे में स्वतन्त्रता देनी चाहिये। निजी सम्पत्ति के बारे में किसी भी व्यक्ति को, जिसकी सम्पत्ति है, हक़ होना चाहिये कि वह जिस तरह से चाहे अपनी निजी सम्पत्ति का

[श्री जवानसिंह]

उपभोग कर सकता है, उसकी व्यवस्था कर सकता है। अगर हमारी कांग्रेसी सरकार लाल झंडे के नीचे जाना चाहती हो या वह रूस के सिद्धान्तों को मानने जा रही हो और अगर उनका उन सिद्धान्तों की तरफ इशारा हो तब तो मैं उस सूरत में मान सकता हूं कि निजी सम्पत्ति उन सिद्धान्तों के विरुद्ध होगी और यह नीति किसी भी सम्पत्ति के लिये नहीं हो सकती। हमारे सदन में हम हमेशा देखते हैं कि एक ही माननीय सदस्य उस दृष्टिकोण को पकड़े हुए हैं और जिनका विरोध हमारी सरकार हमेशा करती है। अतः इस धारा में तो ऐसा प्रोवीज़न रखा जाना चाहिये था कि हमारी सरकार निजी सम्पत्ति के उपभोग में किसी प्रकार का दखल नहीं करना चाहती और अगर ऐसा करती है तो इस उप-धारा की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि वह मालिकों को, जिनके पोन्ड्स हैं यह अधिकार दे कि जिस तरह से चाहें वे उनका उपभोग कर सकते हैं; कम से कम लाइसेन्स लेने की उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं रखी जाय ताकि उनकी सुविधा में खलल पैदा न हो। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो यह संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह मंजूर किया जावेगा।

श्री भैंरूसिंह (केलवा)—माननीय उपाध्यक्षजी, प्राइवेट सम्पत्ति को लेने के पहले यह सोचना आवश्यक है कि इनको क्यों लेना जरूरी है और किस पर्पज के लिये रियासत प्राइवेट प्रोपर्टीज़ को अपने हाथ में लेना चाहती है? मेरा ऐसा खयाल है और विश्वास है कि स्टेट को ऐसा राइट (अधिकार) नहीं हो सकता है। प्राइवेट तालाबों के लिये लाइसेन्स वग़ैरह का बन्धन लगाया है। जो आदमी मच्छियों को बेचता है वह भी चाहता है कि मच्छियों की खरीद बढ़े। बेचने वालों के लिये यह एक आमदनी का ज़रिया है। लेकिन लाइसेन्स का बन्धन लगाना अनन्सेसरी (अनावश्यक) है। इससे काफ़ी तकलीफ़ें होंगी और वे अपने तालावों में फ़िशिंग नहीं कर सकेंगे। उन्हें सरकारी अफ़सरों की खुशामद करनी पड़ेगी। इस परिस्थिति में श्री जवानसिंहजी ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है कि प्राइवेट पोन्डस के लिये लाइसेन्स की कोई आवश्यक्ता नहीं है और उनको पूर्ण अधिकार होना चाहिये कि वे चाहें तो मच्छियां बेच सकते हैं, शिकार खेल सकते हैं और अन्य लोगों को शिकार के लिये इन्वाइट कर सकते हैं, वाजिब है और स्वीकार किया जाना चाहिये। प्राइवेट प्रोपर्टी का उनका खुद का राइट है और उनके इस मामले में सरकार द्वारा दखल देना एक प्रकार से सरकार का बेजा प्रयास है और यह एक ग़लत तरीक़ा है। यह उनके हक़ों पर कुठाराघात है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मंत्रीजी इस बात को मान लें कि जहां प्राइवेट पोन्ड्स हैं वहां लाइसेन्स की कोई आवश्यकता नहीं। स्पेशल क्लॉज़ (क़ानून) होने चाहिये जो देश की उन्नति के लिये, पब्लिक पर्पजेज़ के लिये उपयोगी हों वरना इस प्रकार के लॉज़ हानिकारक ही हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री)—माननीय उपाध्यक्षजी, जो अमेन्डमेन्ट मूव किया गया है मुझे उसे स्वीकार करने में कोई एतराज़ नहीं है। मैं इसे स्वीकार करता हूं।

(करतल ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष—The question is that the amendment moved by Shri Jawan Singh be accepted.

[श्री उपाध्यक्ष]

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that clause 5, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 5, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Clause 5-A. Amendment by Shri Jawan Singh.

श्री जवानसिंह—संशोधन इस प्रकार है—

" After Clause 5 a new clause 5A be added.—

'No fishing shall be, allowed except under license obtainable from such officer or person as may be authorised in that behalf by the State Government.'

माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे इस तमाम क़ानून को पढ़ने के पश्चात् मालूम हुआ कि इसमें ऐसी कोई धारा नहीं है जिसकी तहत में अगर कोई व्यक्ति मछलियों को पकड़ना चाहे या शिकार करना चाहे तो उसके सामने यह तरीक़ा होगा कि जिसकी तहत में वह ऐसा कर सके इसीलिए मैंने पांचवीं धारा के पश्चात् ५ ए करके एक धारा और जोड़ने के लिये इस संशोधन द्वारा प्रार्थना की है। इसके लिये कोई खास तौर से मुझे सदन से निवेदन नहीं करना है क्योंकि यह चीज़ तो ऐसी ज़ाहिर है कि संशोधन को देखते ही यह सबे विदित हो गया होगा कि अगर हम क़ानून बनाने जा रहे हैं तो उसमें ऐसे प्रोवीज़न का होना तो बहुत जरूरी है।

जब तक यह निश्चय नहीं हो पायगा कि किसी सरकारी अहलकार या अफ़सर की आज्ञा से यह शिकार किया जा सकता है या मछलियां पकड़ी जा सकती हैं तो किसी भी व्यक्ति को यह भी नहीं मालूम होगा कि इसका जुर्म भी क्या हो सकता है और न ही कोई अगर ऐसा करना चाहेगा तो कर भी पावेगा। इसी जरूरत को महसूस करते हुए मैंने इस संशोधन को प्रस्तुत किया है ताकि यह क़ानून साफ़ और स्वयंसिद्ध और सरल बन जावे। कोई भी व्यक्ति जो इसकी तहत में फ़ायदा उठाना चाहेगा, चाहे अपनी रोजी के लिये या और किसी भी काम के लिये तो सरकारी अफ़सर से जिसको सरकार नियत करेगी वह इसका लाइसेन्स प्राप्त करेगा और इसके पश्चात् उस लाइसेन्स की तहत वह व्यक्ति मछली पकड़ सकेगा या उनका शिकार कर सकेगा तो यह कोई जुर्म भी नहीं होगा और उसको भी कठिनाई नहीं होगी। तो इस तरह यह तो एक ऐसी निर्दोष धारा है, जिसके लिए मुझे सरकार से ज्यादा निवेदन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिये, बशर्ते कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर लें।

[श्री जवानसिंह]

इसमें कहीं किसी भी जगह न तो दलगत भावना होने की शंका ही मालूम पड़ती है न ऐसे ही मालूम पड़ता है कि कोई विशेष दल या पक्ष की ओर से यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है या ऐसी कोई शंका करने की झलक भी इससे टपकती है। इसलिये मैं सभी सदस्यों से, इस ओर बैठे हुए और उस ओर बैठे हुओं से निवेदन करता हूं कि इस निर्दोष धारा को अवश्य ही स्वीकार किया जावे ताकि हमारा जो यह क़ानून बन रहा है वह स्वयंसिद्ध और पूरे क़ानून की शक्ल में हमारी जनता के सामने पेश हो, ताकि किसी तरह की कोई असुविधा किसी को न हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री)—माननीय उपाध्यक्षजी, इसके प्रस्तावक महोदय का मतलब यह है कि एक धारा और बढ़ा दी जाय। मेरा कहना है कि इसको मानने में कोई सैद्धान्तिक मतभेद का प्रश्न नहीं है। इसको जोड़ देने से ५ ए के रूप में एक खन्ड बढ़ जायगा, इसका मतलब तो यही हुआ।

श्री जवानसिंह—हां, इसको मान लिया जायगा तो ५ ए बढ़ जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री)—इसको मानने में कोई एतराज़ नहीं। इसको मानने से क्लॉज़ ५ के पश्चात् क्लॉज़ ५ ए बढ़ जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—The question is that the amendment proposed by Shri Jawan Singh, to add one Clause 5A, be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted and as such clause 5A is added to the Bill.

(विराम)

Clause 6 and 7

(विराम)

The question is that clauses 6 and 7 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 6 and 7 are added to the Bill.

(विराम)

Clause 8 Shri Jawan Singh.

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, इस क़ानून की धारा ८ की उपधारा (२) में मेरा संशोधन इस प्रकार है।

[श्री जवानसिंह]

इस उपधारा के आगे जो प्रोवीजन है इसमें शब्द "necessary" के आगे ये शब्द जोड़ने का मेरा संशोधन है–

"which shall not exceed twenty four hours in any case."

इसके बाद जैसी कि उपधारा है वैसी ही बनी रहेगी। जहां तक क़ानून का ज्ञान हरेक व्यक्ति को होना चाहिये जो प्रिज़म्पशन क़ानून का होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं यह निवेदन करता हूं कि हमारे यहां जितने भी क़ानून हैं उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी जुर्म के लिये पिनेलाइज़ (penalise) किया जाता है तो उसको जुर्म की सज़ा दी जाय। उससे पहले जो उस पर प्राइमाफ़ेसी जुर्म रजिस्टर किया जाता है उस स्टेज में जब वह पहले पहल जब कि शहादत मिल जाती है कि उस व्यक्ति ने जुर्म किया है तो उस आदमी को या किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पश्चात् जब तक मजिस्ट्रेट की पेशी में नहीं ले जाया जाता उसके लिये चौबीस घंटे का समय निश्चित होता है। चौबीस घंटे में उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। उपाध्यक्षजी, अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा को देखेंगे और दूसरे कोड्स भी यदि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे समय की अवधि निश्चित की गई है। इसी ख्याल से मेरा निवेदन है कि किसी व्यक्ति को इस क़ानून की अवहेलना करने पर उसकी गिरफ्तारी पर आप उसके तक़दीर को उन अधिकारियों के हाथ में मत छोड़िये बल्कि गिरफ्तारी से २४ घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दें। इस प्रकार की असावधानी अगर हम रखेंगे तो वे अधिकारी उसको एक-दो दिन से लेकर पांच-दस दिन तक भी मजिस्ट्रेट के हवाले नहीं करेंगे। कभी ऐसा मौक़ा न आ जाय कि इन्वेस्टीगेशन के वक्त मिसअन्डरस्टेंडिंग (ग़लत फ़हमी) में कोई अन्य व्यक्ति गिरफ्तार हो जाय और उसको दो-तीन दिन तक गिरफ्तारी का शिकार बना रहना पड़े। सरकारी अफ़सर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करते, ऐसी स्थिति के पीछे क़ानून का सिद्धान्त है कि १०० जुर्म करने वाला व्यक्ति भी भले ही छोड़ दिया जाय लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है कि उस पर कोई जुर्म लाद दिया जाय जो इन्नोसैन्ट (निर्दोष) है, उसको सज़ा न हो, उसको ध्यान में रखें तो कम से कम इतना प्रोवीज़न करना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति को किसी जुर्म के नीचे यदि गिरफ्तार किया जाता है जो २४ घन्टे के भीतर ही उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाय और जैसा कि वहां प्रोवीज़न होगा क़ानून का, अगर उसको (मजिस्ट्रेट) ज़मानत पर छोड़ता है तो उसको ज़मानत पर छोड़ दिया जायगा, लेकिन अगर उसकी ज़मानत नहीं मिल सकती है तो मजिस्ट्रेट जैसा मामले का औचित्य होगा वैसी कार्यवाही वह करेगा। इसलिये मैं सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके द्वारा यह कि अगर कोई क़ानून की अवहेलना करे और अगर वह गिरफ्तार किया जाये तो उसके लिये ऐसा समय सीमित कर दिया जाय कि २४ घंटे के भीतर वह किसी पास वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाय ताकि वह मजिस्ट्रेट के सामने अपनी ईमानदारी और अपनी इन्नोसैन्स को ज़ाहिर कर सके और उसके आगे जो कुछ भी उचित क़ानूनी कार्यवाही हो वह कर सके और वह क़ानूनी कार्यवाही में उसकी मदद ले सके। इस ख्याल से मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है। मुझे विश्वास है कि यह संशोधन अवश्य ही स्वीकार होगा।

Page No.83

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री)—क्लॉज़ जो इसमें रखी गई थी उसमें कहा गया है कि 'shall be detained longer than may be necessary' तो उसकी मन्शा यह थी कि ज्यादा समय तक वहां पर नहीं रखा जाय। लेकिन जो प्रस्तावक महोदय ने डिस्क्रिशन पर नहीं छोड़कर उसको लिमिटेड कर लेने की बात कही है तो यह हो सकता है यदि कोई भी इस तरह के शब्द रखने के कारण अधिक समय तक वहां रख दिये जाने के कारण ग़ैर इन्साफ़ होने का डर हो तो मुझे एतराज नहीं है, समय को सीमित कर देने में निश्चित तौर पर मान लेने में। तो इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—The question is that the amendment moved by Shri Jawan Singh to clause 8(2) be accepted.

(स्वीकृत)

(सर्व सम्मति से स्वीकृत)

This amendment is adopted.

(विराम)

Now the question is that clause 8, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 8, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Clauses 9, 10, 11, 12, & 13

(विराम)

The question is that clauses 9, 10, 11, 12, and 13 be accepted.

(स्वीकृत)

Clauses 9 to 13 are added to the Bill.

(विराम)

There is no amendment to the Schedule.

(विराम)

The question is that the Schedule, "Offences compoundable under Section 10" stand part of the Bill.

(सर्व सम्मति से स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

The schedule is added to the Bill.

(विराम)

Clause 1, title and the enacting formula.

(विराम)

The question is that clause 1, title, and the enacting formula stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

They are added to the Bill.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया-Sir, I beg to move that the Bill to provide for the protection conservation and development of Fisheries in Rajasthan and the other ancillary matter, be passed.

श्री मानसिंह महार--माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान के इस मछलियों के बिल के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन रखे गये हैं और वह मंजूर भी हो गये हैं। रूल्स ऑफ़ प्रोसीजर एन्ड कन्डक्ट ऑफ़ बिजनेस की धारा १४६ के तहत इसे आज पास नहीं किया जाय। नियम १४६ का उपनियम (२) यह कहता है ;

"(2) If any amendment of the bill is made, any Member may object to any motion being made on the same day that the bill be passed, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made."

यह एतराज़ मैं प्रस्तुत करता हूं और साढ़े बारह भी बज चुके हैं। इसके थर्ड रीडिंग पर बोलना भी बहुत आवश्यक है, इसलिये इसे कल पर रख दिया जाय तो काफ़ी अच्छा होगा और क़ानून भी यह अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष--I allow that the Bill be passed.

श्री मानसिंह महार--लेकिन थर्ड रीडिंग पर तो बोलने की इजाजत दी जाय।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)--समय होगया है अतः कल इनको बोलने की इजाजत दी जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--समय एक बजे तक रहेगा, ऐसा कल तय हो चुका है।

श्री मानसिंह महार--मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा है कि हमारे अहिंसा के पुजारी भी मच्छी मारने को प्रोत्साहन देने लगे हैं। हमारे राजस्थान की जनता जिसमें धार्मिक वृत्ति

[श्री मानसिंह महार]

ज्यादा है, वह इसको कतई पसंद नहीं करती है कि उसके यहां तालाबों व तलाइयों में जो मछलियां रहती हैं उनका ठेका दिया जाय और मछलियों को मारा जाय। कई जगह जब राजस्थान सरकार ने मछलियों के ठेके दिये हैं तो गांव वालों ने विरोध किया है और यह विरोध यहां तक पहुंचा है कि बड़े बड़े कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं की मोटरों तक को उन्होंने जला दिया है। राजस्थान के लोग बड़े धार्मिक हैं। वे कतई पसन्द नहीं करते कि तालाबों में जो जन्तु रहते हैं उनको सरकार बेचे और उनके गले कटवाये। यही चीज जब अहिंसा के पुजारियों की तरफ से आती है तो बहुत दुख होता है। जिन मंत्री महोदय ने बिल पेश किया है उनकी खुद की अहिंसक मनोवृत्ति है, वे इसके खिलाफ हैं और यह बिल महात्माजी के उसूलों के खिलाफ है। जिस महात्मा की दुहाई देकर वे इस पद तक पहुंचे हैं उनकी आत्मा को शान्ति देने के लिये वे इस बिल को पास कराने की अपनी भावना को वापिस ले लें तो अच्छा होगा।

मछलियें वैसे ही राजस्थान में कम हैं। उनको पकड़ कर मरवा देंगे तो मछलियों का राजस्थान में पैदा होना ही बन्द होजायगा। एक तरफ तो जहर छिड़क कर मछलियों का मारना रोकते हैं और उधर यह कानून पास करते हैं तो यह बड़े आश्चर्य और दुख की बात है। जिस तालाब के लिये ठेकेदार ज्यादा पैसे देगा और सरकार के मंत्रियों के पास सिफारिशें ले जायगा तो उसको ठेका देना जरूरी हो जायगा और इस तरह ठेका देने से एक अहिंसक जानवर का सफाया हो जायगा।

मछली किसी को नुकसान नहीं करती है और इसके अलावा पानी को भी साफ रखती है। अगर मछलियें नहीं होंगी तो हर प्रकार के पानी में जीव रहेंगे। पानी गन्दा होगा और अभी जो पानी में गन्दगी है वह उससे ज्यादा हो जावेगी और इससे ज्यादा बीमारी बढ़ेगी। राजस्थान सरकार के पास इस समय इतना पैसा नहीं है कि वह बढ़ती हुई बीमारियों को रोके और उनको रोकने लिये उचित प्रबन्ध करे। इसलिये जो सरकार रोगों को रोकने के लिये उचित प्रबन्ध नहीं कर सकती है तो ऐसे जानवर, जो पानी को गन्दा करने वाले जानवरों को खाकर साफ करती है और अपना पेट पालती है उनको मारने का इन्तजाम करना सरकार के लिये शोभनीय नहीं। इसलिये मैं महात्माजी के नाम पर आपसे अपील करूंगा कि आप अहिंसा के पुजारी होने के नाते इनको न मारें।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष, मछलियों को मारने के लिए जो बिल सदन के सामने प्रस्तुत है इस पर मैं भी अपने विचार प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। मछली एक ऐसी चीज है जो किसी को नहीं सताती। उसको मारोगे तो वह आपसे आकर यह नहीं कहेगी कि हमारे साथ जुल्म हुआ। वह आपको कहने नहीं आवेगी। यदि हमारी गवर्नमेन्ट का यही उद्देश्य हो कि जो हमको यह कहने के लिए नहीं आवे कि हम पर जुल्म हो रहा है उसको मारा जाये और मार कर उसको खाया जावे, तो मैं यह कहूंगा कि वह गवर्नमेन्ट रक्षक गवर्नमेन्ट नहीं होगी। एक बात और भी है कि हमारे यहां प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। लेकिन हमारे यहां ऐसी बातें भी हैं जिनको हम अप्रत्यक्ष रूप में भी मानते हैं। यदि नहीं मानते तो मैं कहूंगा कि एक आदमी ने कहीं चोरी की और मेरी चिट्ठी में लिखा कि चोरी की। मुझे तो मानना चाहिये और मुझे उस पर विश्वास करना चाहिये। हमारे यहां प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं बल्कि हनुमान प्रमाण, आप्त वचन कई तरह के प्रमाण होते हैं। हमें यही शिक्षा दी गई और पार्टी के नेता

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

ने इस बात को अपनाया था कि हमारे विचार इतने साफ हो जाने चाहियें कि चूहा और बिल्ली दोनों खडे एक जगह पर रह सकें। बिल्ली को यह भय नहीं हो कि उसको नुकसान पहुंचेगा और न चूहे को यह भय हो कि उसको बिल्ली खा जावेगी। वे दोनों मित्रता से बंधे हों। यह बात पार्टी के नेता के सामने प्रत्यक्ष है कि महात्माजी ने जब हिन्दू और मुसलमानों का झगड़ा हुआ था उस समय मतभेद हो गये थे, उस समय बतलाया था कि उनके सामने दोनों एक हैं। महात्मा गान्धी जी का यह सिद्धान्त था, "अहिंसा परमो धर्मः"। वे यह मानते थे कि अहिंसा से कभी काम खराब नहीं होता। इसलिए मैं यह कहता हूं कि आप अहिंसा के पुजारी हैं इसलिए इन मछलियों को न मारे (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप इस बिल के द्वारा मछलियों को जो जल में पैदा होती हैं ज्यादा पैदा करने के लिए ठेका देंगे। उसके बाद ठेकेदार लोग उनको जाल में पकडेंगे और उनको मारेंगे और मार कर बेचेंगे। यह बहुत बुरी चीज है। एक वृक्ष को लगा कर उसको काट डालना होगा। हम अपनी संतान के साथ तो ऐसा नहीं करते हैं। (घंटी)

इसलिए मैं कहता हूं कि यह कार्य अहिंसा के सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं, शास्त्रों के नियमों के विरूद्ध हैं और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह कार्य शास्त्रों के आधार पर ही होने चाहियें। मछली जैसी चीज को मारना ठीक नहीं है। मछलियां जैसी निर्दोष और निस्सहाय प्राणियों का क्या दोष है कि वे उनके द्वारा खत्म की जा रही है कि जिनके हाथ में सत्ता है।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान सरकार द्वारा जो मछली मारकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का बिल आज राजस्थान धारा सभा में आया, मैं समझता हूं कि यह विधान सभा की शान से बिल्कुल प्रतिकूल है। राजस्थान में ही नहीं, किन्तु भारतवर्ष में जब जनतन्त्र-वाद की स्थापना हुई उस वक्त या आज पुनः जनतन्त्रवाद लाने में काफी प्रयत्न किया गया। हमारे कई व्यक्ति इस जनतन्त्रवाद को लाने में अपना जीवन देकर आज हमारे लिये उदाहरण प्रस्तुत कर गये हैं। इन व्यक्तियों ने जनतन्त्रवाद लाने में किसी खास सिद्धान्त के पीछे कार्य किया और उस सिद्धान्त के पीछे कार्य करने में वे सफल हुए। वह सिद्धान्त था "अहिंसा परमोधर्मः"। इस शब्द पर अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने काफी प्रकाश डाला है। इस सिद्धान्त के चलाने वाले परम पूज्य महात्मा गांधी थे। वे इस सिद्धान्त के प्रवर्त्तक थे। इस सिद्धान्त पर चलना कितना कठोर है, इसका एक एक्जाम्पल (उदाहरण) मैं आपके सामने दूं। सन् ४१ में मैं मैट्रिक का इम्तिहान देकर देहली चला गया और वहां मुझे महात्माजी की प्रार्थना सभा में जाने का अवसर मिला। उस प्रार्थना सभा में महात्मा जी का प्रवचन हो रहा था। उनके पास जो बैठे हुए थे, ठीक तो मुझे मालूम नहीं हुआ पर शायद वे ठक्कर बापा थे। उनके कमीज पर एक बिच्छु बैठा था। जैसे ही उन्होंने बिच्छु देखा उन्होंने हाथ जोरों से फटकारा और वह बिच्छु महात्माजी के पास आ गया। दो आदमी बैठे हुए थे, वे काफी नजदीक बैठे हुए थे। उनमें से एक ने जूता उठाया और दूसरे ने डंडा। महात्माजी ने दोनों हाथ फैला दिये और कहा कि मारो मत. पांच-सात आदमियों ने कहा कि जहरीला जानवर है और इसको मार ही देना चाहिये नहीं तो दूसरों

[श्री भैरूंसिंह (१६)]

को काटेगा। इस पर उन्होंने कहा कि जहरीला हो या और कुछ, किन्तु है तो जानवर। उसने आपका कोई कुसूर नहीं किया है फिर आप उसकी क्यों जान लेते हैं? कुसूर किया है कि वह आपकी कमीज पर चढ गया और आपने झटका दे कर उसको गिरा दिया। दोनों आदमियों को बिठा दिया और कहा कि कोई मारे नहीं। वह बिच्छू बीच बीच में ही चक्कर काटने लगा मगर किसी को नहीं काटा। प्रवचन हो रहा था किन्तु लोगों का ध्यान उसकी ओर ही था कि कहीं वह छू न जावे। महात्माजी के सिद्धान्तों में वह हिम्मत थी कि उसने किसी को काटने का साहस नहीं किया। यह सिद्धान्त मामूली नहीं। ताकत का सिद्धान्त है। आज न मालूम क्या हो गया है? वह सिद्धान्त तो चला ही गया किन्तु उसके पीछे की ताकत भी चली गई है। मेरे माननीय मित्र कह रहे हैं कि हम उन महात्मा के सिद्धान्तों के साथ चलें। मैं मानता हूं कि जो प्रवृत्ति आज-कल चल रही है वह महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। महात्मा गांधी के सिद्धान्त का कोई आदर करेगा या नहीं, किन्तु मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विरोधी दल का सदस्य होते हुए भी उनके सिद्धांत मेरे साथ है और विरोधी दल के सदस्यों के साथ हैं। ऐसे सिद्धान्तों को मानना हमारा कर्तव्य है और इस सिद्धान्त में हम उनके साथ हैं। यदि इस सिद्धान्त को मान कर हम चलें, यदि हम इस सिद्धान्त को मंजूर कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि इस मछलियां मारने के कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे इस बिल पर बहुत कुछ कहना है। मुझे दो मिनिट का समय और दिया जाय। यह कानून मामूली नहीं है। निरपराध जानवरों को मारने का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष—दो मिनिट और।

श्री मानसिंह मह्रार—ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन, सर, क्या यह सही है कि इस कानून के बाद सरकार मछली मारने के ठेके देने बन्द कर देगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री)—हम इस कानून तक ही सीमित रहें तो अच्छा है।

श्री मानसिंह मह्रार—मैं यह पूछ रहा हूं कि इससे हम यह समझें कि इस कानून से ठेके देना बन्द कर दिये गये है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री)—मैं इस कानून तक ही सीमित रहना पसन्द करूंगा। ठेके देने की बात न आगे कहना चाहता हूं और बन्द करने वाली बात भी कह रहा हूं, न कहना चाहता हूं।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज, इसका साइन्टिफिकल्ली असर होता है। अभी मानसिंह जी ने कहा था कि अगर बाहर मछलियों को मारने का ठेका दिया गया तो पानी अशुद्ध रहने लगेगा, तालाब के पानी को फिल्टराइज करने के लिये कोई मशीन गांवों में नहीं होती है। यह जन्तु ही ऐसा है जो पानी के तमाम कीटाणुओं को और पानी के मैल को खाकर और सोखकर उसे

[श्री भैरोंसिंह (१६)]

शुद्ध कर देता है और गांवों में जहां अक्सर कूएं कम होते हैं और पीने के लिये पानी भी जो इन तालाबों के पानी पर ही मयस्सर रहते हैं वे इस तरह से इन मछलियों के कारण पानी के अन्दर के कीटाणुओं और कई प्रकार की गन्दगी के शिकार होकर बीमार होने से और इस तरह की अनेक बीमारियों से बच जाते हैं। हम यह चीज भी अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान में कई ऐसे हिस्से हैं जहां कुए नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं और ऐसी सूरत में सभी गांव वाले तालाब का ही पानी पीते हैं और इस तरह से अपना समय किसी तरह निकालते हैं, खास करके गरमियों के दिनों में। पर अगर इन तालाबों की स्वच्छता रखने वाली मछलियों को मारने का ठेका रुपयों के लालच में आकर सरकार ने किसी को दे दिया तो इसके बडे भारी दुष्परिणाम होंगे। वह पानी अशुद्ध रहने लगेगा, जीव-जन्तु और पानी के कीटाणुओं की वृद्धि होगी और इस तरह से इस अशुद्ध पानी को पीने से कई प्रकार की बीमारियों गांवों में फैलेंगी और इन बीमारियों को रोकने के लिये न सरकार ही साधन-सम्पन्न है और न गरीब ग्रामीण जनता। यह अनर्थ, सरकार इन तालाबों की मछलियों को मारने का ठेका देकर करेगी।

तीसरी चीज यह है कि इससे विशेष फायदा भी सरकार को नहीं होने वाला है। निष्पाप और निर्दोष जानवरों का जीवन लेकर अगर थोडा बहुत रुपये-पैसे का फायदा सरकार का हो गया तो यह कोई फायदा नहीं है, उसके मुकाबले में जो कि नुकसान जनता का होगा, वह नुकसान अधिक है।

मैं उस तरफ बैठे जैनी भाइयों से भी कहूँगा कि "अहिंसा परमो धर्मः" के सिद्धान्त को मानने वाले इस पापमय कार्य में भी और हिंसा से ओतप्रोत मामले में क्या सरकारी पक्ष का साथ देंगे? वे सोच लें इस बात को। वे भले ही सरकारी पार्टी अनुशासन के दबाव में आकर उधर वोट दे दें पर यह उनके सिद्धान्त के अनुकूल कार्य नहीं होगा।

श्री **कंवरलाल जेलिया**—माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे इनके कथन में आपत्ति है। भारत के संविधान में किसी के धर्म की भावना को उभाड़ना निषिद्ध है और आपका कथन जैन धर्म के मानने वालों की धार्मिक भावना को उभाड़ने वाला है। इस तरह से धार्मिक भावनाओं को उभाड़ा नहीं जा सकता, इस सदन के अन्दर।

श्री **भैरूंसिंह (दाता रामगढ)**—मैं इसके लिए आपको (श्री कंवरलाल जेलिया को संबोधित करते हुए) मुबारिकबादी पेश करता हूं। मैं जैनी भाइयों की भावना को उभाडना या कम करना नहीं चाहता लेकिन जो उनकी भावना है और जिसे वे भूल बैठे हैं वह बताना चाहता हूं। और अगर वह भावना महज पार्टी के अनुशासन के दबाव में आकर भूल बैठे और इस मछली मारने के कानून बनाने के पापकारी काम में साथ दिया और कल जाकर मन्दिर में भगवान महावीर को हाथ जोडें तो वे जैन धर्म के और "अहिंसा परमो धर्मः" के सही अनुयायी नहीं कहलाये जा सकते। मेरा निवेदन है कि इस मामले में तो डिविजन के समय जैनी भाई हमारा साथ दें।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री)**—माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि हमारे कुछ दोस्तों को गांधी जी के नाम पर बोलने की इच्छा हो गई और बोलने के लिये खडे होकर गांधीजी के

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]
नाम पर इस तरह दावे के साथ बोलने लगे कि जैसे गांधीजी के कट्टर अनुयायी या भक्त बोल रहे हों और दूसरों को उपदेश दे रहे हों। उनका इस तरह से कहना और बोलना अनुचित है।

मैं सबसे पहले तो यह साफ कर दूं कि जैसा कि मेरे माननीय सदस्यों को गहरा भ्रम होगया है कि यह मछली मारने का कानून है। यह भ्रम कोरा भ्रम ही है। यह कोई मछली मारने का कानून नहीं है। यह कानून तो मछलियों को प्रोटेक्शन करने, उनका प्रिजर्वेशन एण्ड डेवेलपमेंट (संरक्षण तथा विकास) करने का कानून है। इस कानून में यही उद्देश्य बताया गया है। इसके विपरीत बताया यह गया है कि सरकार द्वारा मछली मारने का कानून पेश हो रहा है। मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। कानून में यह बताया गया है कि कहीं भी एक्सक्ल्युजिव तौर पर मछलियां मारना, उनका शिकार करना अपराध है और उसकी सजा होगी। इन चीजों पर बन्दिश रखने के लिये यह कानून बनाया गया है। मछली मारने पर कानूनन रोक लगाई गई है। गांधीजी की दुहाई देकर, सत्य और अहिंसा का उपदेश देकर भी इतनी असत्य बात आप कह सकते हैं तो इससे तो यह साबित हो जाता है कि आप गांधीजी के और सत्य और अहिंसा के कितने अनुयायी हैं?

दूसरी बात, फिशरीज़ को डेवलप करने (development of fisheries) करने की बातें तो गांधीजी भी मानते थे।

इस कानून को पास न करने के लिये जैन धर्म की दुहाई दी गई और 'अहिंसा परमो धर्मः' की दुहाई दी गई, महात्मा गांधी की बिच्छू की घटना को बड़े प्रभावशाली ढंग से रखा गया। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि वे कितने प्रभावित हुए महात्मा गांधी के विचारों से, उनके वचनों पर चलने का अवसर मिला है और आप कितने उनके वचनानुसार चले हैं? ये बातें सबको मालूम हैं। उन्होंने इस तरह से कहा जैसे मानों उनके शरीर में महात्मा गांधी की आत्मा प्रवेश कर गई हो और महात्मा गांधी की आत्मा को संतुष्ट करने के लिये वे चाहते हैं कि हम इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दें। गलत तरीके पर जिन बातों को रखा गया वह माननीय सदस्य के लिये कहां तक उचित है, यह तो वे स्वयं जान सकते हैं। कानून पर बड़ी शान्ति के साथ विचार किया गया और जो संशोधन आये उन पर भी विचार किया गया और आपके सामने पास करने के लिये इसे रखा गया है। इस कानून पर बहस के दौरान में यह भी कहा गया कि कूओं-कूओं पर मछली मारने वाले नियुक्त कर दिये जावेंगे, यह एक भ्रम फैलाने वाली बात है। मछलियों का मारना इसकी कतई मन्शा नहीं है। मछलियों की तादाद में किस तरह बढ़ोतरी हो, राजस्थान में मछलियों की उत्पत्ति ज्यादा होने लगे, यह भावना इस बिल की है। इसकी तादाद ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसके पीछे यह उद्देश्य है। आशा करता हूं सदन इसको अवश्य पास करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—The question is "That the Rajasthan Fisheries Bill, 1953, be passed."

(मत-दान के पश्चात)

श्री मोहनलाल सुखाडिया (कृषि मंत्री)--'NOES' have it, Sir.

श्री भैंरूसिंह तथा विरोधी दल के अन्य सदस्य -- 'AYES' have it, sir.

श्री सुखाडिया--NOES have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष--You want division.

मैं एक सूचना, रिंग करने (घंटी बजाने) से पहले आपको देदूं कि जो बिलों के पास होने की प्रगति रही है उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि सेशन उतना लम्बा नहीं चलेगा और इसलिये जो पहले का प्रोग्राम है उसमें रद्दोबदल किया गया है। प्राइवेट मेम्बर्स के रिजोल्युशन्स (संकल्प) जो तारीख ६ को लिये जाने वाले थे उसके बजाय वे २७ तारीख को लिये जावेंगे और तारीख २८ को बिल्स और रिमेंनिग रिजोल्युशन्स लिये जावेंगे।

एक बात और है, तारीख २, जो बेलट के लिये समय निश्चित किया गया उसके बजाय २३ रख दिया गया है इसलिये चार बजे बैलट लिया जायगा। जो सदस्य इसमें भाग लेने के इच्छुक हों वे नोट कर लें और चेंज्ड प्रोग्राम (परिवर्तित कार्यक्रम) के माफिक अपने को तैयार कर लें।

(विराम)

क्या सदस्य गण इस बिल के "पास" करने के बारे में डिविजन (विभाजन) चाहते हैं।

श्री जसवन्तसिंह--उपाध्यक्ष जी, मेरा ऐसा ख्याल है कि मछली और अंडे खाने में लोग पाप नहीं मानते हैं और मछली ऐसी चीज है जिसको वगैर हलाल किये मुसलमान लोग खा जाते हैं। इसे एक तरह से जलतोरू के रूप में माना गया है; इसमें कोई पाप का महत्व नहीं है, जितना कि हमारे साथियों को लगा है। मैं समझता हूं कि जल तुरई के रूप में यह होते हुए इसको ब्राह्मण भी इस्तेमाल करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--मेरे ख्याल से आप डिविजन के लिये प्रेस नहीं करेंगे। जो प्रश्न मैंने रखा है, इसको पास करने के पक्ष में हों, दुबारा पूछने पर 'हां' कहेंगे और जो इसके विरोध में हों वे 'ना' कहेंगे।

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ)--एक बार आप डिविजन बेल बजा कर देख तो लें।

श्री गोपीलाल यादव--माननीय उपाध्यक्ष, इस क्वेश्चन पर मैं हाउस के नेता से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने पार्टी में इस क्वेश्चन को तय कर दिया है कि इसे पार्टी इश्यू समझेंगे या लोगों को स्वतन्त्रता है अपनी राय देने के लिये।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--आप पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करलें, फिर यह प्रश्न पूछ सकते हैं।

(हंसी)

श्री कानसिंह—अध्यक्ष महोदय, अब.....

श्री उपाध्यक्ष—The question is that the Rajasthan Fisheries Bill, 1953, be passed.

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

श्री जसवन्तसिंह—(श्री चन्दन मल बैद को संकेत करते हुए) क्या कांग्रेस में जो जैन सदस्य हैं उन्होंने भी यह मच्छी बिल पास करने का तय कर लिया है ?

श्री उपाध्यक्ष—Now the House is adjourned to meet to-morrow, the 24th April, 1953.

(सदन १.०० बजे, कल तारीख २४-४-५३ के प्रातःकाल ८.१५ तक के लिये स्थगित हुआ)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
२३ अप्रेल, १९५३.

मनसा राम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्न तथा उत्तर जो सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित करने की संबंधित मंत्रियों की अनुमति है)

९३१ (६८/ई.एम.) श्री घासीराम, डिवीजन नं० ४३—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् १९४७ के साम्प्रदायिक आन्दोलन की वजह से अलवर जिले में कितने स्कूल बन्द कर दिये गये थे ?

(ख) अब उनकी जगह कितने खोले गये हैं ?

(ग) क्या बन्द किये गये स्कूलों के और उनकी जगह नये खोले गये स्कूलों के नाम बतलाये जावेंगे ।

उत्तर

(क) सन् १९४७ के साम्प्रदायिक आन्दोलन के कारण ३१ स्कूल अलवर जिले में बन्द किये गये थे ।

(ख) सन् १९४८ से अब तक बहुत से स्कूल खोले गये हैं लेकिन यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह सब स्कूल उनकी जगह खुले हैं। फिर भी उनकी जगह खोले जाने वाले स्कूलों की संख्या २२ तो निश्चित है ।

(ग) ऐसे बन्द किये हुए तथा उनकी जगह नये खोले गये स्कूलों की सूची सदन की मेज पर रखी है ।

(सूची नीचे देखिये)

List of the schools closed due to the communal disturbances in 1947 and schools opened in their places.

Schools Closed.	*Schools opened*
1. Niana	1. Umren
2. Semla	2. Saloli
3. Mainpur	3. Parbeni
4. Berej	4. Surer
5. Mancha	5. Padak
6. Siwana	6. Jetwara
7. Ghasoli	7. Jhalatalr
8. Rata Basai	8. Lili
9. Dhamukad	9. Tigaon

Schools closed	Schools opened
10. Bolani	10. Bhageri
11. Ghata Diwakari	11. Tatarpur
12. Dholpur	12. Sonkh
13. Dholi Pahari	13. Khanpur
14. Phullawas	14. Banbir pur
15. Nimali Baghore	15. Harsoli (Govindgarh)
16. Soorawas	16. Shrichandpura
17. Udaipur	17. Bibirani
18. Kajeewara Tijara	18. Noornagar
19. Singhpur	19. Mainpur
20. Koharani	20. Manka
21. Guwalda	21. Ghasoli
22. Kolgaon	22. H.S.Tijara
23. Bileta	
24. Moonpur	
25. Dadar	
26. Gotoli	
27. Milakpur	
28. Bhunagara Thiater	
29. Meerka Basai	
30. Nangali Ojha	
31. High School, Tijara	

९९२(११०/ई.एम.) श्री **मोतीचन्द खजान्ची**, एम. एल. ए, डिवीजन नं० १०५—**क्या** शिक्षा मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के हर एक कॉलेज के विद्यार्थी संघ के विधान भिन्न २ हैं ?

(ख) हाई स्कूलों में भी क्या सभी विद्यार्थी संघों का विधान एक सा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि ना, तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या सरकार ऐसी कोई कार्यवाही करने की सोच रही है, जिससे प्रत्येक कॉलेज विद्यार्थी संघ का एक सा प्रजातान्त्रिक विधान हो ?

(घ) क्या ऐसा विधान बनाते समय विद्यार्थियों के चुने हुए प्रतिनिधियों से भी सहयोग लिया जायगा ?

(ङ) मिडिल स्कूलों में बाल-सभायें स्थापित करने के विषय में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

उत्तर

(क) सच है ।

(ख) नहीं । सरकार द्वारा ऐसा कोई विधान नहीं बनाया गया ।

(ग) फिलहाल नहीं ।

(घ) स्कूलों में बाल सभायें स्थापित होती हैं जिनके द्वारा बालक स्कूल की विशेष प्रवृतियों में भाग लेकर अपने चरित्र और प्रतिभा का विकास करते हैं ।

१०१० (१२३/ई.ऐ.) श्री संतोषसिंह कछवाहा एम.एल.ए., डिवीजन नं० १३३—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान शिक्षा संघ को मान्यता देने में सरकार को क्या कोई आपत्ति है ?

(२) बीकानेर के शिक्षा सम्मेलन में पास किये हुए प्रस्तावों पर सरकार ने क्या अमल किया ? अगर नहीं तो, क्यों नहीं ?

उत्तर

'राजस्थान शिक्षा संघ' नाम की किसी संस्था की स्थिति की जानकारी सरकार को नहीं है । यदि तात्पर्य राजस्थान शिक्षक संघ से हो तो उत्तर निम्नलिखित है :—

(१) राजस्थान शिक्षक संघ का विधान प्राप्त होने पर उसे मान्यता देने की कार्यवाही की जायगी ।

(२) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) यह सरकार के विचाराधीन है ।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १००२ का उत्तर देखिये)

List of Local Presses in Jaipur to whom the work of Printing of Electoral Roll was allotted.

S.No.	*Name of Press*	*Number of pages alloted*
1.	Ajmera Printing Press	3110
2.	Rajasthan Printers	1807½
3.	Kamal Printing Press	1824½
4.	Diamond Printing Press	2211
5.	Bharti Press	949½
6.	Kishore Printing Press	1013
7.	Shri Bal Chandra Press	2023½
8.	Rashtradoot Press	553
9.	Purusharthi Printing Press	227
10.	Rajasthan Printing Works	1668
11.	Rajputana Printing Press	2184½
12.	Jaipur Electric Printing Press	1053½
13.	Shri Hanuman Printing Press	429
14.	Morden Art Printers	1070½
15.	Bhagwati Electric Press	285
16.	The Printers and Publishers Ltd.,	973
17.	Maha Maya Printing Works	287
18.	Bharat Printers	1504
19.	The Nav Bharat Electric Printing Press	349½
20.	Shri Hari M han E. Printing Press	1636
21.	Anand Printing Press	619
22.	Friends Printers	810
23.	Parbhat Press	711
24.	Veer Press	480
25.	Jaipur Printers	1191½
26.	Garg Printing Press	1000
27.	Manoranjan Press	1323
28.	Yugantra Press	802
29.	Jai Ambe Mudranalaya	160
30.	Saraswati Printers	974½
31.	Govind Printing Press	913½
32.	Mahalaxmi Press	702½
33.	Dube Printing Press	
34.	Pathak Electric Press	1072½
35.	National Press	278½

परिशिष्ट ३

(वे अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखे गए)

१८ (१७९/आर.एम.) श्री धर्मपाल एम.एल.ए., डिविजन नम्बर ३७—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान के किन किन जिलों में गत ६ सालों से भूमि की कितनी कितनी रजिस्ट्रियें हुई हैं ?

(२) क्या इस प्रकार भूमि को छोटे छोटे खातों में तकसीम करने के लगातार कार्य को रोकने के लिये सरकार कोई कदम उठा रही है ?

(३) क्या यह सच है कि छोटे २ बच्चों के नाम भी भूमि की रजिस्ट्री हुई है ?

(४) यदि यह बात सच है तो क्या सरकार ऐसे नाबालिग बच्चों के नाम से की गई रजिस्ट्रियों की जिलेवार संख्या तथा नाम बतलाने की कृपा करेगी ?

उत्तर

क्योंकि प्रश्न में गत ६ वर्षों में प्रत्येक जिले में भूमि की रजिस्ट्रियों के बारे में आंकडे मांगे गये हैं जिसको एकत्रित करने में समय लगेगा अतः इसका उत्तर बाद में सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया जायगा।

श्री प्रभुलाल —क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) समेजा नहर में कितने हरिजनों व भूमिहीन किसानों को जमीनें दी गई हैं या दी जावेंगी

(२) भाखरा-नांगल योजना में कितने हरिजनों व भूमिहीन किसानों को जमीनें दी जावेंगी या दी गई है ?

(३) चम्बल प्रोजेक्ट योजना में कितने हरिजनों व भूमिहीन किसानों को भूमि वितरित की गई है या विचार है ?

(४) क्या उन्हें कोई स्पेशल रियायत दी जावेगी, अगर हां, तो क्या ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) इस विषय में आंकडे इक्ट्ठे किये जा रहेहैं जो कि प्राप्त होने पर सदन में पेश कर दिये जायेंगे।

(२) भाखरा-नांगल योजना में भूमि के अलॉटमेन्ट के विषय में नीति का अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है।

(३) भाखरा योजना के इलाके में जमीन के अलॉटमेन्ट के विषय में सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की है जो छानबीन करके सरकार के सामने शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

[श्रीं प्रभूलाल]

(४) जाति के आधार पर सुविधायें देना उचित नहीं है। मगर फिर भी यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि अलॉटमेंट के समय हरिजन और दूसरी पिछड़ी हुई जातियों के भूमिहीन किसानों के हितों का पूरा २ ख्याल रखा जायगा।
